ISSN 2455-6181

वर्ष : 14 अंक : 5 मई 2016 ₹ 10

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

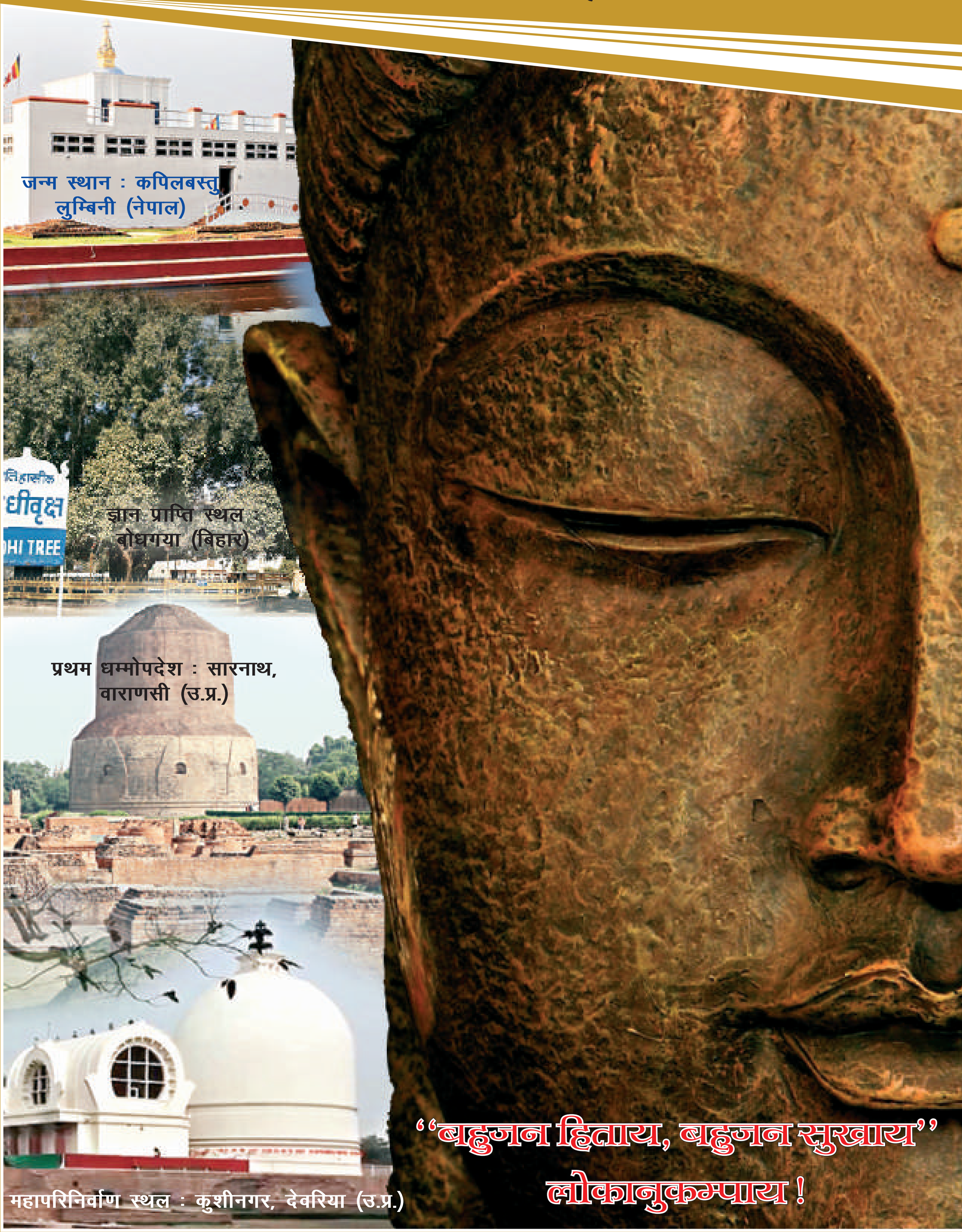

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 14 अप्रैल, 2016 को संसद भवन में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को उनकी 126वीं जयंती पर राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

वर्ष : 14 ★ अंक : 5 ★ मई 2016 ★ कुल पृष्ठ : 60

सम्पादक

सुधीर हिलसायन

सम्पादक मंडल

प्रो. राजकुमार फलवारिया

प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा

डॉ. प्रभु चौधरी

सम्पादकीय कार्यालय

सामाजिक न्याय संदेश

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

15 **जनपथ, नई दिल्ली**-110001

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588

सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625

फैक्स : 011-23320582

ई.मेल : hilsayans@gmail.com
editorsnsp@gmail.com

वेबसाईट: www.ambedkarfoundation.nic.in

(सामाजिक न्याय संदेश उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है)

आवरण परिकल्पना : सुधीर हिलसायन

व्यापार व्यवस्थापक

जगदीश प्रसाद

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी**, निदेशक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए इंडिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110064 से मुद्रित तथा 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित व **सुधीर हिलसायन**, सम्पादक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा सम्पादित।

सामाजिक न्याय संदेश में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। प्रकाशित लेखों /रचनाओं में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखकों /रचनाकारों का है। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए भी सामाजिक न्याय संदेश उत्तरदायी नहीं है। समस्त कानूनी मामलों का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन होगा।

RNI No. : DELHIN/2002/9036

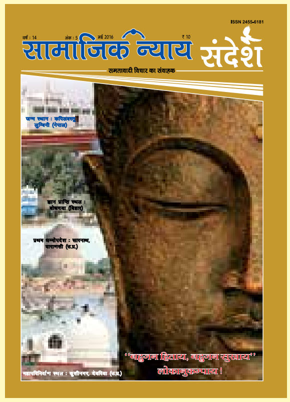

इस अंक में

❖ सम्पादकीय/"बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" लोकानुकम्पाय !		2-3
❖ बुद्ध का आविर्भाव	कन्हैयालाल चंचरीक	4
❖ समाज वैज्ञानिकः तथागत बुद्ध	रजनीश कुमार अम्बेडकर	16
❖ बौद्ध धर्म और विश्व एकता	डॉ. प्रभु चौधरी	19
❖ बुद्ध, बौद्ध साहित्य एवम् बौद्ध परिषदें	डॉ. ओ. पी. कोली	21
❖ दिनांक 14 अप्रैल, 2016 मेरीटाइम इण्डिया समिट मुम्बई में माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन		24
❖ बाईसवीं किस्त/बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर-जीवन चरित	धनंजय कीर	28
❖ विशेष लेख/बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक चिंतन	देवी दयाल गौतम	34
❖ पुस्तक अंश/कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर	39
❖ बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की 126वीं जयंती पर जन्मभूमि महू, इंदौर (मध्य प्रदेश) में माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन		44
❖ एडवर्टोरियल/विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जन्मशती समारोह का आयोजन		50
❖ बाल कविता/मैं पानी हूँ.....	बद्री प्रसाद वर्मा 'अनजान'	56

ग्राहक सदस्यता शुल्क : वार्षिक ₹ 100, द्विवार्षिक : ₹ 180, त्रैवार्षिक : ₹ 250
डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम भेजें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588 सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625

सम्पादकीय

''बहुजन हिताय,

बुद्धत्व प्राप्ति के बाद महाकारुणिक गौतम बुद्ध ने अपने धम्म विनय की शिक्षा-दीक्षा सारनाथ (वाराणसी) के इसिपत्तन मृगदाय वन में उन पांच परिव्राजको को दी जो निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ गौतम की सेवा में थे। यहीं से बौद्ध धम्म/परम्परा का आरम्भ हुआ, तथागत बुद्ध ने इसी दिन इन पांचों- कौण्डिन्य, अश्वजित, वाष्प, महानाम और भद्रिक को प्रथम धम्मोपदेश दिया। 'धम्मचक्र प्रवर्तन' हुआ जो कालान्तर में ''बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'' लोकानुकम्पाय! के रूप में संचरित हुआ। यूं तो बुद्ध की सारी शिक्षाओं को इस स्तम्भ में समेटना बहुत मुश्किल है परन्तु तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की व्यापकता को ''बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'' लोकानुकम्पाय! में देखी-समझी जा सकती है।

बुद्ध की शिक्षा साधना-अभ्यास का एक साधन मात्र है, न कि सदैव उसे पकड़ पंचवर्गीय भिक्खु के बैठे रहने या पूजा का साध्य। दरअसल बुद्ध ने किसी खास पंथ या धर्म या धर्मावलम्बियों को ही सम्बोधित नहीं किया है बल्कि उनके सम्बोधन का दायरा बहुत ही व्यापक रहा है। लोक के समस्त प्राणी उनके आहवान/चिंता का विषय रहा है। यही वजह है कि उनकी शिक्षाएं राष्ट्र की सीमाओं के बाहर सात समन्दर पार भी अपना पताका फहराने में कामयाब रहा है। तथागत बुद्ध की सारी शिक्षा उनका सारा दर्शन, 'दुःख', 'अनित्य' और 'अनात्म' में निहित है। बुद्ध ने चार आर्य सत्य बतलाए हैंः- पहला-सर्व दुखं अर्थात् सब कुछ दुःखमय है, दूसरा-दुःख समुदय अर्थात् दुःख का कारण है, तीसरा-दुःख निरोध अर्थात् दुःखों से मुक्ति, चौथा-दुःख निरोध प्रतिपद अर्थात् दुःखों से मुक्त होने का मार्ग।

यह चौथा आर्य सत्य ही 'मध्यम-प्रतिपद' अर्थात् 'मध्यम मार्ग' है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर सम्पूर्ण 'लोक' का कल्याण सम्भव है। मध्यम मार्ग पर चलने के लिए तथागत बुद्ध ने आठ बातें बताई हैं जिनके अनुसार आचरण अपेक्षित है- यही 'आष्टांगिक मार्ग' कहलाता है। यथा- सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि तथागत ने 'शील' अर्थात् आचरण पर बहुत बल दिया है, सामान्यतया हिंसा से बचना, चोरी न करना, काम (वासना) और मिथ्या आचरण से दूर रहना, झूठ न बोलना तथा प्रमाद पैदा करने वाले पदार्थों का उपयोग न करना ही सदाचार है यही 'पंचशील' कहलाता है।

दुःखों का कारण 'इच्छा' का वह विकृत रूप है जिसे 'तृष्णा' कहा जाता है। इसी से राग और आसक्ति बढ़ती है। तृष्णा के नाश में ही सुख है। 'चित्त' का जागतिक ज्ञान और जग तृष्णा से रहित स्थिति 'निर्वाण' बुद्ध की सामाजिक-आध्यात्मिक तकनीक 'विपश्यना' (मेडिटेशन) से प्राप्त की जा सकती है।

बहुजन सुखाय'' लोकानुकम्पाय !

'धम्म' का अर्थ प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीना व आचरण करना है। बुद्ध की शिक्षाओं को परख एवं जानकर मध्यम मार्ग के रास्ते जीवन की गहराईओं में उतरकर 'लोक कल्याण' रूपी जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवनयापन करता है, स्वस्थ और खुश रहता है।

आज से तकरीबन 2550 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध ने महति प्रयास, कठोर साधना एवं स्वानुभव से विपश्यना विद्या को अन्वेषित किया। इसी विपश्यना विद्या द्वारा 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने शेष जीवनकाल अर्थात् कुशीनगर देवरिया (उ.प्र.) में महापरिनिर्वाण तक, वह निरन्तर इस विद्या को जनमानस में प्रसारित करते रहे धम्म के चक्र को चलाते रहे। वस्तुतः तथागत बुद्ध अध्यात्म क्षेत्र के एक महान सामाजिक वैज्ञानिक हुए हैं। जिन्होंने सही मायने में 'मुक्ति का मार्ग' एवं 'सम्यक वातावरण' बिना किसी मिथ्या आरोपण या अवधारणा के, सम्पूर्ण लोक के लिए सुलभ कराया। उनका मानना था कि कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता। मैं भी नहीं, जो स्वयं इस मार्ग पर चलते हुए सम्बोधि तक पहुंचा हूं। मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूं। तुम्हें स्वयं ही सम्बोधि तक पहुंचना है, इसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। बुद्ध दर्शन में 'अत्त दीपो भव' अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनो का उनका संदेश बहुत ही लोकप्रिय है, जिसमें मुक्ति का मार्ग भी निहित है।

तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सम्यक विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि उनकी चिंताओं में लोक के समस्त प्राणी शुमार थे। मसलन मनुष्य, जानवर, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे सभी अर्थात् गौतम बुद्ध का चिन्तन दुनिया के समस्त प्राणियों (पादप एवं मानव) को भी समर्पित था। जहां आज हम पर्यावरण को सम्यक बनाने के लिए चिंतित दिखाई पड़ते हैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक पर्यावरण के प्रति भी समर्पण का भाव स्पष्ट दिखता है।

तथागत बुद्ध 'लोक कल्याण' के लिए समर्पित रहे हैं। उनके कैनवास में देश-दुनिया, लोक के सभी 'जन' रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश-समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु समतावादी समाज के निर्माण के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसारित किया जाए ताकि हम एक ऐसे देश समाज की संकल्पना को साकार कर सकें जिसमें सभी का कल्याण सुनिश्चित हो।

(सुधीर हिलसायन)

तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सम्यक विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि उनकी चिंताओं में लोक के समस्त प्राणी शुमार थे। मसलन मनुष्य, जानवर, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे सभी अर्थात् गौतम बुद्ध का चिन्तन दुनिया के समस्त प्राणियों (पादप एवं मानव) को भी समर्पित था। जहां आज हम पर्यावरण को सम्यक बनाने के लिए चिंतित दिखाई पड़ते हैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक पर्यावरण के प्रति भी समर्पण का भाव स्पष्ट दिखता है।

तथागत बुद्ध 'लोक कल्याण' के लिए समर्पित रहे हैं। उनके कैनवास में देश-दुनिया, लोक के सभी 'जन' रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश-समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए समतावादी समाज के निर्माण के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसारित किया जाए ताकि हम एक ऐसे देश समाज की संकल्पना को साकार कर सकें जिसमें सभी का कल्याण सुनिश्चित हो।

बुद्ध का आविर्भाव

■ कन्हैयालाल चंचरीक

भारत की धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताओं और सामाजिक संस्कारों के परिष्कार के लिए बुद्ध ने धरती पर जन्म लिया। उनका पूरा जीवन सत्य की खोज, लोक चेतना और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित था। वे प्रथम सजग और प्रभावी विचारक थे जिन्होंने प्राचीन आर्य संस्कृति के भ्रमित स्वरूप को नए अर्थ प्रदान किए। धर्म-विनय को लोक-जागरण और लोक-कल्याण का ऊर्जावान सारथी सिद्ध किया। धर्म की जटिलताएं दूर की। वे पुरातन काल के पूर्ण जागृतों द्वारा अपनाए गए मार्ग पर चले और कई नए अर्थप्रद रहस्यों को उद्घाटित किया। भिक्षुओं, भिक्षुणियों, साधारण नर-नारियों, उपासकों, समाज के श्रेष्ठियों, पतित और हीन कहे जाने वाले पुरुष और स्त्रियों को उन्होंने सद्मार्ग पर चलने की बात कही।

उन्होंने लोक को बताया कि काल के अधीन होना, सांसारिक बंधनों में बंधे रहना, अविद्या-अचेतनता के कारण है। इन्द्रिय सुख की कामना सर्वदुःखों का मूल है। जब 'विपस्सना' होती है तभी स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है। शांति मिलती है। एक प्रकार से उन्होंने प्रचलित धार्मिक कर्मकांडों और वैदिक मान्यताओं को परिष्कृत किया।

उन्होंने सांसारिक दुःखों से परे मुक्ति के मार्ग की ओर इंगित किया और स्वयं उसका अनुसरण किया। इसी मुक्ति मार्ग के अनुसरण से परम् सम्बोधि प्राप्त करने की बात कही। वृद्धावस्था, रुग्णावस्था और मृत्यु भय से पूर्ण चिन्ता मुक्त वे बुद्ध ज्ञान अथवा बोधि के परम प्रभावों को स्वयं अपने लिए नहीं, लोक अर्पण के लिये प्रस्तुत करते हैं। यही बौद्ध मत भौगोलिक सीमाओं को लांघता विश्व के सभी भागों में फैला।

बुद्ध ने वैदिक कर्मकांडों को अमान्य घोषित किया। आध्यात्म और शीलाचार के मौलिक तथ्यों को माना। परम सात्विक और रागद्वेष रहित भिक्षु-जीवन यापन किया। बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय चिंतन किया।

बुद्ध की धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ती है। अपनी विविध धार्मिक परम्पराओं, मान्यताओं, आदतों, रूढ़ियों और विसंगतियों के बावजूद भारतीय लोक जीवन आज भी बुद्ध को अपना शास्ता मानता है। वे ज्ञान, सत्य और करुणा के सागर थे। पूर्ण ज्ञान अर्जित किया और उसे लोक में बिखेरा, सत्य की खोज की और जनमानस में प्रकाशित किया। प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा, विनय और दान को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय कहा।

बुद्ध ने 'अत्त दीपो भव' का घोष किया। मानव जाति को अपना प्रकाश आप बनो यह बीज मंत्र प्रदान किया। अंधकार में दिग्भ्रमित मानवता को नई राह दिखाई। सूर्य की तरह प्रकाश दिया। पूर्वाग्रहों से मुक्त स्वतंत्र मानव के विकास पर जोर डाला। उपेक्षितों, शूद्रों और निम्न जातियों को अन्तर्मन टटोलने और हीन न समझने की बात कही और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिया। यह एक बड़ी सामाजिक क्रांति कही जा सकती है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में "बुद्ध ने हिन्दुओं के सांस्कृतिक दाय का उपयोग धर्म के कुछ आचारों को शुद्ध करने के लिये किया। वह नष्ट करने के लिए नहीं परंतु अपूर्ण को पूर्ण बनाने के लिये पृथ्वी पर आया। बुद्ध हमारे लिए, इस देश में हमारी धार्मिक परंपरा का एक अलौकिक प्रतिनिधि है। उसने भारत की भूमि पर अपने अमिट पद-चिह्न छोड़े। इस देश की अपनी सारी आदतों और रूढ़ियों के बावजूद देश

की आत्मा पर बुद्ध की छाप है।....बुद्ध द्वारा ब्राह्मण और श्रमण एक से माने गए हैं और यह दोनों परंपरायें धीरे-धीरे घुलमिल गयी हैं। यह कहा जा सकता है कि बुद्ध ही आधुनिक हिन्दुत्व का निर्माता है।''

बुद्धचरित

बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व बैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। बौद्ध वर्ष-पत्रक में यह सबसे पवित्र दिन है। उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 543 वें वर्ष में हुआ था। इस प्रकार वे आठ दशक तक जीवित रहे। भारत में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की पुण्यतिथि मई 1956 की पूर्णिमा के दिन बड़े धूमधाम से मनाई गई थी।

अनेक देशों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी आध्यात्मिक, सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कही गई है। जिस प्रकार चीन में लाओ-त्से और कन्फ्यूसियस, यूनान में परमेनाइडीज और एम्पेडोकल्स का जन्म हुआ। वैसे ही भारत में बुद्ध और महावीर स्वामी प्रवर्त्तक हुए। इन चिंतक, दार्शनिक और धार्मिक नेताओं ने अपने अपने देशों में महान वैचारिक क्रांतियों को जन्म दिया। ढाई हजार साल बीतने पर भी ये सब विचारक आज भी अजर अमर हैं।

बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। बौद्ध वर्ष-पत्रक में यह सबसे पवित्र दिन है। उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 543 वें वर्ष में हुआ था। इस प्रकार वे आठ दशक तक जीवित रहे। भारत में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की ढाई हजारवीं पुण्यतिथि मई 1956 की पूर्णिमा के दिन बड़े धूमधाम से मनाई गई थी।

अनेक देशों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी आध्यात्मिक, सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कही गई है। जिस प्रकार चीन में लाओ-त्से और कन्फ्यूसियस, यूनान में परमेनाइडीज और एम्पेडोकल्स का जन्म हुआ। वैसे ही भारत में बुद्ध और महावीर स्वामी प्रवर्त्तक हुए। इन चिंतक, दार्शनिक और धार्मिक नेताओं ने अपने अपने देशों में महान वैचारिक क्रांतियों को जन्म दिया। ढाई हजार साल बीतने पर भी ये सब विचारक आज भी अजर अमर हैं।

विद्वानों में जन्म तिथि सम्बंधी मतभेद

भगवान बुद्ध की जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। बौद्ध धर्म के मनीषी राहुल सांकृत्यायन ने 'बुद्धचर्या' नामक अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में बुद्ध की जन्म तिथि 563 ई.पू. मानी है। इसी प्रकार डॉ. राधाकृष्णन ने 'इंडियन रिलीजन' में बुद्ध की जन्म तिथि 563 ई पू. मानी है। इसी क्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर बुद्ध की जन्म तिथि 563 ई.पू. निर्धारित करते हैं जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक "बुद्धा एंड हिज धम्मा" में उदधृत किया है। पी. लक्ष्मी नरसू ''दि एसैंस ऑफ बुद्धिज्म'' में बुद्ध की जन्म तिथि 563 ई. पू. लिखते है जिसका अनुवाद भदंत आनन्द कौशल्यायन ने किया है। विदुषी डॉ. मालविका ने अपनी खोजपूर्ण और प्रसिद्ध कृति बौद्ध धर्म में 623 ई. पू. की तिथि को सही माना है। स्मिथ ने महावंस और दीपवंस को आधार मानकर उनके जन्म वर्ष को 623 ई.पू. कहा है। डॉ. धर्मानन्द कौसाम्बी भी इसी तिथि को सही मानते हैं। पी.एल. वैद्य और सी.बी. जोशी का भी यही मत है। लगता है विद्वान दो दलों में विभक्त हैं। लेकिन इससे बुद्ध की श्रेष्ठता और गरिमा पर आंच नहीं आती है।

बुद्ध माता महामाया

'थेरीगाथा' में महामाया की कथा आती है जिसने बुद्ध को जन्म दिया -

बहूनं वतं अत्थाय माया जनपि गौतम व्याधि मरण तुन्नानं दुक्ख करवंध व्यपानुदि

अर्थात् 'बुद्ध को महामाया ने बहुजन कल्याण के लिये जन्म प्रदान किया, जिसने व्याधि और मरण से पीड़ित जनों की दुखराशि को नष्ट किया।'

पालि वाड्.मय के सबसे प्राचीन ग्रंथ 'सुत्त निपात' में कहा गया है–

सोबोधि सत्तो रतनवरो अतुत्योल्मनुस्सलोके हित सुखाय जातो सक्यानं गामे जनपदे लुम्बिनेय्य।

अर्थात् "अतुलनीय (श्रेष्ठ) रत्न सदृश बोधिसत्व ने लुम्बिनी जनपद में शाक्य (कोलियों) के गांव में मनुष्यलोक के हित सुख के लिये जन्म धारण किया।''

बुद्ध माता महामाया की अलग से कोई स्वतंत्र जीवनी नहीं मिलती। उनके कार्यकलापों का विशेष उल्लेख नहीं हैं, हां चमत्कारिक ढंग से बुद्ध द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश का ही उल्लेख पालि साहित्य में वर्णित हुआ है।

बोधिसत्व की माता के विषय में एक अपदान ग्रन्थ में महाप्रजापति गौतमी

का एक अपदान आया है। उसमें वह कहती है।

**'पच्छिमे च भवे दानि जाता देवदहे पुरे।
पिता अञ्जन सक्को में माता मम सुलक्खणा।
ततो कपिलवत्थुस्मिं सुद्धोदनं घरं गता'।**

अर्थात इस अन्तिम जन्म में मैंने देवदह नगर में जन्म धारण किया है। अञ्जन शाक्य मेरे पिता हैं। सुलक्षणा मेरी माता है। जब मैं वयस्क हुई कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के साथ मेरा पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ, मैं शुद्धोदन के घर गई।

इससे स्पष्ट है कि देवदह के प्रतिष्ठितजन अञ्जन शाक्य ने अपनी दूसरी बेटी गौतमी का महामाया के देवलोक गमन के बाद विवाह कर दिया था ताकि बुद्ध का यथावत् पालन-पोषण हो सके। कोलियों और शाक्यों में यह परंपरा अभी तक विद्यमान है।

डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है कि ''शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था उसके पिता का नाम अञ्जन था और मां का सुलक्षणा। अञ्जन कोलिय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था।'' वास्तव में महासम्मत पूर्वज की संतान शाक्य और कोली एक ही पितामह की संतान थे।

माता की कुक्षि में बोधिसत्व का गर्भधारण

जातक (निदान) अट्ठ कथा के अनुसार माता के गर्भ में आने से पूर्व बोधिसत्व ने विचार किया था कि वे जम्बूद्वीप में जन्म धारण करेंगे। इसी में यह कपिलवस्तु नामक नगर है।

आषाढ़ के माह में उस समय जब कपिलवस्तु महोत्सव में मग्न था, आसाढ़ी पूर्णिमा से सात दिन पूर्व से ही देवी महामाया पुष्पगंधों से सुशोभित, मद्यपान विरत, उत्सव लीन, सातवें दिन प्रातः उठ, सुगन्धित जलस्नान और चारलाख का दान दे, सर्वालंकारों से विभूषित, व्रत पालन के नियमों को ग्रहणकर, सुअलंकृत पर्यंक पर लेटी, निद्रित अवस्था में उन्होंने यह मनोहारी स्वप्न देखा-''बोधिसत्व श्वेत सुन्दर हाथी बन, माता की शय्या को तीन बार प्रदक्षिणा कर, दाहिनी बगल चीर, कुक्षि में प्रविष्ट हुए, यह अनुभूति हुई।''

महामाया ने यह स्वप्न राजा को बताया। राजा ने राज ज्योतिषियों और प्रधान पंडितों से स्वप्न विचार पर चर्चा की। उन्होंने एक स्वर से कहा, 'महाराज आपको पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। जो राजप्रासाद में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट, घर के बाहर गया तो महाज्ञानी-परिव्राजक बुद्ध होगा।'

वैशाखी पूर्णिमा आने पर राजा शुद्धोदन से महामाया देवी ने अपने कुलगेह कोलियों की राजधानी देवदह जाने की अनुमति ली। कपिलवस्तु से देवदह तक के मार्ग को राजा ने केलों, पूर्णघट, ध्वज-पताकाओं से अलंकृत करा दिया। जैसे ही महामाया स्वर्णपालकी से लुम्बिनी वन के पास पहुंची उन्हें मोहक शालवन में तनिक विश्राम की दैव इच्छा हुई। पुष्पगंध से सुवासित, भ्रमरगणों से निनादित, पक्षिस्वरों से गुंजायमान् उस शालवन की एक डाल पकड़ कर वे खड़ी हो गईं। प्रसव वेदना शुरू हो चुकी थी। बोधिसत्व नियत पल में अवतार के लिए तत्पर थे। नैसर्गिक मलय पवन चलने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। महामाया ने अवतारी शिशु को जन्म दिया।

बुद्ध प्रशस्तियों के अनुसार शुद्धचित्त महाब्रह्मा ने स्वर्ण जाल में उन्हें ग्रहण करते हुए देवी को सौंपा और कहा कि पुत्र की कामना की अभिलाषा रखने वाली देवी संतुष्ट हों, तुम्हें महाप्रतापी पुत्र जन्मा है। कहा गया बोधिसत्व माता की कुक्षि से मलरहित, मणिरत्न सदृश, निर्मल वस्त्र में आवेष्टित निकलते हैं। धर्मासन से धर्मोपदेशक की भांति पृथ्वी पर पग धरते हैं। देवताओं ने उनका गंध मालाओं से स्वागत किया। उन्हें देख सहस्र चक्रवात रुक गये। सागर ठहर गया, आकाश चूमने झुक आया। बोधिसत्व ने चारों ओर दसों दिशाओं में निहारा। अपने जैसा किसी को न निहार उत्तर दिशा में सात पग गमन किया। सुयामों ने ताल व्यंजन झला। नर पुंगवों की वाणी 'मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ' उच्चारित करते सिंहनाद किया।

महामाया देवदह का विचार त्याग कपिलवस्तु लौट आई। नगर में खुशी की लहर फैल गई। राजा शुद्धोदन के कुल मान्य, आठ समाधियों वाले असित (काल-देवल) ऋषि ने आकाश स्थित देवों से ''बुद्ध'' के जन्म की आकाशवाणी सुनी। तापस राजप्रासाद में अपने भानजे नालक के साथ बोधिसत्व को देखने आए।

तापस असित ने राजा को बताया यह पूर्ण बुद्ध है। इसके समस्त बत्तीस लक्षण बोधिसत्व के हैं जो हजारों साल, अनंतयुगों के पश्चात धराधाम पर अवतरित होते हैं। रोकर बोले यह मेरा दुर्भाग्य है आयु और काल से बंधा मैं अपने जीवन में इस नवजन्में शिशु को बुद्ध होते नहीं देख सकूंगा। ऋषि असित की यह कथा 'सुत्तनिपात' के नालक सुत्त में मिलती है।

कौण्डिन्य नामक अल्पायु के एक तरुण ब्राह्मण ने भी बोधिसत्व के अदभुत लक्षणों को देखकर बिना संशय यह कहा कि यह बालक घर में रहने के लिए नहीं अवश्य ही यह विवृत-कपाट बुद्ध होगा। कौण्डिन्य अपने चार ब्राह्मण मित्रों के साथ आगे चलकर जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रव्रजित हुआ और ये पंचवर्गीय स्थविर नाम से विख्यात हुए।

राजा ने शिशु के आगमन के उपलक्ष में राज्य में उत्सव करने का मन बनाया। अचानक महामाया अस्वस्थ हुई और सातवें दिन देवलोक सिधार गई। यही बोधिसत्व की माता की धर्मता कही गई कि जिस कोख से वे जन्म धारण करते हैं वह किसी के उपयोग और पुरुष राग के लिये नहीं होती।

राजा ने सिद्धार्थ गौतम की मौसी महाप्रजापति गौतमी से दूसरी शादी की ताकि बच्चे का ठीक प्रकार से लालन पालन हो। महाप्रजापति की कोख से नंद

नामक एक बालक ने भी जन्म लिया। इस प्रकार शुद्धोदन के घर महामाया की कोख से बुद्ध पैदा हुए जो बोधिसत्व बने। देवदत्त चचेरा भाई था और वह बुद्ध के विरोध में अल्पावस्था से ही उठ खड़ा हुआ था।

लालन-पालन और शिक्षा

कपिलवस्तु के राजप्रासाद में महाप्रजापति गौतमी के लालन-पालन में राजकुमार बुद्ध बड़े हुए। राजा शुद्धोदन पहले से ही ज्योतिषियों की भविष्य वाणियों से आशंकित थे और चाहते थे राजकुमार बुद्ध महल और उद्यान से बाहर ही न निकले।

जब बोधिसत्व कुछ बड़े हुए उनकी विधि पूर्वक शिक्षा प्रारम्भ हुई। 'ललित विस्तर' में उन विद्याओं का वर्णन आता है जिन्हें उन्होंने गुरु से सीखा था। उन्हें शास्त्रों की सभी शिक्षाएं, अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान कराया गया। धर्म, दर्शन, ज्योतिष और अंततः राजधर्म बताया गया। बचपन से ही उनमें ध्यान भावना की प्रवृत्ति घर कर गई थी। एक बार कपिलवस्तु में बप्पमंगल (खेत बोने का उत्सव) मनाया जा रहा था। सभी ने नए वस्त्र पहिने। राजा का हल स्वर्ण मंडित था। शुद्धोदन अपने खेतों में एक सहस्र हल चलवाने के उत्सव का संचालन करने आए थे। राजकुमार बुद्ध भी आये थे। सब लोग उत्सव में मग्न हो गए। राजकुमार बुद्ध एक जम्बुवृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में निमग्न हो गये। वहां सभी वृक्षों की छायाएं घूम गईं-लंबी हो गईं। राजकुमार जहां ध्यानावस्थित थे वहीं छाया नहीं घूमीं। इस चमत्कार को सभी ने देखा।

जब बोधिसत्व कुछ बड़े हुए उनकी विधि पूर्वक शिक्षा प्रारम्भ हुई। 'ललित विस्तर' में उन विद्याओं का वर्णन आता है जिन्हें उन्होंने गुरु से सीखा था। उन्हें शास्त्रों की सभी शिक्षाएं, अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान कराया गया। धर्म, दर्शन, ज्योतिष और अंततः राजधर्म बताया गया। बचपन से ही उनमें ध्यान भावना की प्रवृत्ति घर कर गई थी। एक बार कपिलवस्तु में बप्पमंगल (खेत बोने का उत्सव) मनाया जा रहा था। सभी ने नए वस्त्र पहिने। राजा का हल स्वर्ण मंडित था। शुद्धोदन अपने खेतों में एक सहस्र हल चलवाने के उत्सव का संचालन करने आए थे। राजकुमार बुद्ध भी आये थे। सब लोग उत्सव में मग्न हो गए। राजकुमार बुद्ध एक जंबूवृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में निमग्न हो गये। वहां सभी वृक्षों की छायाएं घूम गईं-लंबी हो गईं। राजकुमार जहां ध्यानावस्थित थे वहीं छाया नहीं घूमीं। इस चमत्कार को सभी ने देखा।

शुद्धोदन ने राजकुमार के रहने के लिए तीन ऋतु प्रासाद बनवाए थे। उनमें भोग विलास के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए गए थे। वहां रूपमती और दक्ष नाट्य करने वाली अप्सराओं जैसी चंचल किशोरियां थीं। गायन-वादन करने वाली स्त्रियां थीं। सुस्वादु भोजन, फल, पुष्प, चंदन, गंध सेवित वातावरण और महासंपत्ति का उपयोग करते हुए राजकुमार बड़े हुए। हृदय और मन से राजकुमार भोगों में परिलिप्त नहीं रहे। यह चीजें उनके ऊपर थोपी गई थीं। उनकी स्थिति कमल जैसी थी जो कीचड़ से ऊपर रहता है।

यशोधरा से विवाह

एक दिन शाक्यों की परिषद में राजकुमार बुद्ध की चर्चा छिड़ी कि वे भोगों में लिप्त हो रहे हैं, कला कौशल नहीं सीख रहे। राजधर्म के अनुसार अस्त्र-शस्त्रों की विद्या में पारंगत नहीं हो रहे। शाक्यों ने राजा को सलाह दी अब वे वयस्क हो गए हैं अतः उनका पाणिग्रहण भी कर देना समीचीन और समयानुकूल होगा। राजा को यह उचित अवसर लगा। राजपुरोहित को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वे आस-पास के जनपदों में समकक्ष कुलीन परिवार की कन्या खोजें। पुरोहित ने दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा को राजकुमार के योग्य पाया। लेकिन शाक्य राजवंश परंपरा के अनुसार राजा अन्य विवाह योग्य कन्याओं में से चुनाव करने के पक्ष में थे। साथ ही यह भी चाहते थे कि राजकुमार को ही कन्या-वरण का सुअवसर क्यों न प्रदान किया जाय? एक सप्ताह पश्चात् राजप्रासाद में विवाह योग्य कन्याओं को आमंत्रित किया गया। यशोधरा राजकुमार के सौन्दर्य और तेजस्विता को सहन नहीं कर पाई और दोनों एक दूसरे की ओर प्रथम दृष्टि में आकर्षित हो गए। राजकुमार ने उपहार में अपनी अंगूठी यशोधरा को अर्पित कर दी।

शाक्यों ने जान लिया राजकुमार बुद्ध ने यशोधरा का वरण कर लिया है। लेकिन कुछ शाक्यों की तरह दंडपाणि को शंका थी कि राजकुमार विद्याओं,

कला-शिल्प, रणकौशल तथा बाहुबल में भी प्रवीण हैं या नहीं।

'ललित विस्तर' के अनुसार राजकुमार बुद्ध ने लिपि ज्ञान, गंजारोहण, अश्वारोहण, बाणविद्या, मल्लयुद्ध, संगीत, नृत्य, ललित कला, काव्य, ग्रन्थ, ज्योतिष, राजधर्म सभी में अपनी पटुता का प्रदर्शन किया और उन्हें विजयी घोषित किया गया। जाति वालों ने उनके बारह प्रकार के शिल्प प्रदर्शन देखे ऐसा बुद्धचर्या में है। सरभंग जातक में उन बारह प्रकार की प्रचलित कलाओं का उल्लेख है जिनका शिल्पप्रदर्शन राजकुमार ने किया था। अब शाक्य और कोलियों के देश में फैला यह भ्रम दूर हो गया कि राजकुमार बुद्ध भोग में लिप्त रहने वाला तरुण नहीं वरन् सभी विद्याओं में निष्णात है। स्वयं शुद्धोदन और महाप्रजापति गौतमी को उनकी हर कला-कौशल में सर्वश्रेष्ठता जानकर आश्चर्य हुआ। बड़ी धूमधाम से राजकुमार बुद्ध की यशोधरा के साथ शादी हो गई। दोनों बड़े आनन्द पूर्वक रहने लगे।

बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण

भगवान बुद्ध के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह प्रसंग है जब वे अपने प्रासाद से उद्यान स्थल की ओर प्रयाण करते हैं। शुद्धोधन और अमात्यों ने यह प्रबंध कर रखा था कि राजकुमार बुद्ध के राजमार्ग में कभी भी कोई पीड़ित, वृद्ध या मृत व्यक्ति न आए। ऐसी कोई घटना घटित न हो जिससे वे उद्विग्न हों।

इस बीच उनका वैवाहिक जीवन ठीक प्रकार से चल रहा था। शुद्धोधन निश्चिन्त थे कि अब वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा न कि सम्यक् सम्बुद्ध।

अपशकुन

अचानक एक दिन राजकुमार ने पुष्पित राज उद्यान में जाने की इच्छा प्रकट की और सारथी से रथ जोतने को कहा। सारथी ने श्वेत कमल पत्र के रंग वाले चार मंगल सिंधुदेशीय अश्व अलंकृत रथ में जोते और राजकुमार को बिठाकर राजमार्ग से उद्यान की ओर चल पड़ा।

देवताओं ने उचित समय जान राजकुमार बुद्ध को पूर्वशकुन दिखाने के लिए सोचा। 'प्रथमतः उन्होंने जरा से जर्जर टूटे दांत, पके केश, टेढ़े झुके शरीर और हाथ में लकड़ी लिए हुए एक वृद्धपुरुष देखा। सारथी ने बताया सभी को एक दिन बुढ़ापा सताता है। राजकुमार ऐसे बूढ़े व्यक्ति को देखकर उद्विग्न चित्त राजप्रासाद में लौट आए। राजा ने पक्का प्रबन्ध किया कि आगे से राजकुमार के राजमार्ग में ऐसे पतित व्यक्ति न पड़ें।'

कुछ दिन पश्चात राजकुमार पुनः राज उद्यान में भ्रमण के लिए रथारूढ़ हो निकले। लेकिन इस बार राजपथ में उन्हें एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति दिखाई दिया। सारथी ने कहा, आयुष्मान! यह स्थिति सबकी होती है। राजकुमार विचलित हो गए और महल में वापिस आ गए।

तीसरी बार उद्यान जाते समय राजमार्ग में उन्हें एक मृत शवयात्रा दिखाई दी। सारथी ने कहा यही परम सत्य है। सबको एक दिन मृत्यु का ग्रास पात्र बनना है। राजकुमार अधीर हो गए। सोचने लगे कि आज जो सर्व सुख भोग रहा हूँ, नाना प्रकार के साधन उपलब्ध है, राजभोग, पत्नीसुख, सभी कुछ मिला हुआ है, क्या क्षणिक है और संसार असार है? उनके मन में विरक्ति भाव जोर मारने लगे।

फिर एक दिन राजकुमार ने राजपथ में जाते समय प्रव्रजित व्यक्ति को देखा। सारथी से पूछा "सौम्य" यह कौन है? "सारथी" ने बताया, देव! यह परिव्राजक है। सन्यासी है। जीवन के सब राग-रंग, प्रमाद छोड़ चुका है।

'दीर्घ निकाय' के प्राचीन आचार्य (दीर्घमाणक) यह बताते हैं कि राजकुमार ने देव-रचित यह चार अपशकुन एक ही दिन में देखे थे और उन्हें देख उनके मन में पूर्ण विरिक्त का भाव जाग्रत हुआ। जब बुद्ध महाभिनिष्क्रमण का विचार कर रहे थे तभी उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। यशोधरा ने प्रथम प्रसव किया। वे बोले, 'राहुल पैदा हुआ, बंधन पैदा हुआ।' भाव विभोर राजा ने समझा राहुल कुमार कहा है।

किसा गौतमी

उस सायंकाल राजकुमार ने पुष्करिणी में जल स्नान किया। नाना प्रकार के सुन्दर वस्त्र और राजोचित आभूषण धारण किए। वे श्रेष्ठ रथपर आरूढ़ नगर परिक्रमा को निकले। उनके रूप और सौन्दर्य पर मुग्ध किसा गौतमी नामक कन्या ने हर्ष में कुछ शब्द कहे। बुद्ध ने सुना तो सोचा यह कह रही है इस प्रकार के स्वरूप को देखते माता का हृदय शांत होता है, पत्नी का हृदय शांत होता है, पिता का हृदय शांत होता है" पर किसके शांत होने पर हृदय परम शांत होता है? मल (विकार) रहित हृदय का बोधिसत्व को ख्याल आया। उसके प्रिय वचन उन्हें निर्वाण प्राप्ति के उत्प्रेरक शब्द लगे। दृढ़ निश्चय कर लिया आज रात को अन्तिम प्रहर में प्रव्रजित हो, सत्य की खोज में लगना चाहिए। उन्होंने एक लाख मुद्रा मूल्य का मोती का हार गले से उतार किसा गौतमी के पास भेज दिया यह जानकर कि "वही उसकी गुरु है और यह हार उसकी गुरुदक्षिणा होगी।"

अश्वराज कन्ढ़क और गृहत्याग

जब वे अपने प्रासाद में पहुंचे तो नित्य की भांति अत्यन्त रूपवान सुन्दरियों ने अनेक वाद्य यंत्रो' की ध्वनि पर नृत्य गायन आरम्भ किया। लेकिन कुछ समय पश्चात् उन्हें तुरन्त नींद आ गयी। उनका मन रागादि विहीन हो गया था, मलों से विरक्त चित्त होने के कारण नृत्य, गायन-वादन आदि रागरंग उन्हें व्यर्थ का प्रलाप लगा।

उन्होंने कन्ढ़क को जगाया। कन्ढ़क से कहा "मैं आज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ। मेरे लिये एक घोड़ा तैयार करो।" अश्वराज कन्ढ़क को सज्जित किया गया। वह प्रसन्न मन हिनहिनाय। स्वामी आज महाभिनिष्क्रमण के इच्छुक होंगे।

राजकुमार राहुत माता के आवास

में गए। शयनागार का द्वार खोल नवजात शिशु को निहारा। जातक कथाओं में आता है राहुल उस समय एक सप्ताह के हो चुके थे। आसाढ़ पूर्णिमा की रात्रि को विमल चित्त गौतम महल से नीचे उतरे। कन्ढ़क से बोले, तात आज तू मुझे उस पार उतार दे मैं तेरी सहायता से बुद्ध होकर, देवों सहित समस्त लोक का उद्धार करूंगा। मेरे साथ तेरा नाम भी अमर हो जाएगा।

एक ही रात में तीन राज्यों (कपिलवस्तु, शाक्य जनपद, देवदह और रामग्राम, कोली जनपदों) की सीमा लांघकर तीस योजन अनोमा नदी के तट पर पहुंच गए। बुद्ध ने वस्त्राभूषण उतार कर कन्ढ़क को सौंप दिए। फिर खडग से केश काट लिए। जिन्हें त्रयस्त्रिंश के देवताओं ने ग्रहण कर लिया। उनके पास परिव्राजक के वस्त्र नहीं थे। महाब्रह्मा ने उनके चित्त को जान आठ परिष्कारों-(तीन चीवर, पात्र, छुरी, सूई, कायबंधन और जल छानने का वस्त्र) को लाकर अर्पित किया। जब उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की उनकी आयु 29 वर्ष की थी।

गृह त्याग के अन्य कारण

कुछ बौद्ध विद्वानों का मत है कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने चार अपशकुनों को देखकर गृह त्याग नहीं किया वरन् स्वजनों के पारस्परिक झगड़ों से क्षुब्ध होकर घर छोड़ा था। कपिलवस्तु शाक्यों का गणतंत्र था। वयस्क होने पर हर शाक्य युवक को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था। शाक्य संघ की सदस्यता सभी के लिए अनिवार्य थी। शाक्यों की मंत्रणा परिषद की बैठक सभागार में होती थी। जब गौतम 20 वर्ष के हुए उन्हें दीक्षित करने के लिए अमात्य के जरिए शुद्धोदन ने सभा की बैठक आयोजित की। गौतम को शाक्य संघ में प्रवेश प्रदान करने के प्रस्ताव को तीन बार दोहराया गया और सेनापति द्वारा प्रस्तावित शाक्य संघ की सदस्यता का प्रवेश प्रस्ताव पारित हो गया तथा गौतम शाक्य परिषद के सदस्य घोषित हुए। विधिवत् गौतम बुद्ध को उसके अधिकार और कर्त्तव्यों का ज्ञान कराया गया कि वह तन, मन, धन से शाक्यों के हित की रक्षा करेगा। संघ की सभाओं में उपस्थित रहेगा। बिना भय और पक्षपात किसी भी शाक्य के दोष बताने में नहीं चूकेगा। उन्हें यह भी बताया गया कि किसी सदस्य द्वारा व्यभिचार, अनाधि भोजन हत्या, चोरी और झूठ साक्ष्य देने पर उसे संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा।

गौतम बुद्ध लगभग आठ वर्ष संघ के सदस्य रहे। संघ की सदस्यता नियमों का पालन करते रहे। आठवें वर्ष में शाक्य और कोलियों की सीमा के मध्य रोहिणी नदी के पानी को सिंचाई हेतु लेने पर पहले दोनों पक्ष के कम्मकर विवाद में उलझे, फिर झगड़ा इतना बढ़ गया कि शाक्य सेनापति को कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। गौतम बुद्ध ने शाक्य-परिषद में इसका कड़ा विरोध किया कि शाक्य-कोली आपस में संबंधी हैं, पड़ोसी राज्य के निवासी हैं। इसलिए परस्पर संघर्ष नहीं करना चाहिए। सेनापति की प्रस्तावित युद्ध घोषणा का शाक्य परिषद ने पूरा-पूरा समर्थन किया और गौतम बुद्ध को दण्डित करने की तीन शर्तें या विकल्प रखे जिसके अनुसार (1) उसे अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना चाहिए (2) फांसी या देश निकाले के लिए तैयार रहना चाहिए, अथवा (3) अपने परिवार के सामाजिक बहिष्कार और सम्पत्ति जिसमें खेत वगैरह भी शामिल थे उसकी जब्ती के लिए तैयार रहना चाहिए। तदनुसार गौतम ने संघ को संबोधित किया और दूसरे प्रस्ताव के प्रति सहमति प्रकट करते हुए देश निष्कासन के लिए तैयार हो गए। इससे राजा शुद्धोदन के राजपरिवार में हाहाकार मच गया।

बुद्ध के परिव्राजक बनने का यही मुख्य कारण था। इससे कौशल नरेश की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। क्योंकि उसकी सहमति के बिना देश निष्कासन संभव नहीं था। वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता था। धर्मानंद कौसाम्बी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर शाक्य कोलियों के मध्य युद्ध की घोषणा और करुणा-दया के सागर गौतम बुद्ध, द्वारा शांति हेतु मध्यस्थता जनित परिव्राजक होने की परिस्थिति को ही मूल कारण मानते हैं। वैसे गौतम बुद्ध में स्वभावतः सांसारिक मलों, रागद्वेषादि से निवृत्ति पाकर सत्य की खोज और सम्यक सम्बुद्ध होने की जन्म से ही प्रबल धारणा बन गई थी।

'बौद्ध सुत्त' में भगवान ने स्वयं गृह त्याग की घटना का स्पष्ट उल्लेख किया है।

राजगृह में प्रवेश

'बुद्धचर्या' के अनुसार तब बोधिसत्व प्रव्रजित हो अनसूईया नगर के आम्रवन में एक सप्ताह प्रव्रज्या सुख में व्यतीत कर एक ही दिन में तीस योजन पैदल यात्रा करके राजगृह पहुंचे। पूरा नगर बोधिसत्व के मनोहारी देवतुल्य रूप को देखकर संक्षुब्ध हो गया। राजपुरुषों ने राजा को बताया-'देव! इस रूप का एक पुरुष नगर में भिक्षा मांग रहा है, देव है या मनुष्य, नाग है या गरुण, हम नहीं जानते। राजा (बिंबिसार) ने कहा, 'देखो यदि अमनुष्य हुआ तो नगर से बाहर जाकर अंर्तध्यान हो जाएगा, यदि देव है तो आकाश से चला जाएगा, यदि नाग है तो पृथ्वी में डुबकी लगा लुप्त हो जाएगा और यदि मनुष्य है तो मिली भिक्षा का भोजन करेगा।

बोधिसत्व नगरद्वार से बाहर निकल पांडव पर्वत की छाया में पूरब मुख बैठ भिक्षा में प्राप्त भोजन करने लगे। उस समय उनके आंत मुंह से निकलते जैसे लगे। यह ऐसा क्षुद्र भोजन था जिसे पूर्व में उन्होंने आंखों से भी नहीं देखा होगा। प्रतिकूल भोजन से दुखी अपने आप को स्वयं समझाया और विकार रहित हो भोजन किया।

राजा (बिंबिसार) को जब यह पता चला कि वह उनकी सरचेष्टा से प्रसन्न, बोधिसत्व को अपने सभी ऐश्वर्य

अर्पण के लिए उदयत हुआ। बोधिसत्व ने कहा, ''महाराज न मुझे वस्तु कामना है, न भोगकामना, मैं महान बुद्धज्ञान (अभिसम्बोधि) हेतु निकला हूँ।'' राजगृह के शासक राजा (बिंबिसार) ने उत्तर से संतुष्ट होकर बड़े विश्वासपूर्वक कहा जब तुम बुद्ध बनो पहले मेरे राज्य में आना। बोधिसत्व ने राजा को वचन दिया और विदा ली।

आलार कालाम और उद्रक रामपुत्र से भेंट

भगवान् बुद्ध सम्बोधि प्राप्त करने से पूर्व राजगृह से सीधे आलार कालाम और उद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचे थे। दोनों आचार्य समाधि-मार्ग सिखाते थे। आलार कालाम समाधि की सात सीढ़ियां (विधियां) बताता था। उद्रक रामपुत्र एक श्रेणी आगे आठ सीढ़ियां बताता था। बुद्ध ने समाधि मार्ग सीखने का यत्न किया। लेकिन उन्हें पता चला कि समाधि मार्ग मोक्ष प्राप्ति का साधन हो सकता है, ध्यान-मनन और योग की अवस्था हो सकती है लेकिन इसके जरिए सम्यक् सम्बोधि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वे बीच में ही समाधि मार्ग प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर उनके पास से चले आए। धर्मानंद कौसाम्बी का मत है कि उन दिनों शाक्य-कोली राजाओं और प्रजाजनों में आलार कालाम की ख्याति थी और उसके एक शिष्य भरण्डु कालाम का कपिलवस्तु में आश्रम भी था। उद्रक रामपुत्र के शिष्य का आश्रम भी महान कोली राजाओं के देश के पास था।

उरुवेला में प्रवेश

बोधिसत्व समाधि को छोड़ देवों और सभी लोकों को अपना बल वीर्य प्रदर्शित करने और परमतत्व की प्राप्ति हेतु उरुवेला में पहुंचे। ''यह प्रदेश रमणीय है'' ऐसा उन्होंने सोचा और वहीं ठहर महान तप आरम्भ किया। इसकी धूम लोकों में फैल गई।

पंचवर्गीय परिव्राजकों का आगमन

संयोगवश कौण्डिन्य आदि पांच परिव्राजक भी ग्राम-नगर भ्रमण करते बोधिसत्व के पास पहुंचे। छः वर्ष तक वे आश्रम में बोधिसत्व के पास सेवा कार्य करते रहे इस आशा में कि ''गौतम अब बुद्ध होंगे।''

दुष्कर तपस्या में गौतम बुद्ध निराहार तक पहुंच गए। देवताओं ने ऐसी अवस्था में रोमकूपों से उनकी काया में ओज डाला। वे दुर्बल काय, कनक वर्ण से कृष्णकाय, शरीर क्लेश-पीड़ित एवं श्वास अवरोधन से अचेत हो गए। कुछ देवताओं ने कहा-''श्रमण गौतम मर गए।''

तब उन्होंने विचार किया दुष्कर तप बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग नहीं और तब स्थूल आहार ग्रहण करने के लिए ग्राम-नगर से भिक्षाटन में प्रवृत्त हुए। पुनः उनकी काया स्वर्ण वर्ण हो गई। पंचवर्गीय परिव्राजक उनका साथ छोड़ गए कि यह तपस्वी पथभ्रष्ट है, ग्रामादि से भिक्षा द्वारा आहार ग्रहण करता है और छः वर्ष की दुष्कर तपस्या से बुद्ध नहीं बन सका तो आगे क्या बुद्ध बनेगा? परिव्राजक अपने अपने पात्र, चीवर उठा अठारह योजन दूर 'इसिपतन' चले आए। बुद्ध द्वारा समाधि, तपश्चर्या, निराहार रहना, हठयोग, राजयोग आदि का वर्णन 'महासुच्चक सुत' में किया गया है।

भगवान् ने सुच्चक से कहा, 'हे अग्निवेस्सन! मेरे शाक्य पिता के खेत में जब काम चल रहा था मैंने जम्बूवृक्ष की सुशीतल छांह में बैठकर बाल्यावस्था में ध्यान समाधि से बोध प्राप्त कर लिया था। मेरे मन में बोध जगा कि कुशल विचारों से भोग-विलास की वस्तु के उपभोग बिना जैसे सुख की प्राप्ति होती है उससे मैं क्यों डरूं। तभी निश्चय कर लिया था कि इस आनन्द-सुख की उपलब्धि से भय नहीं करूंगा। परन्तु वह आनन्द (सुख) अत्यन्त कृशकाया से प्राप्त नहीं होगा। अतः थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करने का व्रत लिया। पांचों परिव्राजक भी साथ छोड़ गए कि अब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तपश्चर्या की जगह सीधे सादे ध्यान मार्ग से तत्व बोध प्राप्त कर लेने में अब अटल विश्वास जागा। 'बोधिसत्व' को परम ज्ञान प्राप्त किए जाने के संदर्भ में 'बुद्धचरित' और अन्य पालिग्रन्थों में विशद काव्यात्मक वर्णन मिलता है।

नया बोध : सुजाता की खीर

'बुद्धचर्या' के अनुसार उस समय उरुवेला प्रदेश में सेनानी नामक कस्बे में बड़े गृहस्थ कृषक के घर में उत्पन्न सुजाता नामक कन्या ने तरुणी होने पर एक वृक्ष से प्रार्थना की थी कि ''वह समान कुल के घर में विवाह होने और प्रथम गर्भ में पुत्र प्राप्त होने पर प्रतिवर्ष एक लाख के खर्च से पूजा करेगी।'' उसकी प्रार्थना पूर्ण होने पर वैशाख पूर्णिमा को पूजा कर्म की इच्छा से उसने पहले हजार गायों को यष्टि-मधु (जेठी मधु) के वन में चरवाकर उनका दूध अन्य पांच सौ गायों को पिलवाया, फिर उनका दूध ढाई सौ गायों को पिलवाया। इस तरह पिलवाते पिलवाते सोलह गायों का दूध आठ गायों को पिलवाया और उस अत्यन्त मधुर गाढ़े दूध से पूजाकर्म हेतु नए पात्र में खीर बनाई। इस बीच सुजाता ने पूर्णा नामक दासी को वट वृक्ष के नीचे का स्थान पहले से साफ करने को भेज दिया। बोधिसत्व गत रात में पांच महास्वप्नों को देख आश्वस्त थे कि मैं निःसंशय आज बुद्धत्व प्राप्त करूंगा। उन्होंने भोर में ही नित्यकर्मों से निवृत्त, भिक्षा काल जान वृक्ष के नीचे आसन जमाया और अपनी प्रभा से सारे वृक्ष को प्रभावित किया।

दासी पूर्णा ने वृक्ष के नीचे तेजस्वी बुद्ध को देखा और सोचा वृक्ष देवता स्वयं प्रसन्न हो पूजा स्वीकार (ग्रहण) करने बैठे हैं। यह बात उसने अपनी स्वामिनी सुजाता को बताई। उसने पूर्णा को उपहार दिए और अपनी ज्येष्ठ पुत्री मानने की बात कही। कांतिमान बोधिसत्व को देखकर सुजाता अत्यन्त प्रसन्न हुई और स्वर्णथाल

में लाई हुई खीर और स्वर्णपात्र में लाया हुआ जल उन्हें समर्पित किया। सुजाता ने कहा, 'आर्य! इसे यथा रुचि ग्रहण करें।' फिर भगवान् बोले 'जैसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ ऐसे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो' और लाख मुद्रा के उस थाल को पत्तल की भांति छोड़कर चल दिए। वृक्ष की प्रदक्षिणा की, थाल को निरंजना नदी के तीर पर लाकर रखा, जल में स्नान किया और उन्चास ग्रास उस मधुर पायस को ग्रहण किया तथा स्वर्ण थाल नदी में फेंक दिया। यही उन्चास ग्रास बुद्ध होने के बाद वाले उन्चास दिनों का आहार हुआ। इतने काल तक भगवान् ने न आहार, न स्नान, और न मुख प्रक्षालन किया।

बोधिसत्व नदी तीरे पुष्पित शालवन में दिन में विहार कर सायंकाल 'बोधिवृक्ष' के पास गए। उस समय श्रोतिय नामक घसियारे ने महापुरुष को आठ मुट्ठी तृण दिया। तृण ले वे बोधिमंड पर चढ़, प्रदक्षिणा कर पूर्व दिशा में जा पश्चिमोन्मुख हुए। बोले, 'यह सभी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है, दुख-पंजर के विध्वंसन का स्थान। उन्होंने तृणों के अग्रभाग को हिलाया तो आसन बन गया। बोधिवृक्ष को पीठ की ओर करके दृढ़ चित्त, निर्मल हृदय, अटल विश्वास के साथ सम्यक-सम्बोधि के लिए तथागत पद्मासन लगा ध्यान मग्न हुए।

मार ने बुद्ध को डराने-डिगाने के लिए वायु, वर्षा पाषाण, अस्त्र-शस्त्र, प्रज्वलित राख, बालू, कीचड़, अंधकार-वृष्टि की। बोधिसत्व ने कहा, ''मार तूने न दस पारमिताएं पूरी की हैं, न उप पारमिताएं, न परमार्थ-पारमिताएं, न पंच महान त्याग, न जाति हित का काम, न लोक हित का काम, न ज्ञान का आचरण। इसलिए यह आसन बोधिसत्व के लिए है।''

मार ने फिर महापुरुष से प्रश्न किया- ''सिद्धार्थ! तूने दान.....दिया है, इसका साक्षी कौन है? 'यह अचेतन ठोस पृथ्वी', उनका गंभीर उत्तर था। अंततः मार अंतर्ध्यान हो गया। इस सुत्त का 'ललित विस्तर' के अठारहवें अध्याय में वर्णन आया है।

चित्त विकारों पर विजय-दिव्य ज्ञानानुभूति

बोधिसत्व ने कामोपभोग (अरति), भूख-प्यास (तृष्णा), आलस्य, भीति, कुशंका, अभिमान (गर्व) लाभ, सत्कार, पूजा और असत्य मार्ग से अर्जित कीर्ति जिसके कारण मानव आत्मस्तुति और परनिंदा करता है। इन दस विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त की। केवल अर्हत बोधिसत्व ही इन मनोविकारों पर विजयी होते हैं। प्रथम प्रहर में उन्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ। द्वितीय याम में दिव्यचक्षु और अन्तिम याम में प्रतीत्यसमुत्पाद ज्ञान की उपलब्धि हुई।

बोधिसत्व एक सप्ताह बोधिवृक्ष के नीचे एक आसन में बैठे विमुक्ति के सुख का रसास्वादन करते रहे। सप्ताह बीतने पर समाधि से उठे और बोधिवृक्ष के नीचे से अजपाल नामक बरगद के वृक्ष के पास गए। उसके नीचे वे एक सप्ताह ध्यान मग्न बैठे। एक (अभिमानी) ब्राह्मण ने उनसे ब्राह्मण की परिभाषा पूछी। उन्होंने कहा पाप रहित, अभिमान रहित, ज्ञान-विज्ञान में पारंगत दृष्टा ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हो सकता है।

बोधिसत्व एक सप्ताह बोधिवृक्ष के नीचे एक आसन में बैठे विमुक्ति के सुख का रसास्वादन करते रहे। सप्ताह बीतने पर समाधि से उठे और बोधिवृक्ष के नीचे से अजपाल नामक बरगद के वृक्ष के पास गए। उसके नीचे वे एक सप्ताह ध्यान मग्न बैठे। एक (अभिमानी) ब्राह्मण ने उनसे ब्राह्मण की परिभाषा पूछी। उन्होंने कहा पाप रहित, अभिमान रहित, ज्ञान-विज्ञान में पारंगत दृष्टा ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हो सकता है।

इसके पश्चात भगवान् बुद्ध मुचलिन्द वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे। असमय महामेघ और ठंडी हवाओं ये युक्त बदली ने भयभीत करने की चेष्टा की। मुचलिन्द नामक नागराज ने उनके शरीर को सात बार लपेटा, फिर सिर के ऊपर बड़ा फन फैलाकर खड़ा हो गया ताकि शीत, उष्ण, डंस, मच्छर, वात-धूप, सरीसृप उनके शरीर का स्पर्श न कर पाएं। सप्ताह पश्चात् वह नागराज मेघरहित आकाश देख भगवान् के शरीर से हट गया।

फिर भगवान् सप्ताह बीतने पर राजायतन वृक्ष के नीचे गए और विमुक्ति का आनन्द लेने के लिए आसन लगाया। संयोगवश उस समय दो व्यापारी आए 'उनके साथ माल से लदी पांच सौ बैलगाड़ियां थी। उन्होंने तपस्वी को लड्डू और मट्ठा अर्पित किया कि-भंते इसको स्वीकार करें। मधुपिंड ग्रहण करने के लिए भगवान् के पास कोई भिक्षा पात्र नहीं था। जब वह इतना सोच रहे थे कि तथागत हाथ में भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते, तभी चारों दिशाओं से पत्थर के चार भिक्षापात्र आ गए।

सर्वप्रथम तपस्सु-भल्लिक बंजारे भगवान और धर्म की शरण में साञ्जलि शरणागत उपासक बने। बौद्ध धर्म परंपरा में वे दोनों वचन से प्रथम उपासक हुए। उन वनजारों ने भगवान से पूजा निमित्त कोई वस्तु मांगी। भगवान ने उन बंजारों को अपने दाहिने हाथ से पवित्र

केश तोड़कर दिए जिनको पूज्य मान उन वनजारों ने अपने नगर में चैत्य की स्थापना की।

पुन: एक सप्ताह बीतने पर भगवान बुद्ध राजायतन के नीचे से अजपाल बरगद के नीचे गए तब एकांत में ध्यानावस्थित चित्त में तर्क-वितर्क उठे कि मैंने घोर तपस्या, ध्यान, चित्त की एकाग्रता और समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करके धर्म को जाना है। संसारी लोग काम तृष्णा में रत हैं। वह जो कार्य कारण रूपी प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त है उसे काम तृष्णा में रमण करने वाली, कामरत जनता कैसे चित्त में उतारेगी? उसे समझेगी या नहीं। लोक कल्याण तभी होगा जब तृष्णा का अंधकार मिटेगा। यदि धर्मोपदेश भी किया और लोग समझ नहीं पाए तो यह उनके लिए अत्यन्त पीड़ादायक बात होगी।

बोधिसत्व के धर्मोपदेश की अनिच्छा और अल्प-उत्सुकता को देख ब्रह्मा ने उनके मन की बात जान, विचार किया कि यदि तथागत, अर्हत्, सम्यक, सम्बुद्ध का चित्त लोक के चित्त सुधार, धर्म प्रचार की ओर प्रवृत्त नहीं हुआ तो लोक नाश हो जायेगा। वे भगवान के सम्मुख प्रकट हुए और प्रार्थना की कि भन्ते भगवान! धर्मोपदेश करें, सुगत! धर्मोपदेश करें। हे शोक रहित! जन्म जरा से पीड़ित, शोकमग्न जनता को धर्मोपदेश करें' अमृत द्वार खोलने वाले हे विमल पुरुष! इस ज्ञात-ज्ञान को बांटें। सर्वत्र नेत्रवाले, धर्मरूपी महल पर चढ़ सर्वलोक को बुद्ध नेत्र से निहारें।

भगवान ज्ञान रूपी अमृत बांटने के लिए अंतत: तैयार हो गए।

गाथा द्वारा भगवान ने कहा जिनके लिए अमृत पट बंद हो गए हैं, जो श्रवणशक्ति होते हुए भी श्रद्धा को त्याग देते हैं, मनुष्यों की वृथा पीड़ा का ख्याल कर जिस उत्तम धर्म को पहले बताना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं धर्मदेशना करूंगा। सब के लिए अमृत के द्वार खोलूंगा।

तब उनके मन में यह विचार आया कि प्रथम धर्मोपदेश आलार कालाम को दें। क्योंकि वे विद्वान, योगी और निष्काम हैं। लेकिन तुरन्त उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सप्ताह पूर्व उनका देहांत हो गया है। फिर तथागत ने उद्दक रामपुत्र को धर्मोपदेश देने का विचार किया, लेकिन उसी रात वह भी मृत्यु के मुख में चला गया। अब उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं का स्मरण किया, जिन्होंने कठिन तपश्चर्या के क्षणों में तथागत की सेवा-सुश्रुषा की थी। तब दिव्य चक्षुओं से ज्ञात किया कि वे वाराणसेय क्षेत्र में ऋषि पतन मृगदाय में विहार कर रहे हैं जो शांत-एकांत साधना क्षेत्र है। उन्हें वाराणसी के मार्ग में उपक आजीवक ने देखा और प्रश्न किया कि आयुष्मान आप कौन हैं, आपके गुरु कौन हैं, आप किस धर्म के अनुयायी हैं?

तथागत ने कहा, मैं सब को पराजित करने वाला, सर्वज्ञ, सभी धर्मों में निर्लेप, सर्वपाप रहित, क्लेश-विकारों से सर्वथा परे, सर्वत्यागी, तृष्णा विमुक्त, सम्यक, सम्बुद्ध, शांति और निर्वाण प्राप्त हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं काशी जनपद में धर्मचक्र प्रवर्तन कर अमृत वर्षा करूंगा। तथागत उस अमृत तुल्य सम्बोधि (ज्ञान) क्षेत्र से यात्रा करते हुए त्वरित गति से ऋषि पतन मृगदाय पहुंचे।

धर्मचक्र प्रवर्तन

जब भगवान चारिका करते इसिपतन मृगदाय पहुंचे पंचवर्गीय भिक्षुओं ने दूर से तथागत को देखा। उन्होंने परस्पर निश्चय किया श्रमण साधना भ्रष्ट बाहुल्य-परायण इधर आ रहा है। इसको न तो अभिवादन करना है, न इसके सत्कार में खड़े होना है, न आसन प्रदान करना है। यदि उचित समझेगा बैठ जाएगा। जैसे-जैसे तेजस्वी तथागत निकट आते गए उनके निश्चय दृढ़ न रह सके। एक ने भगवान का पात्र चीवर लिया, दूसरे ने आसन बिछाया, तीसरे ने पैर धोने का जल (पादोदक) रखा, चौथे ने बैठने हेतु पीढ़ा (पाद पीठ) और पांचवे भिक्षु ने पादकठलिका (पैर रगड़ने की लकड़ी) पास में रख दी। भगवान चारिका से थके हारे आए थे- बैठे, पैर धोए, शांत चित्त आसन पर स्थित हुए।

तथागत ने उन्हें समझाया कि वे पहले भी सम्यक सम्बुद्ध थे, और आज भी वही हैं, वे साधना भ्रष्ट और बहुल-परायण भी नहीं हैं। तीन बार उन पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को आवुस! गौतम कहा, अन्त में उनमें सद्‌बुद्धि जगी। तब तथागत ने उन्हें संबोधित करते हुए धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तथागत ने यह प्रथम धर्मोपदेश आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किया था।

तथागत ने कहा, 'भिक्षुओ! दु:ख आर्यसत्य (उत्तम सच्चाई) है। जन्म भी दु:ख है, जरा भी दु:ख है, व्याधि भी दु:ख है, अप्रियों का संयोग भी दु:ख है, प्रियों का वियोग भी दु:ख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्यता भी दु:ख है, संक्षेप में पांच उपादान स्कंध ही दु:ख हैं। भिक्षुओ! दु:ख कारण आर्य सत्य है। दु:ख निरोध आर्य सत्य है। दु:ख निरोध की ओर जाने वाला मार्ग आर्य सत्य है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यही मध्यम मार्ग है। चार आर्य सत्यों के बोध के पश्चात् मनुष्य के सारे सांसारिक बंधन, दु:ख बोध कट जाते हैं।

भगवान ने भिक्षुओं को धर्म संबंधी कथाएं सुनाईं। अनुशासन किया। तथागत ने आयुष्मान कौण्डिन्य को उपसंपदा प्रदान की। आयुष्मान वप्प और भद्दिय को उपसंपदा दी। तीनों भिक्षु जो भी भोजन भिक्षाटन में लाते उससे सभी लोग जीवन यापन करते। धर्मचर्चा में समय बीतता।

कुछ दिनो पश्चात् आयुष्मान महानाम और अश्वजित को उपसंपदा प्राप्त हुई। उन दिनों वाराणसी के सेठ का यश नामक सुकुमार लड़का कामवासना में प्रवृत्त जीवन व्यतीत करता था। उसके ऋतुओं के अनुसार भोग के लिए तीन प्रासाद थे। एक हेमंत का, एक ग्रीष्म का, एक वर्षा का। एक दिन वर्षाकालिक प्रासाद

में उसने स्त्रियों को रात में विभिन्न रूपों में देखा तो वितृष्णा हो गयी। वह स्वर्ण पादुकाएं धारण कर इसिपतन मृगदाय में भटकता हुआ आया। तथागत ने प्रातः टहलते हुए उसे देखा। तब यश ने अपनी व्यथा बताई। तथागत ने धर्मोपदेश देकर उसे संघ में प्रविष्ट किया। उसका पिता श्रेष्ठी गृहपति भी प्रभु की खोज में वहां आ निकला। तथागत ने उन्हें भी उपदेश दिया। वे भी उपासक बन गए। आयुष्मान यश के चारों गृही मित्रों, वाराणसी के श्रेष्ठी कुल के युवकों-विमल, सुबाहु, पूर्णजित् और गर्वापति ने भी प्रव्रज्या ग्रहण की। तथागत ने कहा – 'भिक्षुओ! आओ धर्म सुआख्यात है। अच्छी प्रकार से दुःख निवारणार्थ ब्रह्मचर्य का पालन करो।' यही उन आयुष्मानों की उपसंपदा हुई।

यश के पचास जनणदीय पुराने कुलीनगृही मित्रों ने धर्म और बुद्ध संदेश के बारे में सुना। वे भी यह जान कि वह धर्म-विनय कदापि छोटा न होगा जिसमें यश और उसके गृही मित्र प्रव्रजित हुए है अतः वे भी संकल्प धारण कर तथागत के समीप आए। बुद्ध ने उन्हें निष्कामना का महात्म्य वर्णन किया। विराग चित्त, धर्म में आस्थावान वे सभी प्रव्रज्या, उपसंपदा के लिए अनुनय विनय करने लगे। तथागत ने उन्हें उपकृत किया। उन आयुष्मानों की उपसंपदा हुई। तथागत ने उन्हें अलिप्त, रहने का उपदेश किया। उनके चित्त आस्रवों से मुक्त हो गए।

उस समय लोक में एकसठ अर्हत थे। वर्षा काल के चार मास ऋषि पतन मृगदाय में व्यतीत हुए। भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, जितने भी बंधन मानुषपाश हैं, मैं उनसे उन्मुक्त हूँ। तुम भी दिव्य और मनुष्य बंधनों से मुक्त होओ, भिक्षुओ! बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकदया से अभिभूत, देव और मनुष्यों के प्रयोजनार्थ, हित के लिए, सुख के लिए चारिका करो। एक साथ विचरण मत करो। भिक्षुओं! आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक धर्म का उपदेश करो। अल्पदोष (अवगुणों) युक्त प्राणी भी हैं। धर्म का श्रवण न करने से उनकी हानि होगी। सुनने से वे धर्म ज्ञाता बनेंगे। भिक्षुओ! मैं भी जहां उरुवेला है, जहां सेनानी ग्राम है, वहां धर्मदेशना के लिए जाऊंगा।''

उस समय नाना जनपदों से अनेक भिक्षु और स्वेच्छा से प्रव्रज्या के इच्छुक लोग आते थे। तथागत के चित्त में विचार आया कि भिक्षु ही प्रव्रजित करें, उपसंपदा प्रदान करें। धर्म संघ को तथागत ने बताया कि प्रव्रज्या-उपसंपदा की क्या विधि अपनानी चाहिए। इसके लिए पहिले सिर-दाढ़ी मुंडवाकर, काषाय वस्त्र पहनकर, उपरना एक कंधे पर कराकर, भिक्षुओं की पाद-वंदना कराकर, घुटनों के बल उकड़ू बैठाकर, तथा तीन बार -यह प्रतिज्ञा पालन कराके –

'बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि'

प्रव्रज्या और उपसंपदा का धर्म कार्य पूर्ण करें।

तथागत ने प्रव्रज्या नियम बताकर धर्मसंघ के साठ भिक्षुओं को अलग-अलग दिशाओं में भेज दिया। स्वयं उरुवेला की ओर चल दिए। मार्ग से हटकर एक वनखंड में वृक्ष की छांव के नीचे विश्राम हेतु बैठे। वहां तीस भद्रवर्गीय मित्र विनोद मग्न थे। इनमें से एक पत्नी विहीन था। वह विलास के लिए वेश्या को लाया था जो उन्हें नशे की उन्मादित अवस्था में देख वस्त्र आभूषण ले पलायन कर गई थी। उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठे तथागत से पूछा, ''भंते! आपने किसी स्त्री को तो नहीं देखा?'' तथागत ने कहा, हे तरुण (कुमारी) स्त्री ढूंढने से क्या लाभ, स्वयं को ढूंढो। वे इतने प्रभावित हुए कि धर्म-विनय वचन सुने और उनकी उपसंपदा हुई। इस प्रकार पूरे उत्तर भारत में भगवान ने धर्म विनय का प्रकाश फैलाया।

बोधिसत्व के वर्षावास

बोधिसत्व स्थिर नहीं बैठते थे। भिक्षु संघ के साथ पूरे देश में देशना, चारिका करते थे। बीस वर्ष तक बुद्ध ने अस्थिर वास किया। जहां-जहां उपयुक्त स्थान था वहीं वे रुके। उन्होंने पच्चीस वर्ष स्थिर वास किया।

वर्षा के कारण आवागमन के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे। जलाशय, कूप, पोखर, नदियां, वन खंड, राजमार्ग पानी से लबालब भरने से यह पता नहीं चलता था कि जल है या भूमि। सांप, बिच्छू, जल के अन्य कृमि कीटों का अलग भय रहता था। कीचड़, दलदल कुछ भी पता नहीं चलता था। गृहस्थों से गांव-गावं या नगरों में भिक्षा दुर्लभ हो जाती थी। इसलिए भगवान वर्षा ऋतु में वर्षावास किया करते थे।

उनके वर्षा वास के स्थान निम्न प्रकार हैं :

प्रथम वर्षावास – इसिपतन मृगदाय में वाराणसी के सारनाथ स्थल में जहां धर्मचक्र प्रवर्तन किया था।

द्वितीय वर्षावास – राजगृह के वेणुवन में किया।

तृतीय वर्षावास-और **चतुर्थ वर्षावास**-भी राजगृह में किया।

पंचम वर्षावास-वैशाली महावन कूटागार शाला में व्यतीत किया।

षष्टम वर्षावास – मंकुल पर्वत पर किया।

सप्तम वर्षावास-त्रयस्त्रिंश भवन में बिताया। ऐसी मान्यता है कि भगवान् ने इन्द्रलोक में पांडुकम्बल शिला पर वर्षावास कर माता महामाया को अभिधर्म पिटक का उपदेश दिया था।

अष्टम वर्षावास-भर्ग देश में सुंसुमार गिरि के भेसकला वन में बिताया। यह स्थान वाराणसी मिर्जापुर जनपद का चुनार क्षेत्र है।

नवम वर्षावास-कौसाम्बी में किया।

दशम वर्षावास–परिलेयक वनखंड में किया।

एकादश वर्षावास–नाला ब्राह्मण के गांव में किया।

द्वादश वर्षावास–वेरंजा में बिताया। उस समय अकाल की स्थिति थी। मथुरा का समस्त आस-पास का इलाका अकाल की पीड़ा झेल रहा था।

त्रयोदश वर्षावास–चलिया पर्वत पर किया।

चतुर्दश वर्षावास–श्रावस्ती जेतवन विहार में बिताया।

पंचदश वर्षावास–अपने पैतृक नगर शाक्य जनपद कपिलवस्तु में बिताया।

षट्दश वर्षावास–आलवी में किया। **सप्तमोदश** राजगृह में किया।

अष्टमोदश–और **नवमोदश वर्षावास** – पुनः चालिय पर्वत पर किया।

बीसवां वर्षावास – पुनः राजगृह में किया।

इस प्रकार प्रथम वर्षावास से बीसवें वर्षावास तक तथागत ने अलग-अलग उपयुक्त स्थानों पर वर्षावास किए।

इक्कीस से पैतालीसवां वर्षावास – भगवान ने अनाथपिण्डिक और विशाखा के श्रावस्ती स्थित जेतवन विहार में शयनासन (निवास स्थान) की तरह बिताया और अपने अधिकांश कल्याणकारी उपदेश दिए।

छियालीसवां और अंतिम वर्षावास वैशाली में बिताया। यहीं भगवान ने अपने महापरिनिर्वाण के स्थल के बारे में आनन्द को बताया था।

भिक्षुसंघ

'तथागत' के भिक्षुसंघ में विरक्त, सर्वथा निर्मल चित्त/पात्र और इच्छुक व्यक्तियों को ही दीक्षा देने का प्रावधान था। 'तथागत' को देख सुनकर कोई भी साधारण-असाधारण व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। लोग स्वयं श्रमण बनने की प्रार्थना करते थे।

भिक्षुसंघ में बुद्ध ने स्त्रियों को भी दीक्षित किया। सर्वप्रथम उनकी क्षीर दायिनी-पोषिका माता (मौसी) महाप्रजापति गौतमी को सशर्त्त सदाचार-शील के नियम-विनियमों के अधीन भिक्षुणी संघ में दीक्षित किया गया था। इसके लिए आनन्द ने भगवान से विशेष अनुरोध किया था। तभी से स्त्रियों के लिए भिक्षुणी बनने, ज्ञान वैराग्य प्राप्त करने के मार्ग खुल गए।

भिक्षु संघ में प्रबुद्ध शाक्य शत प्रतिशत सम्मिलित हुए। देवदह-रामग्राम तथा अन्य कोली जनपदों के लोग भी भारी संख्या में भिक्षु संघ में प्रविष्ट हुए। भगवान बुद्ध विभिन्न जनपदों में गए। परिव्राजक वेश में पैदल ही लम्बी यात्राएं की। अधिकांश श्रावक धर्म उन्होंने श्रावस्ती के जेतवन में बिताया।

भगवान ने नीची जातियों के श्रद्धावान् लोगों, पतित-दुष्ट प्रवृत्तियों के नर-नारियों को सदधर्म बताकर दीक्षित किया।

यशोधरा से भेंट

अन्तिम समय में वे भिक्षुणी मौसी महाप्रजापति गौतमी से मिले। अपने इस जन्म और युवावस्था की संगिनी यशोधरा से मिले। 'उन्हें यशोधरा का मुखमंडल क्रांतिमान, तेजोमय और आभामय दिखा। यशोधरा ने कहा, वे उनके शास्ता हैं। पथप्रदर्शक हैं। शाक्य और कोलियों के साथ पूरी मानव जाति का नाम उजागर करने वाले ज्योतिपुरुष हैं। ऐसे ज्योतिपुरुष जो मानव जाति में न पैदा हुए थे और न होंगे। जन्म धन्य हुआ जो तथागत पधारे।'

बुद्ध ने कहा, 'अब वे थक गए हैं। अस्सी वर्ष के हुए उनका हर क्षण लोक कल्याण और निर्वाण (मोक्ष) की साधना में व्यतीत हुआ है। वे पूर्ण बुद्ध हैं। रागद्वेष से परे। ''तथागत! उसे मालूम है। यह सब वह जानती है'' यशोधरा बोली।

यशोधरा ने आगे कहा, ''तथागत से ही उसे धर्मबल प्राप्त हुआ है। उसने ज्योतिपुरुष से ही अखंड-अनंत ज्ञान की ज्योति शिखा के रूप में जलना सीखा है।''

जितेन्द्रिय, निष्काम और अपरिमित ज्ञान के सूर्य बुद्ध ने कहा, 'अपना प्रकाश आप स्वयं बनो और अपनी शरण भी। यही मेरा लोक संदेश है।'

अब यशोधरा, का स्वर अत्यन्त संयत था। हर शब्द नपा तुला। उत्साह और उत्तेजना से परे, रागद्वेष से विरत। उसने बात जारी रखते हुए कहा, 'आज की रात्रि ही, उसकी अन्तिम रात्रि है अब वह अपने जीवन के सभी बंधनों से उन्मुक्त है।' बुद्ध ने कहा ''यह भी मालूम है।'' बुद्ध कुछ बोलते इससे पहले ही उसने कहा, ''तथागत। मै अपनी शरण आप हूँ।''

पुत्र राहुल से भेंट

एक बार जब राजगृह के वेणुवन में अम्बलट्ठिका उद्यान में शाक्य मुनि तथागत गौतम विचरण करते थे उनकी राहुल से भेंट हुई थी। उपरांत में बुद्ध समाधि से उठे थे। उन्होंने राहुल को देखा तो उसकी ओर गए। राहुल ने आसन बिछाया। पैर धोने के लिए पानी रख दिया। आसन पर बैठ राहुल को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा – "मैत्री का अभ्यास करो। करुणा का अभ्यास करो। सभी सांसारिक पदार्थों की अनित्यता का अभ्यास करो। अहितकारी कार्यों से विरत रहो। अप्रिय संभाषण से विरत रहो।"

राहुल ने कहा, भगवान से ही उसे सम्बल मिला है। वे ही उसके शास्ता हैं। उसका भी जीवन रागद्वेष से परे है।

आहत बुद्ध

सारिपुत्र का जब निर्वाण हुआ बुद्ध आहत हुए। लेकिन स्थिर होकर बोले वह इन्द्रियमयी, करुणा और मैत्री की मूर्ति थे। उसी समय राजगृह में महामोग्गलान की तथागत के विद्वेषियों ने क्रूर हत्या कर दी। भगवान व्यथित हुए। उनके निर्वाण से दो वर्ष पूर्व विड्डूभ हत्यारे ने लगभग 70,000 शाक्यों का कपिलवस्तु आकर भीषण नरसंहार किया था। इससे शास्ता बुद्ध को उसके महा निंदनीय क्रूर कर्म

और अहिंसक कार्यों से भारी दु:ख हुआ। अपने पापकर्मों के कारण विड्डूभ और उसकी हत्यारी सेना अचिरवती नदी में भारी मेघवर्षा और बाढ़ के कारण जल में डूब गई।

जब बुद्ध को एक ही स्थल श्रावस्ती में निवास करना उचित नहीं जान पड़ा वे राजगृह आए। गृध्रकूट पर्वत पर ठहरे। अम्बलट्ठिका गए। नालंदा गए। यहां से मगध की राजधानी पाटली ग्राम (पाटलीपुत्र) गए। भिक्षुसंघ और उपासकों को संबोधित किया। फिर वैशाली आए।

वैशाली धन्य हुई

वैशाली निगंठ नाथपुत्त (महावीर) की जन्म-स्थली थी। जैनमत का प्रमुख गढ़ था। उनके अनुयायी परस्पर लड़ते थे। बहुत से जैन आचार्य और श्रावक बुद्ध से प्रभावित थे। कहा जाता है उस समय वैशाली नगर अनावृष्टि और अकाल से पीड़ित था। तथागत के आते ही मेघवर्षा से पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया। इसलिए वैशालीवासियों ने बुद्ध का बढ़-चढ़ कर स्वागत किया। वैशाली के वेणुवन में भगवान का छियालीसवां और अन्तिम वर्षावास था। भगवान ने यहीं वैशाली के निवासियों को उपदेश दिए। अब वे थक गए थे। शरीर वह व्याधियां झेल रहा था जिन्हें युवावस्था में कपिलवस्तु के राजमार्ग से उद्यान जाते समय देवताओं ने अपशकुन के रूप में उन्हें दिखाया था। वैशाली छोड़ते समय भगवान क्षण भर रुके। उसे नयनों से निहारा और कहा आनन्द अब वैशाली की यात्रा अन्तिम यात्रा होगी।

वैशाली से भगवान मंड ग्राम आए। वहां से हट्टी और भोगनगर। पावा जो मल्लों की दूसरी राजधानी और जैन मत का गढ़ था वहां रुके। यहीं महावीर का परिनिर्वाण हुआ था। पावा में चुंद सोनार के आम्रवन में विश्राम किया। और दूसरे दिन भिक्षुसंघ सहित भोजन किया। चुंद का तैयार किया भोजन उन्हें अनुकूल नहीं आया। वे रोग ग्रस्त हो गए। रक्तस्राव, मर्मांतक वेदना हुई। किसी प्रकार तथागत ने अपने को संभाला।

महापरिनिर्वाण की वेला

शास्ता समझ गए उनके निर्वाण की शुभवेला आ गई है। तेजोमय शरीर से वे कुछ अशक्त होते गए। आनन्द से मांग कर पानी पिया। मुख पर दिव्य आभा थी। आम्रवन से कुशीनगर (कुशीनगर) पधारे। यह मल्लों का क्षेत्र था।

उसी समय सुभद्र परिव्रजक ने जो कुशीनगर में ठहरा हुआ था यह सुना कि ''आज रात्रि के पिछले पहर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे।'' कुछ वृद्ध परिव्राजकों, गुरुओं, श्रमणों ने कहा 'लोक में तथागत, अर्हत, सम्यक, सम्बुद्ध रोज-रोज जन्म धारण नहीं करते। आज तथागत बुद्ध का रात में पिछले पहर में परिनिर्वाण हो जाएगा।''

तब वह सुभद्द अपनी शंका समाधान हेतु मल्लों के शालवन में आया। उसने आनन्द से कहा स्थविर! तथागत के दर्शन करा दें। 'रहने दो सुभद्र, अब रहने दो। तथागत विश्राम कर रहे हैं। बहुत थके हैं।' यह बात तथागत ने सुन ली। बोले, आने दो सुभद्र, आनन्द इसको रोको मत। सुभद्र को तथागत के दर्शन कर लेने दो। शंका निवारण कर लेने दो।' तब सुभद्र ने पूरणकाश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केशकम्बल, पकुच कच्चायन, संजय, वेलट्ठपुत्र तथा निर्गण्ठ नाथ पुत्त जैसे आचार्यों के मत के बारे में पूछा कि किसने सत्य ज्ञान प्राप्त किया?

तथागत ने कहा "जिस धर्म में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं, श्रमण नहीं, धर्म-विनय का अभाव है वह लोक कल्याण का पथ नहीं बता सकता। तथागत के धर्म विनय में भ्रमण हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं, अर्हत् है। जबकि दूसरों में न धर्म विनय, न श्रमण, न अर्हत्। 'तथागत बोले कि उन्तीस वर्ष की आयु में वे प्रव्रजित हुए। पचास वर्ष से अधिक उन्हें अब सद्धर्म का पक्ष ग्रहण करते हो गए। इतना सुनकर सुभद्द बोला, अद्भुत है श्रमण गौतम! अद्भुत है श्रमण गौतम! जो मुझे अंधेरे में ज्योति प्रदान की। पथभ्रष्ट को सुझाया। इसलिए मैं त्रिशरण को उदयत हूँ।

बुद्ध ने मृत्यु पूर्व सुभद्र को संघ में अन्तिम दीक्षा दी। सुभद्द तथागत का अन्तिम श्रावक बना। तथागत ने आनन्द को अन्तिम वचन कहे कि यह मत विचार करना कि हमारे शास्ता चले गए। मार्गदर्शक नहीं रहा। मेरा सिखाया धर्म-विनय ही तुम्हारा शास्ता होगा। बड़ा छोटे को आयुष्मान् (आवुसो) कह कर पुकारे। छोटा बड़े को गोत्र या भंते कह कर संबोधित करे। उन्होंने 500 भिक्षुओं के संघ को संबोधित करते हुए कहा सभी संस्कार अनित्य है। अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संलग्न रहो।

आनन्द को अंततः तथागत ने बता दिया कि कुशीनगर के इन्हीं शाल वृक्षों के मध्य रात्रि के तीसरे पहर में उनका परिनिर्वाण हो जाएगा। बाहर खड़े होकर स्थविर आनन्द रोने लगे। उन्हें बुलाया गया। वे अधीर हो गए थे। तथागत ने आनन्द के विशेष गुणों का वर्णन किया। मल्लों को सूचित किया गया कि तथागत का परिनिर्वाण होने वाला है। यह भगवान् का आदेश था। ईसा पूर्व 543 में निश्चित तृतीय पहर में वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि में वह विश्व तेज, वह भुवन प्रदीप जो लोकों का प्रकाश पुंज था। अंतर्ध्यान हो गया। वह महाज्योति जो शाक्यों और कोलियों के प्रांगण में अवतरित हुई और विश्व को मानवता, प्रेम, शांति, अहिंसा, समता, शील और सन्मार्ग दिखा गई वह लोकों में विलीन हो गई। अगले दिन शास्ता के महापरिनिर्वाण की खबर समस्त जनपदों में फैल गई। ■

(लेखक वरिष्ठ समतावादी चिंतक हैं।)

समाज वैज्ञानिक : तथागत बुद्ध

■ रजनीश कुमार अम्बेडकर

"इतिपि सो भगवा अरहं
सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरण
सम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो
पुरिसदम्म सारथि
यत्थ देवमनुस्सानं बुद्धो भगवति।"

इस गाथा में बुद्ध के सभी गुण उजागर होते है। बुद्ध को भगवान कहते है। जिन्होंने (भग=भग्न करना, वान= तृष्णा) तृष्णा आसक्ति को जड़ों से नष्ट कर दिया। ऐसे वीतराग (तृष्णामुक्त) बुद्ध हैं। जो अरहंत भी हैं। अरि माने दुश्मन, हंत माने हनन करने वाला। अतः अरहतं या अरिहतं (अर्हत) का अर्थ हुआ, वह जिसने अपने दुश्मनों का हनन कर दिया यानि उन्हें खत्म कर दिया। दुश्मन से अर्थ है अपने भीतर के विकार, राग, द्वेश, मोह, इर्ष्या, मत्सर, घृणा, तिरस्कार इन दुश्मनों का हनन कर दिया। अतः जिसने अपने भीतर के सारे मनोविकारों को नष्ट कर दिया, वही सचमुच अरहंत है, विकार विमुक्त है।

"येसं रागो च दोसो च,
अविज्जा च विराजिता।
खीणासवा अरहन्तो,
तेसं विजटिता जय॥"

अर्थात=जिसके राग, द्वेष दूर हो गए और अविद्या दूर हो गयी, वह क्षीणास्रव हुआ अरहतं भीतर की जटाओं से मुक्त हो गया।

मुनींद्र भगवान बुद्ध ने दान आदि पारमिताओं का बल संचित किया था, जिससे मार को जीत लिया। यह धर्ममय जीत अपने भीतर उपलब्ध करनी होती है। बाहर की रणभूमि में जीतने वाला सही माने में जिन नहीं होता है, जो सहस्त्र बार सहस्रों को संग्राम में जीत ले, उससे कहीं उत्तम विजयी वह है जो स्वयं अपने को जीत ले।

बुद्ध जिन होते हैं, वे अपने आप को जीतते हैं, अपने मन के विकारों को जीतते हैं। यही जीतना श्रेष्ठ है ऐसे आत्मविजेता को अरहंत कहते हैं। वे भगवान सम्यक सम्बुद्ध ही हैं। मृगदाय बन में आते हुए परिव्राजक उपक के द्वारा पूछे जाने पर कि उनका आचार्य कौन है तथागत ने यही घोषणा की थी मैं विश्व में अरहतं हूँ, अनुपम शास्ता हूँ। मैं शीतलता और निर्वाण प्राप्त किया हुआ सम्यक सम्बुद्ध हूँ।

"न मे आचरियो अत्थि" मेरा कोई आचार्य नहीं है। मैं सर्वस्व त्यागी, तृष्णा-क्षय के कारण विमुक्त हूँ। स्वयं अनुभूत अभिज्ञान को किससे प्राप्त हुआ बताऊं? सचमुच सम्बुद्ध वही होता है जिसका कोई आचार्य नहीं होता है, जो स्वयंभू यानि स्वयं अपने अभिज्ञान से बुद्ध हुआ है, वह सम्बुद्ध है। यानि जो सत्य है, सही है उसे स्वयं अपनी अपरोक्ष अनुभूति द्वारा भली-भांति जान लेता है, वह सम्यक सम्बुद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपनी अनुभूति द्वारा जाना हुआ सत्य ज्ञान ही लोगों को बांटता है।

सम्यक सम्बुद्ध से प्रतिपादित मध्यम मार्ग में चार आर्य सत्य है-

1. **इदं दुक्खं अरियसच्चं**- यह दु:ख आर्य सत्य है।
2. **इदं दुक्ख समुदयं अरियसच्चं**- यह दु:ख समुदय आर्य सत्य है।

3. **इदं दुक्ख निरोध अरियसच्चं**- यह दु:ख निरोध आर्य सत्य है
4. **इदं दुक्ख निरोध गामिनी पटिपदा अरियसच्चं**- यह दु:ख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है।

दु:ख निवारण की सच्चाई जीवन जगत में सांप्रदायिक कर्मकांडों और दार्शनिक मान्यताओं के जंजाल में पड़ा हुआ व्यक्ति रूढ़ि परंपरा के बाहर निकलकर धन्य हो गया। बुद्ध का मार्ग पूर्णता वैज्ञानिक विचारधारा पर आरूढ़ है। इसलिए तो बुद्ध को जगत का **'सामाजिक वैज्ञानिक'** कहा जाता है। यह बात आठ अंग (अष्टांगिक मार्ग) वाला आर्य मार्ग **'अरियो अट्ठंगिको मग्गो'** पढ़कर पता चलता है।

प्रज्ञा:

1. **सम्यक् दृष्टि :** चार आर्य सत्य में विश्वास करना
2. **सम्यक संकल्प :** मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना

शील:

3. **सम्यक् वाचा :** हानिकारक बातें और झूठ न बोलना
4. **सम्यक् कर्म :** हानिकारक कर्म न करना
5. **सम्यक् आजीविका :**कोई भी स्पष्टत: या अस्पष्टत: हानिकारक व्यापार न करना

समाधि:

6. **सम्यक् व्यायाम :** अपने आप सुधारने की कोशिश करना
7. **सम्यक् स्मृति :** स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना
8. **सम्यक् समाधि :** निर्वाण पाना और अहंकार का गायब होना

बुद्ध का मार्ग पूर्णत: प्रत्यक्ष अनुभूति (वैज्ञानिक) का है। जिसमें मिथ्या मान्यताओं की कोई गुंजाईश नहीं। आज तक लोग सिर्फ ईश्वर के नाम का जाप, उसकी प्रशंसा प्रशस्ति उसको खुश करने में अपना जीवन गवां देते हैं, ताकि ईश्वर मुझे तार दे। ऐसा व्यक्ति सदा खुद से धोखा करता है क्योंकि हम प्रज्ञा, शील, समाधि युक्त अष्टांगिक मार्ग (आठ अंग वाला) का पालन ना करें। तो हमसे हुई अकुशल कर्मों के फल (परिणाम) से ईश्वर भी नहीं बचा सकता है। इसलिए आपको पता चलते ही हम इस प्रज्ञा, शील, समाधि युक्त मार्ग में विश्वास रखते हैं और अपना जीवन कुशलता और प्रगति की ओर ले जाते हैं। जो नित्य, शाश्वत, ध्रुव और भयमुक्त कराता है। दु:ख से मुक्ति दिलाता है। इसी मार्ग के चलते हम बोधि के बल पर सोतापन्न, सदागामी, अनागामी और अंतत: अरहंत की फल अवस्था को प्राप्त कराता है। अंत में निर्वाण प्राप्ति का साक्षात्कार होता है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी मिथ्या धारणाओं का अवशेष नहीं है।

दु:ख है तो दु:ख से मुक्ति का मार्ग भी है। यह बात केवल बुद्ध ने ही बताई है। बुद्ध ने इस मार्ग को उजागर किया। जो मार्ग संपूर्ण मानव को दु:ख से परे ले जाए।

पहले बोधि जागने पर दुखमय भवचक्र का बुद्ध को बोध हुआ है। प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण-परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। प्राणियों के लिए, इसका अर्थ है कर्म और विपाक (कर्म के परिणाम) के अनुसार अनंत संसार का चक्र होता है। कुछ भी सच में विद्यमान नहीं है, हर घटना मूलत: शून्य होती है।

विद्या के कारण संस्कार बनते हैं संस्कारों से जन्म देने में समर्थ ऐसा विज्ञान

बुद्ध का मार्ग पूर्णता प्रत्यक्ष अनुभूति (वैज्ञानिक) का है। जिसमें मिथ्या मान्यताओं की कोई गुंजाईश नहीं। आज तक लोग सिर्फ ईश्वर के नाम का तप, उसकी प्रशंसा प्रशस्ति उसको खुश करने में अपना जीवन गवा देते हैं। ताकि ईश्वर मुझे तार दे। ऐसा व्यक्ति सदा खुद से धोखा करता है क्योंकि हम प्रज्ञा, शील, समाधि युक्त अष्टांगिक मार्ग (आठ अंग वाला) का पालन ना करें। तो हमसे हुई अकुशल कर्मों के फल (परिणाम) से ईश्वर भी नहीं बचा सकता है। इसलिए आपको पता चलते ही हम इस प्रज्ञा, शील, समाधि युक्त मार्ग में विश्वास रखते हैं और अपना जीवन कुशलता और प्रगति की ओर ले जाते हैं। जो नित्य, शाश्वत, ध्रुव और भयमुक्त कराता है। दु:ख से मुक्ति दिलाता है। इसी मार्ग के चलते हम बोधि के बल पर सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अंतत: अरहंत की फल अवस्था को प्राप्त कराता है। अंत में निर्वाण प्राप्ति का साक्षात्कार होता है।

(चित्त) उत्पन्न होता है, इस विज्ञान के कारण नामरूप यानि शरीर प्रपंच। नामरूप के कारण छः आयतन यानि पांच शारीरिक (आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा) तथा एक मन में छः इंद्रियों की उत्पत्ति होती है।

छः इंद्रियों से उनके विषयों (रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और धर्म) से स्पर्श (मिलाप) होता है। स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा (सुखद प्राप्त करने की दुखद को दूर करने की), तृष्णा के कारण उपादान यानि आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति के कारण भव बनाने वाले गहरे कर्म-संस्कार बनते हैं, ऐसे भव संस्कार के कारण ही पुनः जन्म होता है। जन्म से जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य और उपायास उत्पन्न हो जाता हैं। इस प्रकार दुखों का समूह उत्पन्न हो जाता है। यह सारी बात पढ़कर हमें पूर्णतः विश्वास होता है कि यह शुद्ध वैज्ञानिक बात है। इसमें निकम्मी, निरर्थक, दार्शनिक मान्यताओं और मिथ्या बातों की कहीं गुंजाइश नहीं है।

लेकिन जब हम इस भवचक्र या दुःख से परिचित होते हैं तो चाहते हैं कि इससे बाहर निकलें। बुद्ध पहले व्यक्ति है, जिन्होंने इस दुःख के चक्र से बाहर निकालने का रास्ता भी बताया। इसीलिए उन्हें मनुष्य और सत्पुरुषों का मार्गदाता (शास्ता) कहते हैं।

वे कहते हैं कि बीज ही नहीं रहेगा, तो फल कहां से आयेगा ? प्रत्यय ही नहीं रहेगा, तो समुत्पाद कैसे होगा ? यानि भीतर का होश जागे और बेहोशी दूर हो। अविद्या का निरोध हो तो कर्म-संस्कारों का निरोध अपने आप हो जाता है। कर्म-संस्कारों का निरोध हो तो नए जन्म के प्रतिसंधि विज्ञान का निरोध अपने आप हो जाता है। विज्ञान का निरोध हो तो नाम रूप का, नाम रूप का निरोध हो तो छः इंद्रियों का, छः इन्द्रियों का निरोध हो तो स्पर्श का, स्पर्श का निरोध हो तो वेदना का, वेदना का निरोध हो तो तृष्णा का, तृष्णा का निरोध हो तो उपादान (आसक्ति) का, उपादान (आसक्ति) का निरोध हो तो भव का, भव का निरोध हो तो जन्म का, जन्म का निरोध हो तो जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य और उपायास का अपने आप निरोध हो जाता है। इस प्रकार दुखों का कितना ही बड़ा समूह क्यों न हो, सारा का सारा निरुद्ध हो जाता है, जड़ से उखड़ जाता है, फिर सिर उठाने लायक नहीं रहता। सीधी सी बात है पहले अविद्या को (अज्ञान) जड़ से उखाड़ें। हम दुःख से मुक्त हो जाते है, यही **धम्म चक्र** (दुःख से मुक्ति का मार्ग है)

बुद्ध सही मायने में मानसोपचार करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। जिन्होंने मन पर उपचार बताकर समस्त मानवजाति को दुःख से मुक्ति का मार्ग बताया। सभी प्राणियों पर करूणा बरसाने वाले वे महाकारूणिक थे। कथनी और करनी में तथागत समान थे। सभी शास्त्रों और विद्याओं में निपुण थे, इसलिए *विज्जाचरणसम्पन्नो* थे। सुगति को प्राप्त वे सुगत थे। हम देखते हैं कि भगवान की कायिक, वाचिक और मानसिक सभी कर्म-गतियां सुंदर, निदोष थी। उनकी वाणी में शुद्ध धर्म ही समाया हुआ था। उनके वारिस बन हम अपना ही कल्याण साधेंगे। अपनी सुगति प्राप्त करेंगे, यह तभी संभव होगा। जब भगवान द्वारा अनुकरणीय मार्ग का हम पालन करें।

इसी विद्या द्वारा बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम सम्यक सम्बुद्ध बने हैं। उन्होंने भवचक्र के आरे नष्ट कर धम्मचक्र को गतिमान किया है। आज भारत के तिरंगे में जो **'अशोक चक्र'** है, वही **धम्म चक्र** है। जो बड़े शान से हमेशा भारतवर्ष पर फहराता है और हमें भयमुक्त और दुखमुक्त होने की सीख प्रदान करता है।

बुद्ध सही मायने में मानसोपचार करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। जिन्होंने मन पर उपचार बतलाकर समस्त मानवजाति को दुःख से मुक्ति का मार्ग बतलाया। सभी प्राणियों पर करूणा बरसाने वाले वे महाकारूणिक थे। कथनी और करनी में तथागत समान थे। सभी शास्त्रों और विद्याओं में निपुण थे, इसलिए **विज्जाचरणसम्पन्नो** थे। सुगति को प्राप्त वे सुगत थे। हम देखते हैं कि भगवान की कायिक, वाचिक और मानसिक सभी कर्म-गतियां सुंदर, निर्दोष थी। उनकी वाणी में शुद्ध धर्म ही समाया हुआ था। उनके वारिस बन हम अपना ही कल्याण साधेंगे। अपनी सुगति प्राप्त करेंगे, यह तभी संभव होगा। जब भगवान द्वारा अनुकरणीय मार्ग का हम पालन करें। ऐसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक वैज्ञानिक को हम अपने जीवन में अनुसरण करें। जिससे हमारे समाज में सभी का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और शैक्षणिक स्तर पर समावेशी विकास हो सके। ■

(लेखक महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में शोधार्थी हैं।)

बौद्ध धर्म और विश्व एकता

■ डॉ. प्रभु चौधरी

एक ऐसे समय में जब विश्व के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग वजहों से आपसी टकरावों और युद्ध में व्यस्त हैं यह प्रश्न सहज ही उठता है कि इन सब का अन्त क्या, कब और कैसे होगा? विश्व पहले ही दो-दो महायुद्धों की विभीषिकाओं को झेल चुका है। ऐसे में आखिर वह क्या उपक्रम, पराक्रम, पुरुषार्थ हो सकता है, जिसके करने से विश्व में शान्ति की स्थापना की जा सके। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. हरिसिंह गौर का द्वितीय विश्वयुद्ध की पीठिका पर लिखा गया यह लेख बौद्ध धर्म में आस्था और इस वैज्ञानिक धर्म की शिक्षाओं के अनुपालन के माध्यम से विश्व शान्ति की स्थापना का एक सरल, सहज एवं बहुमान्य मार्ग प्रशस्त करता है, जो निर्विवाद रूप से आज की परिस्थितियों में भी कारगर साबित होगा।

आत्मश्लाघा मनुष्य की सहज वृत्तियों में सर्वाधिक प्रबल वृत्ति है। पिछले दिनों जिस प्रकार की शान्ति का अनुभव हमने किया है। वह निरर्थक है क्योंकि उसका उपयोग युद्धरत दोनों ही पक्षों ने एक और संघर्ष की तैयारी के लिए किया। इन संधियों, अनुबंधों, समझौतों, सहमतियों और अन्तर्राष्ट्रीयता के तमाम दावों में सदियों से हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले 'मैं' के आधारभूत सिद्धांत को भुलाया नहीं गया है। साथ-साथ जीने की कला ही तो सभ्यता है। मानव जाति का इतिहास बताता है कि हम इस कला में कितने कम पारंगत हो पाए हैं। हर युद्ध की ही तरह यह युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। पर क्या इससे इंसान को इंसान से लड़ाने वाली वास्तविक समस्याओं का समाधान हो सकेगा? हो सकता है संधियों और समझौतों के माध्यम से आर्थिक मतभेदों और साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाओं को कुछ समय के लिए दरकिनार कर दिया जाए, पर यह स्थायी समाधान नहीं है। युद्ध की समाप्ति पर की जाने वाली ये संधियाँ अन्तरतम् में पड़ी स्वार्थ, वैमनस्य और नफरत की गांठों को नहीं खोल सकतीं। विश्व शान्ति और मानव कल्याण का सपना संजोने वाले साहित्यकार और चिंतक ऐसे मौकों पर हमें सदा ही चैतन्य करते आए हैं। तमाम वक्ताओं और लेखकों ने तो हमें मानव होने के नाते अपने जीवन के उद्देश्यों एवं मानवता के प्रति अपने कर्त्तव्यों के प्रति आगाह करना प्रारंभ भी कर दिया है। हम सब अभी यह समझ ही नहीं पाये हैं कि वैश्विक स्तर पर शान्ति की स्थापना और इंसान को इंसान से बांटने वाली अन्य महत्त्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। यदि वाकई हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को सुखी देखना है तो हमें इन समस्याओं का स्थायी समाधान खोजना ही होगा। आज

से लगभग दो हजार छह सौ वर्ष पहले एक महान् चिंतक जिसे अब तथागत का दर्जा प्राप्त है- ने जीवन के हरेक छोटे-बड़े पल में 'मैं' के प्रदर्शन को पहले ही देख लिया था। उन्होंने इसका समाधान खोजने के लिए कठिन साधना की और 'मध्यम मार्ग' के रूप में एक उपाय भी पाया। उन्होंने पाया कि इस संसार में किस तरह संस्थागत गठजोड़ों का विकास छोटे-छोटे राज्यों में होता है, जहां राजा अपनी प्रजा पर शासन करता है उस पर अपनी शक्ति द्वारा नियंत्रण करता है और उन्हें अपनी इच्छाओं पर नाचने को मजबूर करता है। आस्था के पुजारियों को यह राजा-प्रजा वाली परम्परा बहुत उचित लगी और इसी की तर्ज पर उन्होंने अपने-अपने धर्मों में एक महाराजाधिराज की परिकल्पना की, जो इस ब्रह्माण्ड पर शासन करता है और इसकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। उसका नियंत्रण करने का तरीका दुनियावी राजाओं की ही तरह गुणों पर पुरस्कार देना और आदेशों की अवहेलना करने पर सजा देने का था। बौद्ध धर्म के संस्थापक ने इस पूरे प्रपंच में खोट देखा और एक ऐसे पंथ की स्थापना की जिसमें न तो कोई ईश्वर है और न ही सीधे या किसी के माध्यम से प्रार्थनाओं, उपवासों, पश्चातापों द्वारा उसे प्रसन्न करने का कोई प्रयास। इस पंथ में यदि कुछ

पुरस्कार है तो वह जन्मजात गुणों के अभ्यास द्वारा मिलने वाला पुरस्कार है, जो निर्वाण की ओर ले जाता है। 'निर्वाण' अन्तरात्मा की संतुष्टि को ही समस्त गुणों का उपहार मानना है। संस्थागत आस्था-व्यापारियों को एक स्वर्ग और एक नर्क की रचना भी करनी पड़ी, जहां इन्हें प्राप्त किया या भोगा जा सके। अधिकांश धर्मों की तात्त्विक उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है जिसने न केवल मानव संघर्ष के लिए एक और वजह दे दी, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदेशों को स्थापित करने के बजाय अराजकता को बढ़ावा दिया। आत्मविहीन 'स्व' 'मैं' नहीं 'स्व' का यह पंथ जिसका बाद में संस्थागत धर्मों की ही तरह ह्रास हुआ है– 2,600 वर्षों तक रक्तपान से मुक्त रहा है। यह सभी जानते एवं मानते हैं कि बौद्ध धर्म ने कभी एक बूंद रक्त भी नहीं बहाया है। साथ ही साथ सभी प्राणियों, चाहे वे इस पंथ के अनुयायी हों अथवा नहीं – को शान्ति और सुख प्राप्त करने का मार्ग बताया है बशर्ते वे जीवन की उस वृहत्तर योजना का अनुसरण करें जिसका इन्होंने प्रतिपादन किया है। आधुनिक विज्ञान ने बौद्ध धर्म को छोड़कर सभी धर्मों की आलोचना की है। यही वह अकेला धर्म है जो आधुनिक आलोचनाओं के विस्फोट में खुद को बचा सका है। इस धर्म का आधारभूत सिद्धांत तत्त्ववादी है जिसमें आत्मा को स्पर्शगोचर एवं अमूर्त कल्पना माना गया है, परंतु यह एक भौतिक संकल्पना है जिसका प्रभाव युगों-युगों से इंसानों में चला आ रहा है।

यह महान धर्म हमें बताता है कि हम मानव समाज की पुनर्रचना इंसानी भाईचारे के आधार पर कर सकते हैं, जो किसी जाति, पंथ या भौगोलिक सीमा को न मानता हो बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति को मानवीय सहयोगवृत्ति, मानवीय प्रेम और त्यागमयी मानस सेवा के आधार पर जोड़ता है।

(लेखक सम्पादक मंडल के सदस्य हैं।)

अधिकांश धर्मों की तात्त्विक उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है जिसने न केवल मानव संघर्ष के लिए एक और वजह दे दी, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदेशों को स्थापित करने के बजाय अराजकता को बढ़ावा दिया। आत्मविहीन 'स्व' 'मैं' नहीं 'स्व' का यह पंथ जिसका बाद में संस्थागत धर्मों की ही तरह ह्रास हुआ है– 2,600 वर्षों तक रक्तपान से मुक्त रहा है। यह सभी जानते एवं मानते हैं कि बौद्ध धर्म ने कभी एक बूंद रक्त भी नहीं बहाया है। साथ ही साथ सभी प्राणियों, चाहे वे इस पंथ के अनुयायी हों अथवा नहीं को शान्ति और सुख प्राप्त करने का मार्ग बताया है बशर्ते वे जीवन की उस वृहत्तर योजना का अनुसरण करें जिसका इन्होंने प्रतिपादन किया है।

अपने लेख हमें ई-मेल करें

'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर पर शोधपरक, गंभीर व विश्लेषणात्मक लेख। कविताएं, कहानियां, आदि रचनाएं और दलित-स्त्री-आदिवासी साहित्य व विमर्श पर सामग्री भेजें। अपने लेख, डाक द्वारा भेजें या ई-मेल करें। ई-मेल करने के लिए, वॉकमैन चाणक्य (Walkman-chankya-905) फोंट का इस्तेमाल करते हुए अपने वर्ड ओपन फाईल को hilsayans@gmail.com अथवा editorsnsp@gmail.com पर भेजें। रचनाओं के मौलिक, अप्रसारित व अप्रकाशित होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

-सम्पादक
सामाजिक न्याय संदेश
15 जनपथ, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन : 011-23320588

बुद्ध, बौद्ध साहित्य एवम् बौद्ध परिषदें

■ डॉ. ओ. पी. कोली

ईसा पूर्व छठी शताब्दी में बुद्ध ने बोधि प्राप्ति के उपरांत लोक में मानव कल्याण हेतु बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बौद्ध विद्वान उनकी जन्मतिथि के विषय में एकमत नहीं है। राहुल सांकृत्यायन, डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. अम्बेडकर, पी. लक्ष्मीनरसू उनकी जन्मतिथि 563 ई. पू. मानते है। स्मिथ ने दीपवंश और महावंश के आधार पर उनकी जन्मतिथि ई. पू. 623 तिथि मानी।

सुत्त निपात में आता हैं कि बोधिसत्व ने लुम्बिनी जनपद में शाक्य-कोलियों के इस रम्य गाँव में जन्म लिया। अब यह स्थान नेपाल की सीमा के अंतर्गत है। बोधिसत्व को जन्म देने के कुछ समय उपरांत कोलिय राजकुमारी महामाया देवी का निधन हो गया। उनका समस्त लालन-पालन प्रजापति गौतमी ने किया जो बुद्ध की मौसी (विमाता) और महामाया की छोटी बहन थी।

बौद्ध साहित्य

ढाई हज़ार साल से अधिक समय के बाद भी दुनिया की प्रमुख भाषाओं में बौद्ध साहित्य की रचनाऐं जारी हैं। पालि, संस्कृत, तिब्बती, नेपाली, चीनी, जापानी, सिंहली भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि प्रमुख भाषाओं में बौद्ध साहित्य रचा गया। विद्वानों की मान्यता है कि ज्ञान पिपासुओं, सत्य अन्वेषकों, शांति के खोजकर्ताओं को जितना ज्ञान और आनंद बौद्ध साहित्य से मिलता है उतना और किसी साहित्य से नहीं। आज भी विश्व स्तर पर बौद्ध परिषदें, संगोष्ठियाँ, वाद-विवाद होते हैं जिन पर दुनिया के विद्वतजन परिचर्चा करते हैं।

भारत में ऐतिहासिक-सामाजिक कारणों से बौद्ध धर्म मुरझा गया था। अब महान बीसवीं सदी के समाज सुधारक और पहली पंक्ति के विद्वान और दार्शनिक डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 14 अप्रैल, 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर 2500 वर्ष के उपरांत द्वितीय धार्मिक क्रांति का आह्वान करके एक नए युग का सूत्रपात किया है, जिससे सामाजिक एकता, समरसता, सामाजिक न्याय और नव सामाजिक सुधारों की श्रृंखला का सूत्रपात हुआ। यहां भारत जैसे बहुभाषा, बहुजाति, बहुसंस्कृति वाले विशाल देश में नये युग का आगमन हो चुका है। बाबासाहेब की यह सर्वथा अहिंसक सामाजिक क्रांति थी जिसके आदि प्रेरणा स्रोत भगवान गौतम बुद्ध हैं। अब 'नव बौद्ध संस्कृति' के उदय ने हजारों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव की जड़े हिला दी हैं।

बौद्ध संगीतियाँ

बुद्ध का महापरिनिर्वाण 543 ई.पू. की वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर (उत्तरप्रदेश) के युग्म साल वृक्षों के नीचे हुआ था। कुशीनगर और पावा के मल्ल क्षत्रियों ने उनका अंतिम संस्कार एक महात्यागी चक्रवर्ती सम्राट की तरह किया। परन्तु बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद भिक्षुसंघ में शिथिलता और उदासी आना स्वाभाविक था। कुछ भिक्षु विपरीत वचन बोलने लगे थे। ऐसे समय में बौद्ध धर्म के उदमत विद्वान महाकाश्यप ने धर्म और विनय की संगीति (परिषद) के लिए प्रयास किया।

प्रथम संगीति

प्रथम संगीति के संगायन हेतु राजग्रह के पार्श्व में वैमार पर्वत स्थित 'सप्तपर्णी गुहा' को चुना गया। उसी समय भिक्षु 'आनंद' के साथ 500 संगीति कारक भिक्षुओं का निर्वाचन कर लिया गया। अन्य भिक्षुओं से कहा गया कि वे वर्षावास करें- राजगृह नहीं जाएँ। आषाढ़ माह में 'सप्तपर्णी गुहा' स्थल पर संगीति महंत बनाया गया।

श्रावण मास के कृष्णपक्ष में स्थविर संगीति हेतु एकत्रित हुए। 'आनंद' को तभी अर्हतव प्राप्त हुआ। 'महाकश्यप' संघनायक निर्वाचित हुए। उन्होंने विनय को उपालि से और धर्म सूत्र (अभिधम्म) को आनंद से व्याख्यायित करने को कहा। विनय पिटक में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। महाकाश्यप ने सुगत (बुद्ध)

के इस बौद्ध शासन धम्म को पाँच हज़ार वर्ष तक स्थिर रहने योग्य कर दिया। यह संगीति बुद्ध वचनों के संकलन हेतु महान ऐतिहासिक कार्य था। अपने जीवन काल में बुद्ध ने विनयधारी भिक्षुओं में उपालि को सर्वश्रेष्ठ बताया था। बहुश्रुतों, गतिमानों, स्थितिमानों तथा उपस्थापकों में आयुष्मान आनंद को सर्वोपरि बताया था।

इस प्रथम संगीति में बुद्ध वचनों को तीन पिटकों में विभक्त किया गया। जो त्रिपिटक कहे गए- विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। पालि त्रिपिटकों के भी कई उपभाग हैं जिनमें हज़ारों सूत्र संकलित हैं। बौद्धिक विरासत को सहेजने का यह महत्त्वपूर्ण कार्य अदभुत-विस्मयकारी और अद्वितीय था। त्रिपिटक नवांग बुद्ध वचन है। ज्ञान, त्याग, वैराग्य, मोक्ष, लोक कल्याण का महासागर, अनंत ज्ञान सरोवर है।

द्वितीय संगीति

भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग सौ वर्ष बाद वैशाली (बिहार) में द्वितीय संगीति आयोजित की गई। तब तक बौद्ध धर्म प्रचलित था लेकिन दोषपूर्ण हो चुका था। इस काल अंतराल में बुद्धयुगीन सभी भिक्षु काल कवलित हो चुके थे। शाक्य-कोलिय श्रमण वज्जी के भिक्षुओं को धर्म विरुद्ध मानते थे।

शाक्य श्रमण 'यश' के अनुसार दिशाभ्रमित भिक्षु सींग में नमक, दोपहर विकाल में भोजन, सायं पुनः भोजन प्राप्ति के लिए ग्राम भ्रमण, सीमा से अधिक आवासों में उपोसथ, विनय विरुद्ध आचरण, आचार्य और उपाध्याय के आचरण का अनुगमन, दुग्ध का सेवन जो दही बनने के लिए सन्निकत हो, विहित सुरापान, बिना किनारे का आसन ग्रहण, चाँदी सोना ग्रहण करने की स्वतंत्रता आदि कर्मों में प्रवृत दिखाई दे रहे थे। भिक्षु उपासकों से धनार्जन भी करने लगे थे।

महावंश के अनुसार तब बारह लाख भिक्षु उपस्थित थे। स्थविर रेवत भिक्षुओं के प्रधान थे। रेवत ने धर्म को चिरस्थायी बनाने हेतु सात सौ अर्हन्तों को चुना। कालाशोक राजा की संरक्षकता में बालुकाराम विहार में आठ माह यहां संगीति सम्पन्न हुई थी। द्वितीय संगीति के समय भिक्षुसंघ विवादास्पद हो गया था। भिक्षु धर्म विरुद्ध दस नियम पर अड़े हुये थे। लोक से धन संग्रह, भिक्षा हेतु बार-बार चक्कर लगाना आम बात थी।

तृतीय संगीति

स्थविरवाद और महासांधिक नाम से दो अलग-अलग भिक्षुसंघ बन गए। अपने-अपने बौद्ध त्रिपिटक में हेर-फेर करने के बाद रच लिए। अपने शासनकाल में सम्राट अशोक ने भिक्षुसंघ को परिमार्जित करने के लिए बहुत से कदम उठाए। बौद्ध साहित्य में इन मतभेदों, अलग हुए भिक्षुसंघों, उनके रचे गए ग्रन्थों का विशेष विवरण मिलता है।

देशकाल और राजनीतिक परिस्थितियों से भी बौद्ध भिक्षुसंघ कभी कमजोर, कभी सुदृढ़, कभी विवाद ग्रसित होता रहा। अगले सौ वर्ष से संघ में जो झगड़े, फूट व्याप्त थी उन्हें फैलाने वाले श्रमण चल बसे। तृतीय संगीति सम्राट अशोक के निर्देशन में चली थी। बुद्ध के 214 वर्ष पश्चात् सम्राट अशोक मगध का शासक बना था। जंबूद्वीप पर उसका एकछत्र राज्य था। वह बौद्ध धर्म का महान उपासक बना।

कहा जाता है ई. पू. 321 में सम्राट अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी बना था। बुद्ध कोलियों, लिच्छिवियों और मौर्यो को शाक्य वंश का ही मानते थे। महावंश तथा दीपवंश में आता है। मोग्गलिपुत्र तिस्स ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वे उस समय बौद्ध धर्म के सर्वश्रेष्ठ स्थविर थे। सम्राट अशोक ने कपटी, पेटु, मूर्ख, बौद्ध धर्म के आलोचक भिक्षुओं को संघ से निष्कासित कर दिया था। ये लोग निठल्ले थे सिर मुंडा, चीवर पहन लोक को भ्रमित कर ठगते थे।

बुद्धचर्या के अनुसार भिक्षुओं ने

भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग सौ वर्ष बाद वैशाली (बिहार) में द्वितीय संगीति आयोजित की गई। तब तक बौद्ध धर्म प्रचलित था, लेकिन दोषपूर्ण हो चुका था। इस काल अंतराल में बुद्धयुगीन सभी भिक्षु काल कवलित हो चुके थे। शाक्य-कोलिय श्रमण वज्जी के भिक्षुओं को धर्म विरुद्ध मानते थे।

शाक्य श्रमण 'यश' के अनुसार दिशाभ्रमित भिक्षु सींग में नमक, दोपहर विकाल में भोजन, सायं पुनः भोजन प्राप्ति के लिए ग्राम भ्रमण, सीमा से अधिक आवासों में उपोसथ, विनय विरुद्ध आचरण, आचार्य और उपाध्याय के आचरण का अनुगमन, दुग्ध का सेवन जो दही बनने के लिए सन्निकत हो।

उपोसथ किया। मोग्गलिपुत्र तिस्स ने विवादों का मर्दन किया। एक हज़ार त्रिपिटक निष्पाण भिक्षुओं ने धर्म विनय पाठ, संगायन किया। यह संगीति 9 महीने तक चली। बौद्ध साहित्य की प्रचुर मात्रा में प्रतियाँ तैयार हुई। मोग्गलिपुत्र तिस्स के प्रयास से बौद्ध भिक्षु भारत से सीमा पार देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ चयनित किए गए। सम्राट अशोक के संरक्षण में यह एक बड़ी उपलब्धि थी।

यूनानी राजाओं के देश वाहलीक, सीरिया, मिश्र, यूनान में महारक्षित योनक स्थविर की देखरेख में बौद्ध भिक्षुओं को भेजा गया। ताम्रपर्णी द्वीप (सिंहल) में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचारार्थ सिंहलद्वीप में भेजा। उनके साथ कई स्थविर भिक्षुगण गए।

तृतीय संगीति के दौरान बौद्ध साहित्य परिस्कृत किया गया। विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार को प्राथमिकता दी गई, जगह-जगह बौद्ध स्तूप, प्रस्तर स्तंभ स्थापित किए गए जिन पर बुद्ध की शिक्षाएं खुदवाई गई। तृतीय संगीति के संकल्प और सम्राट अशोक की दानप्रियता ने बौद्ध धर्म को एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन देशों में प्रचारित करके धार्मिक क्रांति को नए आयाम दिए। बुद्ध और बौद्ध धर्म ज्ञान ज्योति के रूप में प्रभासित हुए। मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठा मिली। लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

चतुर्थ बौद्ध संगीति

कुषाण शासक कनिष्क ने 100 ईसवीं सन् में बौद्ध संगीति के चतुर्थ संगायन का आयोजन किया। सम्राट कनिष्क मध्य एशिया का महान विजेता कहा गया है। बुद्ध की शिक्षाओं से वह प्रभावित था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर पेशावर, गांधार, सिंध, उत्तर पश्चिमी भारत, कश्मीर, हिमप्रदेश, मथुरा से लेकर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। बहुत से छोटे-छोटे शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके रजत-स्वर्ण सिक्के बताते हैं कि वह पहले ईरानी धर्म का अनुयायी था। भारत प्रवेश पर उसे ब्राह्मणों ने अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन शीघ्र ही वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कार्यों ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसके पहले सम्राट अशोक दुनिया में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार कर चुके थे।

चतुर्थ संगीति के स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ इसे जालंधर, कुछ पेशावर, कुछ कश्मीर में सम्पन्न होना बताते हैं। हो सकता है कि यह एक सुगठित श्रृंखलाबद्ध स्थान-स्थान पर संगायन आयोजित हो।

उस मतभेद के चलते इतना तो निश्चित है कि सर्वास्तिवाद निकाय पर विशेष बल दिया गया था। महास्थविर पार्श्व ने कनिष्क को उपदेश दिया था। कनिष्क ने राजाज्ञा द्वारा बौद्ध विद्वानों को पिटकों पर व्याख्या, भाषण लिखने के लिए आमंत्रित किया। लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा का अनुपालन करने हेतु प्रेरणा प्रदान की।

चीनी यात्री ह्वेन सांग ने लिखा है कि प्रथमतः गांधार को संगीति हेतु चुना गया था। पर गर्मी होने से प्रस्ताव स्थगित हो गया। फिर कश्मीर में संगीति हुई जहां कनिष्क ने विशाल बौद्ध विहार और भिक्षुओं के आवागमन के साधन उपलब्ध कराये। कनिष्क के युग में पूरा कश्मीर बौद्ध धर्मावलंबी था। यवनों के भारत प्रवेश के बाद वहाँ भारी धर्म परिवर्तन हुए। संस्कृत कवि कल्हण ने भी अपनी ऐतिहासिक कृति राजतरंगिनी में इसका जिक्र किया है। त्रिपिटक पर भाष्य लिखे गए। बौद्ध साहित्य की श्रीवृद्धि हुई। कनिष्क के युग में बौद्ध संगीति की कार्यवाही संस्कृत में हुई थी।

तिब्बती परंपरानुसार समस्त संस्कृत लेखन महाकवि अश्वघोष द्वारा संपन्न किया गया था। बौद्ध धर्म से प्रभावित सृजनात्मक मूर्तिकला का प्रचलन कनिष्क युग में ही प्रारंभ हुआ था। देशभर में कुषाण शैली के अनुरूप बुद्ध प्रतिमाएं उकेरी गई।

कुषाण युगीन बौद्ध धर्म प्रचार मध्य एशियाई भूभाग में भी फैला। दक्षिण भारत में भी बुद्ध के जीवन चरित को लेकर प्रस्तर चित्र उकेरे गए। अभी भी यह चित्रांकन किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है।

कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म-दर्शन को शब्दाडंबरों से आवृत कर दिया गया। अशिक्षित देश की जनता उसे पढ़ने में असमर्थ थी। बौद्ध विश्वविद्यालयों में भी अध्ययन-अध्यापन विधि को कठिन बना दिया गया। बुद्ध ने पालि में प्रवचन दिये थे जो लोकभाषा थी। साधारण उपासक एवं गृहस्थ बुद्ध का संदेश समझ लेते थे। धीरे-धीरे विद्वानों ने उनके उपदेशों को संस्कृत में लिपिबद्ध व अनुवादित करके हस्तलिखित पोथियों में परिवर्तित कर दिया।

पालि, पालि-संस्कृत, तिब्बती, नेपाली, सिंहली, चीनी भाषाओं में बुद्ध और बौद्ध साहित्य पूर्णरुपेण सुरक्षित है बौद्ध श्रेण्य साहित्य में त्रिपिटकों का ऊंचा स्थान है। इन संगीतियों में बौद्ध धर्म पर जो चर्चाए लिपिबद्ध करने के प्रयास हुए उसका पूर्ण विवरण आज भी मिलता है। यही बौद्ध धर्म का प्राणवान होने का शक्तिशाली प्रमाण है। ■

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कल्हण (2009), "राजतरंगिनी", मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा. लि., नई दिल्ली-110007
2. कोसाम्बी, धर्मानंद (2008), "भगवान बुद्धः जीवन और दर्शन", राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली-02
3. चंचरीक, कन्हैयालाल (2010), "भगवान बुद्धः जीवन और दर्शन", प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली-02
4. टर्नमौर, जॉर्ज (1996), "महावंश", एशियन एज्यूकेशनल सर्विसेस, दिल्ली -110019
5. सांकृत्यायन, राहुल (2010), "बुद्धचर्या", गौतम बुक सेंटर, दिल्ली-110032
6. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली (2012), "गौतम बुद्धः जीवन और दर्शन", राजपाल एंड संस, दिल्ली-110006

“बाबासाहेब की दूरदर्शिता एवं अग्रदृष्टि के अनुरूप हमने राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरूआत की”

दिनांक 14 अप्रैल, 2016 मेरीटाइम इण्डिया समिट मुम्बई में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्‌बोधन

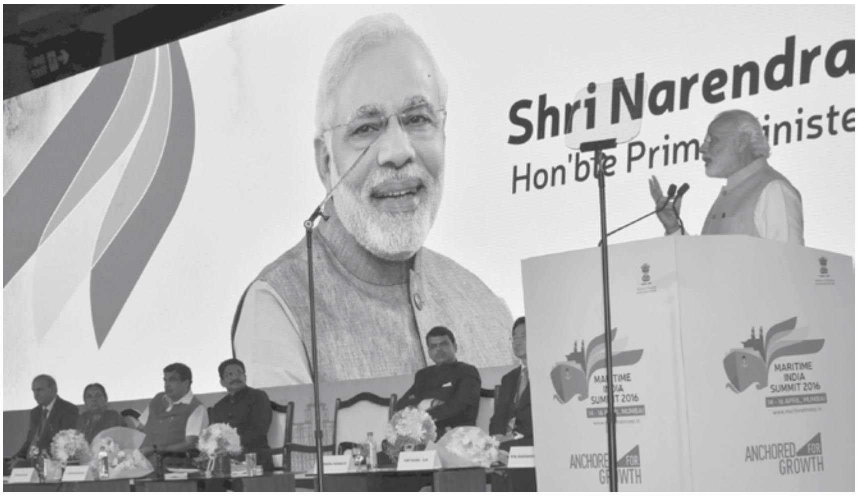

प्रतिनिधियों, देवियों और सज्जनों!

मेरीटाइम इण्डिया समिट में आपके साथ होकर एवं आपका स्वागत कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह प्रथम अवसर है जब भारतवर्ष द्वारा इतने बड़े स्तर पर एक वैश्विक आयोजन किया जा रहा है। भारत के समुद्रीय केन्द्र में इस आयोजन में हिस्सा ले रहे सभी सम्मानित अतिथियों का मैं तहेदिल से स्वागत करता हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों समेत यह आयोजन मेरीटाइम क्षेत्र में नये अवसरों एवं प्रचलनों को दिखाएगा।

हम सभी जानते हैं कि समुद्र पृथ्वी की सतह का सत्तर प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद पानी का सत्तानवे प्रतिशत समुद्रों में पाया जाता है। इसलिए समुद्री परिवहन आवागमन का सर्वाधिक विस्तृत साधन हो सकता है। पर्यावरण के लिहाज से भी यह सबसे अच्छा परिवहन है। हालांकि, इस तथ्य में एक पक्ष और है। वह यह है कि हमारे ग्रह पर रहने योग्य स्थानों का 99% समुद्र में है। इसका अर्थ यह है कि हमारी जीवनचर्या, परिवहन के साधन एवं व्यापार का आचार समुद्रों के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि न पहुंचाए। साथ ही समुद्री सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता एवं समुद्री रास्तों की संरक्षा एवं सुरक्षा भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों ने दर्शाया है कि समुद्रों एवं हिमनदों की पारिस्थितिकी में परिवर्तन मानव व्यवहार तक में बदलाव ला सकता है। द्वीप देशों एवं विशेषकर समुद्रवर्ती समाजों में यह पहले ही चिंता का कारण बना हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि इस समिट में समुद्र संबंधी आर्थिक मसलों पर चर्चा के दौरान इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। समुद्र में होने वाली डकैती का खात्मा इसका अच्छा उदाहरण है कि समुद्रवर्ती देशों के संयुक्त प्रयासों से किस प्रकार उत्कृष्ट नतीजे पाए जा सकते हैं।

मित्रों! 14 अप्रैल, 2016 को इस महत्त्वपूर्ण समिट को आयोजित करने का एक कारण है। आज भारत के एक महान पुत्र जो मुंबई में भी रहे थे एवं कार्य किया था, की 125 वीं जन्मशती है। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ जो हमारे संविधान के शिल्पकार हैं। वह भारत में जलक्षेत्र एवं नदियों में होने वाली परिवहन नीति के निर्माता भी हैं। आज के शुभ दिन मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगाध सम्मान देता हूँ। मैं यह अभिलाषा भी रखता हूँ एवं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी शिक्षाएं देश निर्माण हेतु हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहें।

हम में से बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि बाबासाहेब ने पानी, नौ-परिवहन एवं विद्युत संबंधी दो शक्तिशाली संस्थाओं की रचना की है। यह थे: केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई एवं नौपरिवहन आयोग एवं केंद्रीय तकनीकी वैद्युत बोर्ड। इन संस्थाओं का निर्माण करते समय उनके विचार उनकी ज़बरदस्त दूरदर्शिता का उदाहरण हैं।

3 जनवरी, 1945 को उनके संबोधन से मैं उद्धरण देता हूँ:

“इन दो संस्थाओं की रचना हेतु निहित उद्देश्य इस पर सुझाव देना है कि जल संसाधन किस प्रकार बेहतर इस्तेमाल किए जा सकते हैं एवं एक परियोजना का सिंचाई के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु किस तरह उपयोग हो सकता है।”

डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे देश के लाखों निर्धनों की खुशहाली के अध्याय की नींव के तौर पर नई नौपरिवहन नीति की महत्ता पर ज़ोर दिया था। मैं यह बता कर प्रसन्न हूँ कि बाबासाहेब की दूरदर्शिता एवं अग्रदृष्टि के अनुरूप हमने

राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की है। सात प्रतिशत से अधिक की विकास दर के साथ भारत आज तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने आने वाले दिनों में और बेहतर संभावनाएं जताई हैं। हमारी विकास दर को तेज़ एवं समावेशी बनाना, सुनिश्चित करने के लिये हम सक्रिय कदम उठा रहे हैं। यह समिट भारत को आर्थिक तौर पर शक्तिसम्पन्न, सामाजिक एवं तकनीकी तौर पर समृद्ध बनाने के बाबासाहेब के सपनों को सच करने की दिशा में एक और कदम है।

मेरी समझ में लगभग चालीस देशों से 4500 से भी अधिक पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। मैं विशेषकर प्रसन्न हूँ कि कोरियाई गणतंत्र इस आयोजन में साझीदार देश है। मैं कोरिया के राष्ट्रपति को एवं यहां उपस्थित वरिष्ठ मंत्री श्री किम यंग-सक को धन्यवाद देता हूँ।

मित्रों! हम भारतीय शानदार समुद्री विरासत के उत्तराधिकारी हैं। लगभग 2500 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता के दौर में गुजरात के लोथल में विश्व का प्रथम बंदरगाह बनाया गया था। यह बंदरगाह जहाज़ों को जगह देने एवं उनकी देखभाल करने की सुविधाओं से युक्त था। इसका निर्माण ज्वारीय प्रवाहों के अध्ययन के बाद किया गया था।

दो हज़ार वर्ष पहले लोथल के अतिरिक्त कुछ अन्य भारतीय बंदरगाह भी थे जो वैश्विक समुद्री व्यापार के प्रधान चालक थे। इनमें यह शामिल थेः-

- बैरिगज़ा- जो आज गुजरात में भरूच के तौर पर जाना जाता है;-
- मुज़ीरिस- जो आज केरल में कोचीन के निकट कोडुंगालुर के तौर पर जाना जाता है।
- कोरकाई- जो आज तूतीकोरिन है।
- कावेरीपत्तिनम-जो तमिलनाडु के नागपट्टिनम जनपद में स्थित है।
- अरिकमेडु-जो पुदुचेरी के अरियाकुप्पम जनपद में स्थित है।

रोम, ग्रीक, मिस्र एवं अरब देशों के साथ भारत के जोशपूर्ण समुद्री व्यापार के कई उद्धरण भारत के प्राचीन साहित्य में एवं ग्रीक और रोमन साहित्य में मिलते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय व्यापारियों ने दक्षिणपूर्वी एवं पूर्वी एशियाई देशों, अफ्रीका, अरब एवं यूरोप के साथ संपर्क बनाया हुआ था।

डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे देश के लाखों निर्धनों की खुशहाली के अध्याय की नींव के तौर पर नई नौपरिवहन नीति की महत्ता पर ज़ोर दिया था। मैं यह बता कर प्रसन्न हूँ कि बाबासाहेब की दूरदर्शिता एवं अग्रदृष्टि के अनुरूप हमने राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की है। सात प्रतिशत से अधिक की विकास दर के साथ भारत आज तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने आने वाले दिनों में और बेहतर संभावनाएं जताई हैं। हमारी विकास दर को तेज़ एवं समावेशी बनाना, सुनिश्चित करने के लिये हम सक्रिय कदम उठा रहे हैं। यह समिट भारत को आर्थिक तौर पर शक्तिसम्पन्न, सामाजिक एवं तकनीकी तौर पर समृद्ध बनाने के बाबासाहेब के सपनों को सच करने की दिशा में एक और कदम है।

मित्रों! जबसे मेरी सरकार ने कार्यभार संभाला है, अन्य कार्यों के साथ, हमने भविष्य की अवसंरचना पर भी ज़ोर दिया है। इसमें कई क्षेत्रों में आने वाले वक्त में होने वाला ढांचागत निर्माण सम्मिलित है। पोत, जहाज एवं समुद्र संबंधी अवसंरचना इनमें मुख्य है। यह मेरी सरकार की कोशिश है कि वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा पुनर्जीवित हो।

हमारी शानदार समुद्री विरासत पर कार्य करते हुए हम इस क्षेत्र में नई ऊंचाईया छूने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी सरकार के शुरुआती दिनों में हमने सागरमाला कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य हमारी लंबी समुद्री सीमा एवं प्राकृतिक समुद्री अनुकूलता का फायदा उठाना था। इसमें पत्तन आधारित विकास को प्रोत्साहित करने, तटवर्ती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना एवं इन क्षेत्रों में ढांचागत व्यवस्था के विकास पर भी ज़ोर दिया गया था। हम विशेषकर हमारे पत्तनों का विकास कर उनको विशेष आर्थिक क्षेत्रों, पत्तन आधारित छोटे शहरों, औद्योगिक पार्क, भंडारगृहों, साज़ो-सामान पार्क एवं परिवहन गलियारों के साथ समेकित करना चाहते हैं।

यहां यह बताना जरूरी होगा कि 7500 किलोमीटर लंबी हमारी विशाल समुद्री सीमा बहुत बड़े निवेश की संभावनाओं से भरी है। समुद्री सीमा की लम्बाई के अलावा समुद्र में भारत की संभावनाएं सभी समुद्री राजमार्गों पर इसकी रणनीतिक स्थिति पर टिकी है। इसके अतिरिक्त

हमारे पास विशाल एवं उत्पादक भीतरी प्रदेश है, जिससे होकर बड़ी नदियों की मंडली बहती है। हमारा समुद्री एजेण्डा भीतरी क्षेत्रों में समानांतर रूप से जारी महत्वाकांक्षी ढांचागत योजनाओं का पूरक होगा।

मैं विश्व के व्यवसायी समाज से आग्रह करता हूँ कि हमारे पत्तन आधारित विकास की प्रक्रिया को आकार देने में हमारे साथ साझीदार बनें। मैं आश्वस्त हूँ कि भारत की लंबी तटरेखा के साथ-साथ विविध तटवर्ती क्षेत्र एवं तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाला श्रमवान समाज भारत के विकास का आधार बन सकता है।

पत्तनों एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास को संभव कर दिखाने के लिए हमने कई नये कदम उठाए हैं एवं सुधार किए हैं:-

- हमारी 'मेक इन इण्डिया' एप्रोच के तहत हमने भारत को एक विश्वस्तरीय निर्माण केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- हाल ही में मूडी ने 'मेक इन इण्डिया' पहल की प्रशंसा की है।
- हमने व्यापार को सुगम बनाने के मोर्चे पर कई सुधार किए हैं- हमने इस मामले में विश्व रैंकिंग में 12 अंकों का सुधार किया है।
- सीमा पार होने वाले व्यापार की प्रक्रियाओं में काफी सरलीकरण हुआ है।
- हमने लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को उदार बनाया है, जिसमें रक्षा क्षेत्र एवं जहाज निर्माण भी शामिल हैं।
- शिपिंग पर सेवा कर में मिलने वाली छूट 70 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।
- जहाज के निर्माण में हमने कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान की है।
- जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
- बंकर ईंधन हेतु भारतीय झंडा लगे कंटेनर जहाजों के लिए कस्टम एवं एक्साइज ड्यूटी में छूट दी जाती है।
- समुद्र में लगने वाले करों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया गया है।
- पत्तनों पर अंतिम दूरी तय करने के लिए 'इण्डियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन' नाम से एक नई कम्पनी स्थापित की गई है।
- हमने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए एक कानून बनाया है।
- हमने कौशल विकास गतिविधियों को सक्रियतापूर्वक उठाया है।
- हमारे शुरुआती प्रयासों के नतीजे स्पष्टत: सामने हैं:-
- इस सरकार के आने के बाद एफडीआई में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वस्तुत: वर्ष 2015-16 में अब तक का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश हुआ है।
- भारत के बड़े पत्तनों द्वारा कार्गो संभालने की सर्वकालिक बड़ी मात्रा वर्ष 2015 में थी।
- पत्तनों की गुणवत्ता के मापदंडों में बहुत अच्छा सुधार हुआ है।
- पत्तनों में भारत का सबसे तेज़ औसत टर्नअराउंड समय 2015 में था।
- पिछले दो वर्षों में हमारे बड़े पत्तनों ने 165 मिलियन टन क्षमता हासिल की है, जिसमें इस वर्ष रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।
- अकेले वर्ष 2015-16 में इन पत्तनों द्वारा 94 मिलियन टन क्षमता जोड़ी गई जो अब तक सर्वाधिक है।
- वैश्विक मंदी के बावजूद पिछले दो सालों में बड़े बंदरगाहों पर ट्रैफिक में चार प्रतिशत से अधिक का विकास हुआ है।
- बड़े बंदरगाहों का पिछले दो सालों में प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा है।
- ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन, जो घट रहे थे, बढ़े हैं।
- अकेले वर्ष 2015-16 में 12 बड़े बंदरगाहों का ऑपरेटिंग प्रोफिट क़रीब 6.7 बिलियन रुपये बढ़ा है।
- वर्ष 2015-16 के दौरान गुजरात के कांडला बंदरगाह ने 100 मिलियन ट्रैफिक के पड़ाव को पार किया और क्षमता में 20 प्रतिशत की बेहतरी की।
- 'जवाहरलाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट' ने दस बिलियन रुपये का नेट प्रोफिट दर्ज किया, साथ ही कार्यक्षमता में बारह प्रतिशत की बढ़ोतरी भी।
- बीते वर्षों के मुकाबले हमारी फ्लैगशिप कम्पनियों जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन एवं कोचीन शिपयार्ड ने अधिक मुनाफा कमाया।

हालांकि यह सिर्फ शुरुआत है। हम और अधिक करना चाहते हैं। हम क्रियान्वयन एवं अमलीजामे की हमारी अपनी क्षमताओं में इज़ाफा कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना की राष्ट्रीय योजना आज जारी हो गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान बड़े बंदरगाहों ने 250 बिलियन रुपये से अधिक की 56 नई परियोजनाएं शुरू की हैं। इससे वार्षिक तौर पर 317 मिलियन टन की अतिरिक्त पत्तन क्षमता जनित होगी। हमारे दृष्टिकोण में 2025 तक पत्तनों की क्षमता 1400 मिलियन टन से बढ़ाकर 3000 मिलियन टन करने की है। इस विकास को संभव करने के लिए हम चाहते हैं कि पत्तन क्षेत्र में एक लाख करोड़ का निवेश हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुपात में बढ़ते एक्ज़िम ट्रेड की आवश्यकताओं को देखते हुए पांच नये पत्तनों की योजना है। भारत के बहुत से समुद्रवर्ती राज्य नये बंदरगाहों का विकास कर रहे हैं।

तटीय जहाजरानी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए बहुपक्षीय कदम तथा घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि की आशा से 2025 तक कोयले की तटीय आवाजाही बढ़ेगी। हम निकटतम और क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ शिपिंग तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में काम कर रहे हैं। भारत ने हाल में बंग्लादेश के साथ तटीय शिपिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस

समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा। भारत ईरान में चाहबहर बंदरगाह विकसित करने के काम में लगा है। विदेशों में समुद्री परियोजनाओं को देखने के लिए 'इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' के नाम से स्पेशल परपस वेकिल स्थापित किया गया है।

मुझे बताया गया है कि शिपिंग मंत्रालय समुद्री क्षेत्र में निवेश अवसर वाली 250 परियोजनाओं की प्रदर्शनी लगा रहा है। इन परियोजनाओं में 12 बड़े बंदरगाह परियोजनाएं, 08 समुद्री राज्यों में परियोजनाएं और एजेंसियां शामिल हैं। इनमें 100 से अधिक परियोजनाओं की पहचान सागर माला कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है। देश में 14,000 किलोमीटर समुद्री मार्ग हैं और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। मेरी सरकार अवसंरचना एकीकरण के लिए संकल्पबद्ध है। हम निवेशकों के लिए सहज और सहायक वातावरण बनाने और खुले मन से निवेश में सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

मित्रों, यह सब कुछ सामान्य लोगों के लाभ के लिए किया जा रहा है। यह युवाओं को रोजगार देने के लिए किया जा रहा है और विशेषकर तटीय समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत की आबादी का लगभग 18 प्रतिशत 72 तटीय जिलों में रहती है और यह समुदाय भारत के भू-क्षेत्र के 12 प्रतिशत हिस्से में बसा है। इसलिए तटीय क्षेत्रों तथा तटीय समुदायों का समग्र विकास आवश्यक है। तटीय समुदाय विशेषकर मछुआरा समुदाय के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सागरमाला कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हम व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे जिसका बल क्षमता सृजन तथा प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी उन्नयन तथा भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में सुधार पर होगा। यह काम तटीय राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा।

इन कार्यक्रमों से अगले 10 वर्षों में लगभग 10 मिलियन रोजगार सृजन होगा। इसमें 04 मिलियन प्रत्यक्ष तथा 06 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे।

भारत का समुद्री इतिहास गौरवशाली रहा है। हम और बेहतर समुद्री भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। समुद्री क्षेत्र से न केवल आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं बल्कि इससे देश और सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। यह ग्रह तथा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी देश अलग रहकर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रों को इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना होगा और इस क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना होगा।

आजीविका के अवसरों को और व्यापक बनाने के लिए हम मछली मारने के लिए आधुनिक जहाज विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इससे मछुआरा समुदाय को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम मछली पालन, जल संस्कृति तथा शीत भंडार चेन विकसित करने पर भी बल दे रहे हैं। भारत के बंदरगाह क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक बंदरगाह हैं और दोनों समुद्री क्षेत्र के विकास में योगदान कर रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास का पीपीपी मॉडल काफी सफल रहा है और इससे आधुनिक टेक्नोलॉजी और श्रेष्ठ व्यवहारों को अपनाने में मदद मिली है। निजी क्षेत्र के बंदरगाह काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी क्षमता पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हो गई है। कुल कार्गो का 45 प्रतिशत काम वही करते हैं। अधिकतर बंदरगाह नए हैं और उनमें आधुनिक सुविधाएं हैं। ये बंदरगाह कार्य प्रदर्शन और अवसंरचना के मामले में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के स्तर के हैं।

मित्रों, भारत का समुद्री इतिहास गौरवशाली रहा है। हम और बेहतर समुद्री भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। समुद्री क्षेत्र से न केवल आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं बल्कि इससे देश और सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। यह ग्रह तथा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी देश अलग रहकर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रों को इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना होगा और इस क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य ऐसे सहयोग के लिए मंच प्रदान करना है।

और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि:-

- यह भारत आने का सही समय है।
- समुद्री मार्ग से आना और बेहतर है।
- भारतीय जहाज लंबी दौड़ के लिए सुसज्जित हैं।
- मत खोईए यह अवसर,-

  इसे खोने का अर्थ है शानदार यात्रा और बड़े गंतव्य को खोना।

आपके यहां आ जाने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि आपका यहां रहना सुरक्षित और संतोषजनक हो। ■

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर–जीवन चरित

■ धनंजय कीर

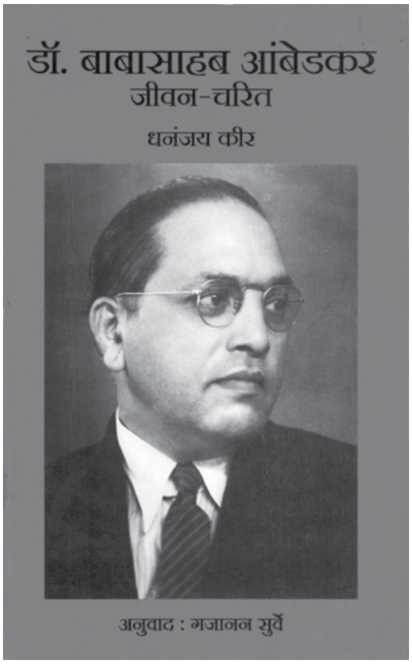

मुसलमानों की मुस्लिम लीग इस प्रमुख राजनीतिक संस्था के नेता जिन्ना ने कहा ब्रिटिश भारतीय मुसलमानों के मन में सुरक्षा और मुक्ति की भावना का निर्माण करें। विश्वयुद्ध के प्रारंभ में सरदार वल्लभभाई पटेल सहित सभी कांग्रेस नेताओं ने और चैंग-कै-शेक से मिलकर उल्लसित हृदय से भारत वापस लौटे पंडित नेहरू ने यही घोषणा की कि विश्वयुद्ध में ब्रिटिशों की बिना शर्त सहायता की भाषा बोलने के लिए उनका मन राजी नहीं था।

गाँधी जी तो दुःख से चूर हो गए! उन्होंने ब्रिटिश महाराज्यपाल से कहा कि ''ब्रिटिश संसद भवन और वेस्ट मिन्स्टर ऐबे का नाश हो गया तो हमें बहुत अफसोस होगा'। हिंदू महासभा के नेता वीर सावरकर ने कहा, जब तक ब्रिटेन हिंदुस्तान को परतंत्रता की खाई में रखता है, तब तक ब्रिटेन मानवजाति की स्वतंत्रता के साथ संलग्न होने वाले उच्च तत्त्वों की रक्षा के लिए विश्वयुद्ध में उतरा है। उनकी यह घोषणा एक विशुद्ध ठगन माना जाएगा।'

11 सितम्बर को एक बड़ी महत्त्व की घटना हुई। ब्रिटिश महाराज्यपाल ने यह घोषणा की कि यद्यपि संघराज्य की सरकार का सच्चा ध्येय था, फिर भी उसे अद्य:स्थिति में स्थगित रखने के अलावा कोई चारा नहीं।

स्वतंत्र मजदूर दल की ओर से निकाले गए अपने पत्रक में डॉ. आंबेडकर ने कहा, 'पौलैंड के पक्ष में विशेष न्याय है ऐसी बात नहीं, क्योंकि पोलैंड ने भी ज्यू लोगों का छल किया है। पौलैंड की समस्या केवल इस युद्ध की एक घटना जितनी ही है। लेकिन हमारे साथ जो सहमत नहीं होंगे, उन पर अपना मत हम लाद ही देंगे जर्मनी का यह दावा सारे विश्व में फैली हुई एक बड़ी विपत्ति ही है।' ब्रिटिशों की कठिनाई हमारा मौका है यह मानने वाले भारतीयों का मत डॉ. अम्बेडकर को स्वीकार नहीं था। उन्होंने यह अभिप्राय व्यक्त किया कि जिस वजह से भारतीय लोग पुनः नई गुलामी में पड़ जाएंगे उस तरह के मार्ग से वे न जाएं।

डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा कि भारत को अपनी विदेश नीति में युद्ध या संधि करने के बारे में मत देने का अधिकार न हो, यह बात अन्यायकारी है। यह अच्छा होगा कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रकुल में रहकर अन्य घटकों के साथ खुद को बराबरी का दर्जा प्राप्त कराने के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को अपने देश की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से ब्रिटिश लोग कोई योजना प्रस्तुत करें। उन्होंने ब्रिटिशों को इस तत्व की याद दिलाई कि गोलमेज परिषद् के समय ब्रिटिशों ने यह तत्व स्वीकार किया था कि भारत की सुरक्षा भारतीय ही करें। अपने पत्रक के अंत में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि 'युद्ध समाप्ति के बाद भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में कौनसा दर्जा प्राप्त होगा इस संबंध में ब्रिटेन आश्वासन दे; यह ब्रिटेन का कर्तव्य है। युद्धकाल के बाद भारत जिन तत्वों से लाभान्वित नहीं होगा उन तत्त्वों के लिए वह स्वेच्छा से मन:पूर्वक नहीं लड़ेगा।'

14 सितम्बर, 1939 को कांग्रेस नेताओं ने विश्वयुद्ध संबंधी अपने रुख में परिवर्तन किया। उन्होंने घोषित किया कि स्वतंत्र लोकतंत्र प्रधान भारत अन्य स्वतंत्र देशों के साथ एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सहयोग करेगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और लोकतंत्र के संदर्भ में और विशेषतः हिन्दुस्तान की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार अपना युद्ध संबंधी रूख जाहिर करे, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया।

कांग्रेस दल के इस अनिश्चित रुख से डॉ. अम्बेडकर सहमत नहीं थें। गांधी का यह दावा कि कांग्रेस सारे भारत की प्रतिनिधि है; कांग्रेस इतर नेताओं को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। 'यह दावा फासिस्ट वृत्ति का है और वह भारतीय लोकतंत्र के लिए विनाशकारी बनेगा, इस आशय का पत्रक वीर सावरकर, न. चिं. केलकर, जमनादास मेथा, चिमनलाल

सेटलवाड़, सर कावसजी जहांगीर और सर विट्ठलराव चंदावरकर ने निकाला। डॉ. अम्बेडकर ने भी उस पर हस्ताक्षर किए। 7 नेताओं के हस्ताक्षर वाला यह पत्रक उस समय काफी चर्चा का विषय बन गया था।

अक्तूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में ब्रिटिश महाराज्यपाल लॉर्ड लिनलिथिगो ने लगभग 52 भारतीय नेताओं से मुलाकातें कीं। उसमें सभी वर्गों और दलों के प्रतिनिधि थे। उनमें गांधी, जिन्ना, नेहरू, वीर सावरकर, पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, सुभाष बोस, डॉ. अम्बेडकर और अन्य नेता थे। 9 अक्तूबर को महाराज्यपाल ने डॉ. अम्बेडकर से भेंट की। उस भेंट में डॉ. अम्बेडकर ने महाराज्यपाल के मन पर यह प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया कि दलित वर्ग की भारतीय संविधान की प्रगति के संदर्भ में कैसी स्थिति रहेगी। उन्होंने महाराज्यपाल को यह भी बताया कि पुणे करार की फलनिष्पत्ति संतोषजनक नहीं, राजनीतिक सुधार का पुनर्विचार करते समय हम वह प्रश्न पुनः उठाएंगे।

भारतीय नेताओं के साथ चर्चा करने के उपरान्त महाराज्यपाल ने एक पत्र प्रकाशित करके भारतीय लोगों की आशा और आकांक्षाओं के बारे में ब्रिटिश सरकार के रुख को विशद किया। उसमें एक महत्वपूर्ण विधान यह था कि युद्ध समाप्ति के बाद सभी प्रमुख दलों की सम्मति से हिंदुस्तान सरकार के शासन संबंधी कानून में सुधार किया जाएगा। कोई भी महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार अल्पसंख्यकों की सम्मति के बिना कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी जाहिर किया कि युद्धकाल में सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति नियुक्त की जाएगी।

अक्तूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में ब्रिटिश महाराज्यपाल लॉर्ड लिनलिथिगो ने लगभग 52 भारतीय नेताओं से मुलाकातें कीं। उसमें सभी वर्गों और दलों के प्रतिनिधि थे। उनमें गांधी, जिन्ना, नेहरू, सावरकर, पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, सुभाष चन्द्र बोस, डॉ. अम्बेडकर और अन्य नेता थे। 9 अक्तूबर को महाराज्यपाल ने डॉ. अम्बेडकर से भेंट की। उस भेंट में डॉ. अम्बेडकर ने महाराज्यपाल के मन पर यह प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया कि दलित वर्ग की भारतीय संविधान की प्रगति के संदर्भ में कैसी स्थिति रहेगी। उन्होंने महाराज्यपाल को यह भी बताया कि पुणे करार की फलनिष्पत्ति संतोषजनक नहीं, राजनीतिक सुधार का पुनर्विचार करते समय हम वह प्रश्न पुनः उठाएंगे।

कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने कहा कि महाराज्यपाल का निवेदन पूरी तरह से असंतोषजनक है और ब्रिटेन को दी जाने वाली सहायता का अर्थ ब्रिटिशों के साम्राज्यवादी रुख को अपनी सम्मति देने जैसा होगा। इसलिए कांग्रेस ने सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों को इस्तीफा देने का आदेश दिया। ऐसा करने में कांग्रेस को जिस रुख का तिरस्कार लग रहा था उस रुख को सुविधाजनक रीति से आगे चलने के लिए ब्रिटेन को अनजाने में छूट दे दी गई।

डॉ. अम्बेडकर ने दिल्ली से एक जाहिर निवेदन प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने कहा था कि, 'गांधी और कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के बाहरी व्यक्ति और दल के संबंध में अपनी अहम मान्यता और अहंकारी दृष्टिकोण छोड़े बिना अल्पसंख्यकों की समस्या हल नहीं हो सकेगी। देशभक्ति कोई अकेले कांग्रेस जनों का पैतृक अधिकार नहीं है। इसलिए मतप्रणाली की अपेक्षा अन्य मतप्रणाली वाले व्यक्तियों को उसे उसी तरह व्यक्त करने का अधिकार है। वैसे ही उसे स्वीकृति दिलाने का अधिकार भी उन्हें है।' मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमडल पर किए आरोपों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उन आरोपों पर मेरा विश्वास नहीं। कांग्रेस राज्यशासन में मुसलमानों का छल होता है या वे त्रस्त हुए हैं इस पर मेरा भरोसा नहीं। अन्य अल्पसंख्यकों की भांति उन्हें भी राज्य कारोबार में अपना हिस्सा हो, ऐसा लगता है। अंत में उन्होंने कहा कि, 'अगर मुस्लिम लीग की भारत-विभाजन मांग ने मुसलमानों के दिल में घर कर लिया, तो भारत के अखंड रहने की आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर दलित वर्ग ने अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया, तो उसका पूरा दायित्व कांग्रेस पर ही पड़ेगा'।

यह दिखाई पड़ता है कि उपर्युक्त सात नेताओं के संयुक्त पत्रक, साथ ही दक्षिणी हिंदुस्तान के कांग्रेसेतर नेताओं द्वारा निकाले गये संयुक्त पत्रक के कारण कांग्रेस नेताओं के दिल में अस्वस्थता पैदा हुई होगी। उन दोनों संयुक्त पत्रकों पर दलित वर्ग के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर थे। उस समय कांग्रेस की युद्ध-समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने अस्पृश्यों की मांगे जान लेने के

लिए अक्तूबर 1939 के तीसरे सप्ताह में डॉ. अम्बेडकर के साथ दो दिन चर्चा की। यह अम्बेडकर-नेहरू की पहली भेंट थी। नेहरू को वे अपने व्यक्तिगत संभाषण में चौथी कक्षा का स्कूली लड़का कहते थे। यह भेंट बंबई प्रान्त के मुख्यमंत्री खेर ने आयोजित करवाई थी। इस भेंट के तुरंत बाद ही बंबई प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकारिणी के एक सदस्य भूलाभाई देसाई के बंगले पर कांग्रेस नेताओं के साथ तीन-चार दिन डॉ. अम्बेडकर की चर्चा हुई। गांधी जी के सचिव महादेव देसाई विशेषकर इसी काम के लिए वर्धा से आये थे। डॉ. अम्बेडकर के विचार गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेताओं को बताना उनका काम था। यह चर्चा सिर्फ बंबई मंत्रिमंडल के इस्तीफे की समस्या तक ही सीमित थी।

कांग्रेस दल जहाँ राज्य कर रहा था वहाँ की सभी विधानसभाओं में त्यागपत्र देने से पहले युद्धविषयक प्रस्ताव पेश किया गया। बड़े गंभीर वातावरण में बंबई विधानसभा में कांग्रेस दल ने युद्धविषयक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि, “ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को उनकी सम्मति के बिना ब्रिटेन और जर्मनी के बीच चल रहे युद्ध में एक भागीदार के रूप में अटका दिया है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के मतों की परवाह किए बिना प्रांतीय सरकार के अधिकार और कार्य के प्रतिरोधक कानून पास किये और उपायों की योजना की है।

डॉ. अम्बेडकर ने कांग्रेस के प्रस्ताव के अंतिम विधान पर आक्षेप लेकर उस भाग को हटाया जाए, ऐसी सभागृह में सूचना प्रस्तुत की। अपने विधानसभा के प्रस्ताव में देश की सभी मांगें कांग्रेस दल ने अंतर्भूत नहीं की। जितनी कांग्रेस श्रेष्ठियों ने आज्ञा की उतनी प्रस्तुत की गयी। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने मुख्यमंत्री खेर को दोष दिया। डॉ. अम्बेडकर ने युद्ध के बारे में अपना रुख फिर एक बार स्पष्ट किया। और यह जाहिर किया कि, ‘दलित वर्ग वह राजनीतिक दर्जा स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसे शूद्र के नीच स्थान पर सड़ना पड़े। अस्पृश्यों पर हिंदुओं के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रभाव में कुछ और राजनीतिक प्रभाव आ जाए, तो मैं उसे नहीं सहूँगा।’ डॉ. अम्बेडकर ने कांग्रेस को यह याद दिलाया कि स्पेनिश साम्राज्य से बाहर निकले स्पेनिश अमरीकी उपनिवेशों की क्या हालत हुई? उस उपनिवेश वालों ने ब्रिटेन के जेरेमी बेथंम को अपना संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया। बेथंम ने जहाज भरकर इंग्लैंड से ग्रंथ, साधन सामग्री मंगवाई। उनका बनाया संविधान उस देश में कैसा साफ रद्दबातल हुआ और उसकी जाहिर होली कैसे हुई इसका डॉ. अम्बेडकर ने स्मरण कराया। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान पोशाक की भांति शरीर को अच्छी तरह से फिट होनी चाहिए।

कांग्रेस दल जहाँ राज्य कर रहा था वहाँ की सभी विधानसभाओं में त्यागपत्र देने से पहले युद्ध विषयक प्रस्ताव पेश किया गया। बड़े गंभीर वातावरण में बंबई विधानसभा में कांग्रेस दल ने युद्धविषयक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि, “ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को उनकी सम्मति के बिना ब्रिटेन और जर्मनी के बीच चल रहे युद्ध में एक भागीदार के रूप में अटका दिया है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के मतों की परवाह किए बिना प्रांतीय सरकार के अधिकार और कार्य के प्रतिरोधक कानून पास किये और उपायों की योजना की है।

‘बहुसंख्य लोग अस्पृश्यों की उन्नति के लिए आवश्यक स्वतंत्रता, समता और बंधुता से इनकार कर रहे हैं। 100 तहसीलदारों में से दलित वर्ग में से एक भी तहसीलदार और 34 परगनादारों में से एक भी दलित वर्गीय नहीं है। 246 मुख्य लिपिकों में से एक भी दलित वर्गीय नहीं है। महसूल विभाग के 2444 लिपिकों में से सिर्फ 30 दलित वर्गीय हैं। सरकारी भवन निर्माण विभाग के 829 लिपिकों में से सिर्फ 7 लिपिक दलित वर्गीय हैं। आबकारी विभाग में 189 में से तीन; 538 पुलिस निरीक्षकों (इन्सपेक्टरों) में से सिर्फ 2 दलित वर्गीय; 33 उप-जिलाधिकारियों में से केवल एक दलित वर्गीय इस तरह यह प्रमाण है।’

आत्मीयता से परिपूरित प्रभावी आवाज में डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा, ‘मुझे मालूम है कि मेरी भूमिका क्या है, यह देश को यथार्थत: मालूम नहीं हुआ है। उसके बारे में गलतफहमियां हैं। इसलिए मेरी भूमिका स्पष्ट करने के लिए इस मौके का मुझे लाभ उठाने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि जब जब मेरा वैयक्तिक हित और सारे देश का हित दोनों में संघर्ष हुआ, तब मैंने देश के हित को प्रधानता दी।

‘खुद के हित को दोयम माना। (सुनिए, सुनिए) स्वहित बुद्धि से मैंने जीवन में किसी भी मार्ग का स्वीकार

नहीं किया। अगर मैंने अपनी शक्ति का और परिस्थिति का खुद के लिए उपयोग किया होता, तो आज मैं दूसरी ही जगह होता। जब-जब देश की मांगों का सवाल खड़ा हुआ तब-तब मैं अन्य लोगों से तनिक भी पीछे नहीं था। मुझे भरोसा है कि इस संबंध में गोलमेज परिषद् के मेरे सहयोगी मेरे कहने को पुष्टि देंगे। गोलमेज परिषद के ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ तो मेरा पैंतरा देखकर असमंजस में पड़ गए थे। उनके मतों के अनुसार गोलमेज परिषद में जिन प्रश्नों को नहीं उठाना था, उन प्रश्नों को उठाने वाला मैं एक भयंकर शरारती माना गया था।

'लेकिन इस देश की जनता के मन में मैं अनावश्यक आशंका नहीं रहने दूंगा। मैं दूसरी एकनिष्ठा से कुछ इस प्रकार बंधा हूँ कि उसे मैं कभी भी अलग नहीं कर सकूंगा। वह निष्ठा यानी मेरा अस्पृश्य वर्ग है। अस्पृश्यों में मैंने जन्म लिया है। मैं उनका हूँ। आमरण मैं उनसे अलग नहीं होऊंगा। इसलिए इस विधानसभा को दृढ़निश्चय के साथ मैं बताता हूँ कि जब अस्पृश्यों का हित और देश का हित दोनों में संघर्ष निर्माण होगा, उस समय अपनी तरफ से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अस्पृश्यों के हित को प्रधानता दूँगा। जो छल करने वाली बहुसंख्य जमात है, वह देश के नाम पर बोलती रहेगी, तो भी मैं उसे समर्थन नहीं दूंगा। यह मेरी भूमिका हर व्यक्ति को और हर जगह समझ लेनी चाहिए। देश का हित पहले या मेरा हित पहले, प्रश्न उद्‌भूत होने पर मैं पहले देश के हित को ही देखूंगा। साथ ही जब मेरे समाज का हित पहले या देश का हित पहले-सवाल खड़ा होगा तब मैं अस्पृश्य वर्ग के हित के ही पक्ष में खड़ा रहूँगा। मैंने आपके प्रस्ताव में जो दो सुधार, सुझाए हैं, उस संबंध में मुझे यही कहना था।'

आखिर डॉ. अम्बेडकर ने कहा, 'आपके सत्ता-त्याग को मेरी सम्मति की क्या जरूरत है? आपके दल के लोगों को वह बात तय करनी है।' उनका पूरा डेढ़ घंटा भाषण हुआ इस पर सभापति ने कहा कि, अन्य सदस्य अब अपने भाषण संक्षेप में करें। वह सुनकर डॉ. अम्बेडकर ने कहा, 'क्षमा कीजिए, महाराज।'

इस देश की जनता के मन में मैं अनावश्यक आशंका नहीं रहने दूंगा। मैं दूसरी एकनिष्ठा से कुछ इस प्रकार बंधा हूँ कि उसे मैं कभी भी अलग नहीं कर सकूंगा। वह निष्ठा यानी मेरा अस्पृश्य वर्ग है। अस्पृश्यों में मैंने जन्म लिया है। मैं उनका हूँ। आमरण मैं उनसे अलग नहीं होऊँगा। इसलिए इस विधानसभा को दृढ़ निश्चय के साथ मैं बताता हूँ कि जब अस्पृश्यों का हित और देश का हित दोनों में संघर्ष निर्माण होगा, उस समय अपनी तरफ से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अस्पृश्यों के हित को प्रधानता दूँगा। जो छल करने वाली बहुसंख्य जमात है, वह देश के नाम पर बोलती रहेगी, तो भी मैं उसे समर्थन नहीं दूंगा।

कांग्रेस श्रेष्ठियों के आदेशानुसार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने आखिर नवम्बर के पहले सप्ताह में इस्तीफे दे दिए। कांग्रेस मंत्रिमडलों के इस्तीफे देकर बाहर निकलने से जनाब जिन्ना आनंद से फूले न समाये। भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति की सांस ली, कहकर उन्होंने मुसलमानों के लिए 'मुक्ति दिन' मनाने का फरमान निकाला। नशाबंदी के रुख से जिन पारसी लोगों का नुकसान हुआ था उन्होंने भी कांग्रेस के सत्तात्याग के कारण आनंद व्यक्त किया। उन्होंने जिन्ना का साथ दिया। कैसा मजा है, देखिए। जो डॉ. अम्बेडकर पंद्रह दिन पहले ही दिल्ली से घोषणा कर चुके थे कि मुस्लिमों के इस कोलाहल पर मेरा विश्वास नहीं कि कांग्रेस के शासनकाल में भारतीय मुस्लिमों पर जुल्म होता है। वे ही डॉ. अम्बेडकर जिन्ना के राजनीतिक जलसे में शामिल होते हुए कहने लगे, 'जिन्ना का पत्रक पढ़ा। उन्हें अनजाने में मुझे पीछे धकेल देने का मैंने मौका दिया जिसकी मुझे शर्म आती है। जिन्ना ने जो भाषा और भावना व्यक्त की उसको इस्तेमाल करने का सच्चा अधिकार उनकी अपेक्षा मेरा ही था।' डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा कि, 'अगर जिन्ना द्वारा लगाए गये इल्जाम के अनुसार मुसलमानों पर जुल्म होने का पांच प्रतिशत उदाहरण साबित किए, तो मैं अस्पृश्य समाज पर हुए जुल्म के सौ में से सौ उदाहरण किसी भी क्षीर-नीर विवेकी न्यायासन के सामने साबित करूंगा। मुक्तिदिन कोई हिंदुओं के खिलाफ रचा गया दॉव-पेच नहीं। मुक्तिदिन का रुख कांग्रेस विरोधी है, इसलिए वह पूरी तरह से राजनीति है।' आखिर में उन्होंने यह भी कहा कि, "अगर हिंदुओं ने यह माना कि मुक्तिदिन हिंदुओं पर किया हुआ हमला है, तो उसका अर्थ यह होगा कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है। यह अन्य लोगों ने माना तो उसका जो कुछ असर पड़ेगा उसके बारे में वे स्वयं ही खुद को दोष दें, यही अच्छा है।

इस मुक्तिदिन की एक विशेषता यह थी कि गांधी जी और कांग्रेस के

इन दो प्रमुख विरोधियों जिन्ना और डॉ. अम्बेडकर ने भिंडी बाजार की मुक्तिदिन की सभा में एक दूसरे के साथ हस्तांदोलन किया और कांग्रेस के नेतृत्व पर दोनों ने ही अंगार बरसाये। वह सभा मुस्लिम लीग ने आयोजित की थी।

उसी समय एक समस्या ने डॉ. अम्बेडकर के मन को बहुत समय के लिए व्यस्त बना दिया था। बंबई सरकार ने महारों के वतनों पर ज्यादा कर लगाया था। वह समस्या हल करने के लिए 1927 से डॉ. अम्बेडकर प्रयास कर रहे थे। लेकिन उस अनाथों को उस गुलामी के जुल्म से मुक्त करने के बदले सरकार ने उनके वतनों पर अधिक कर लाद कर उनके जख्म पर नमक छिड़क दिया। इन शिकायतों को जाहिर व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के महार, मातंग और वेठबिगार लोगों ने डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में हरेगांव में दिसंबर 1939 के मध्य एक परिषद् आयोजित की। उन 20,000 वतनदारों के सामने भाषण करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने वह जुल्मी हुक्म रद्द करने के लिए सरकार को गंभीर इशारा किया। यदि सरकार ने वह जुल्मी हुक्म परिषद् के प्रारंभिक दिन से छह महीनों के अंदर रद्द कर वतनदारों को उस बिना वेतन और सख्ती के कामकाज से मुक्त नहीं किया तो उस जुल्म के विरोध के रूप में उन वतनदारों को वह सरकारी काम नकारने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं रहेगा। उन्होंने बड़ी आस्था के साथ सरकार से यह मांग की कि अन्य सरकारी नौकरों की भांति उन वतनदारों को वेतन दिया जाए और उनकी गुलामी से मुक्ति की जाए।

1940 साल उदित हुआ। राजनीतिक अखाड़े गर्म होने लगे। मार्च 1939 में डॉ. अम्बेडकर महाड़ गए। 19 मार्च का दिन स्वतंत्रता दिन के रूप में अस्पृश्य वर्गीय लोग मानते थे। उसी दिन कुछ साल पहले महाड़ में अस्पृश्यों का मानवी स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हुआ था। लगभग 8-10 हजार लोगों के सामने भाषण करते हुए उन्होंने कहा, 'भारतीय लोग राजनीतिक समस्याओं पर अपनी सारी शक्ति केंद्रित करें और अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की ओर ध्यान न दें; यह बिलकुल गलत बात है। अब समय आ गया है कि हिंदू समाज अपनी पुरानी समाज-संरचना तोड़ दें और अपनी संघटना आधुनिक विचारों पर निर्माण करे।' उसी दिन रात को महाड़ नगरपालिका ने डॉ. अम्बेडकर को सम्मानपत्र दे दिया।

कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अप्रैल 1940 में रामगढ़ में आयोजित किया गया। देश की मनुष्य शक्ति को भंग करने वाले प्रयासों का विरोध किया गया। उसी समय मुस्लिम लीग ने लाहौर के अपने अधिवेशन में वायव्य सीमाप्रांत और पूर्व की ओर जिन विभागों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहाँ अलग राज्य स्थापित करने की मांग की।

ब्रिटिश के खिलाफ मुस्लिमों की शक्ति इस्तेमाल करने के उद्देश्य से गांधी जी जातीय वृत्ति के अली बंधुओं का नेतृत्व जिन्ना के खिलाफ खड़ा कर दिया। नेहरू समिति द्वारा जिन्ना के साथ किया गया अपमानकारी बर्ताव कमालपाशा के जीवन से उन्होंने ली हुई स्फूर्ति और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित मुस्लिम संघठन के कारण जिन्ना का जातीय अहंकार जागृत हुआ। जिस उदारमतवादी में वे पले थे, वह राजनीति छोड़ दी। अब उन्होंने खुलेआम जातिवाद स्वीकार किया। कमालपाशा की जीवनी स्फूर्ति पा कर उन्होंने भारतीय मुसलमानों की एकता के दूत की भूमिका को फेंक दिया और अब उन्होंने मुसलमानों का स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन करने की प्रतिज्ञा की। जिन्ना का तेजोभंग सच्चे राष्ट्रीयत्व का तेजोभंग बन गया। वहीं से अब पाकिस्तान के गठन का आरंभ हुआ।

डॉ. अम्बेडकर इन घटनाओं का सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहे थे। अपने दल और संघठन का मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने महार पंचायत संस्था मोहित गुरूजी जैसे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन कर संस्थापित की और उस संस्था की ओर से एक परिषद् में भाषण कर उस कार्य का महत्व विशद किया।

इसी दरमियान हिटलर के सैनिकों द्वारा बेल्जियम, हॉलैंड, नार्वे आदि राष्ट्र हासिल करने की वजह से दूसरे विश्वयुद्ध को अतिगंभीर स्वरूप प्राप्त हो गया। ब्रिटेन ओर मित्रराष्ट्रों के होश उड़ गए। कांग्रेस नेताओं ने गांधी जी के नेतृत्व को अस्थायी रूप से छोड़ दिया और उन्होंने यह जाहिर किया कि अगर भारत में पूर्ण प्रतिनिधिक केन्द्रीय सरकार बनायी गयी तो वे ब्रिटेन के युद्ध प्रयास में सहयोग देंगे। उस मांग का उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की पुणे-बैठक में पुर्नविचार किया। इसलिए पुणे-प्रस्ताव का विरोध किया। जिन्ना को यह भी लगता था कि उससे हिंदुओं के स्थायी बहुमत वाली सरकार स्थापित होगी। इतने में स्वयं महाराज्यपाल ने अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की और युद्ध का कार्य देखने वाली एक युद्ध-समिति नियुक्त करने की योजना जाहिर की। कांग्रेस ने उस योजना को अपनी नापसंदगी दर्शायी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह योजना भारत के हित में बाधा डालने वाली है।

इसी समय सुभाषचंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से गांधी जी और उनके सहयोगियों ने हटा दिया। इसलिए सुभाषबाबू पूरी तरह से बेचैन हो गए। स्थानभ्रष्ट हुए सुभाषचंद्र बोस यद्यपि देश को गौरव लगते थे, फिर भी गांधी जी को वे कौरव लगते थे। ब्रिटिश सत्ता जीवन-मरण के संग्राम में व्यस्त थी। उस समय उसके खिलाफ भारतीय सामर्थ्य इकट्ठा करने के प्रयास में सुभाषचंद्र बोस थे। उन्होंने बंबई आकर 22 जून, 1940 को जिन्ना, डॉ. अम्बेडकर और सावरकर से भेंट की। संकल्पित संघराज्य योजना

के वे कड़े विरोधी थे। डॉ. अम्बेडकर के भी उस योजना के खिलाफ होने से सुभाषचंद्र बोस को ऐसा लगा कि डॉ. अम्बेडकर हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। संघराज्य योजना के खिलाफ चर्चा होने के बाद डॉ. अम्बेडकर ने सुभाषचंद्र बोस से दो महत्वपूर्ण सवाल किए- पहला सवालः 'क्या आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार खड़े करेंगे?' सुभाषचंद्र बोस ने नकारात्मक उत्तर दिया। दूसरा सवालः 'अस्पृश्यों की समस्या के बारे में आपके दल की ठोस भूमिका क्या रहेगी?' सुभाषचंद्र बोस इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं दे सके। जिन्हें मनुष्यता से वंचित किया गया था, वे राष्ट्रीयत्व की भूमिका निभाएँ ऐसा अस्पष्ट बोलकर समय निभाने के अतिरिक्त इन महान राष्ट्रभक्तों की दौड़ आगे नहीं बढ़ती थी। इतनी बड़ी भयंकर समस्याओं के प्रति उनके मन में बिलकुल कसक नहीं थी, यही सच है। सावरकर के साथ सुभाषचंद्र बोस की जो चर्चा हुई, वह उन्हें स्फूर्तिदायी लगी। उस दिन से वे ब्रिटिश सत्ता से भारत के बाहर रहकर स्वातंत्र्य युद्ध करने के बारे में सोच-विचार करने लगे।

कांग्रेस के पुणे-प्रस्ताव की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तब कांग्रेस फिर से गांधी जी की सर्वाधिकारी भूमिका की ओर मुड गई। गांधी जी विश्व का एक महान शक्तिकेंद्र। उनकी देह में प्राण होने तक ब्रिटिशों के खिलाफ अन्य कौन सारे देश में खलबली मचाएगा? गांधी जी की शक्ति और अपनी युक्ति एक होनी चाहिए-ऐसा अगर किसी नेता' को लगे भी तो गांधी जी वैसा बर्ताव थोड़े ही करेंगे? आखिर गांधी जी ने यह प्रचार करने के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीय हिस्सा न लें अहिंसा के तत्व पर वैयक्तिक सत्याग्रह आरंभ किया। हो गया, ज्यादातर सभी कांग्रेस नेताओं को कारागृह में डाल दिया गया। डॉ. अम्बेडकर ने मत व्यक्त किया कि गांधी जी के इस नये पैंतरे का अर्थ यह था कि ब्रिटिशों को पैसा और मनुष्यबल प्राप्त न हो। यानी भारत के सुरक्षा कानून का यह भंग था। इस संबंध में डॉ. अम्बेडकर ने और कहा, 'यद्यपि यह सच है कि सभी विचारकों को हिंसा के मार्ग का धिक्कार करना चाहिए, तो भी सामर्थ्य का उपयोग हिंसा पराभूत करने के लिए करना एक अलग बात है और सामर्थ्य के जोर पर प्राप्त विजय का उपयोग पराजितों पर हीन और अन्याय शर्तें लगाने के लिए करना, एक अलग बात है। यह समझ गांधी जी की विचारधारा की क्षमता के बाहर है। मेरा मत यह है कि दुःख का मूल सामर्थ्य के उपयोग में न होकर विजय का दुरुपयोग करने में है। गांधी जी और युद्धविरोधी प्रचार करने वाले सभी लोगों और अहिंसावाद पर भरोसा रखने वाले लोगों का संधि की शर्तें पराजितों के लिए हीन और अन्याय लगी, तो वे प्राणांतिक अनशन करें। यह किया गया तो मानव जाति पर उनके चिरंतन उपकार होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि युद्धविरोधी प्रचार करने वाले लोगों ने अपने जीवित हेतु का विपरीत अर्थ लगाया है। उनको अन्याय संधि के खिलाफ खड़े रहना चाहिए, बल के नहीं। बल का इस्तेमाल मत करो, ऐसा जनता को बताने वाला, शांतिवादी को मनुष्यबल का इस्तेमाल विजय प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, ऐसा करने वालों की ही सहायता करता है।' उस समय कांग्रेस दल से फूटकर राघोबागिरी करने वाले राजाजी ने कहा था। कि, 'अगर मैं महाराज्यपाल होता, तो पुरानी राज्यपद्धति ही जारी रखता।' उस पर अम्बेडकर ने कहा, 'यह कहना शुद्ध ढकोसला है कि कांग्रेस देश के लिए लड़ रही है। सत्ता की चाबियाँ हाथ में लेने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। गांधी जी को भारत सुरक्षा कानून के खिलाफ सत्याग्रह करना था, तो उन्होंने जब वह कानून एक साल पहले सम्मत हुआ, तब वैसा क्यों नहीं किया?'

कांग्रेस के पुणे-प्रस्ताव की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तब कांग्रेस फिर से गांधीजी की सर्वाधिकारी भूमिका की ओर मुड गई। गांधीजी विश्व का एक महान शक्तिकेंद्र। उनकी देह में प्राण होने तक ब्रिटिशों के खिलाफ अन्य कौन सारे देश में खलबली मचाएगा? गांधीजी की शक्ति और अपनी युक्ति एक होनी चाहिए-ऐसा अगर किसी नेता' को लगे भी तो गांधीजी वैसा बर्ताव थोड़े ही करेंगे? आखिर गांधीजी ने यह प्रचार करने के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीय हिस्सा न लें अहिंसा के तत्व पर वैयक्तिक सत्याग्रह आरंभ किया। हो गया, ज्यादातर सभी कांग्रेस नेताओं को कारागृह में डाल दिया गया।

(पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित धनंजय कीर की लिखी पुस्तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित से साभार)

(क्रमशः शेष अगले अंक में)

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक चिंतन

■ देवी दयाल गौतम

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचार और चिंतन आज भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर एक दार्शनिक, विचारक, न्यायशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार और एक महान अर्थशास्त्री थे। उनकी पीएच.डी. का शोध विषय 'इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फायनेंस इन ब्रिटिश इंडिया' तथा डी.एस.सी. का विषय था 'प्रॉब्लम ऑफ द रुपी', ये अत्यंत ही गहन विषय थे, जो कि बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुए। उनके एम.ए. का विषय 'एनसिएंट इंडियन कॉमर्स' तथा एमएससी का शोध विषय 'डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरिएल फायनांस इन ब्रिटिश इंडिया' भी गंभीर और महत्त्वपूर्ण विषय थे। उनका इरादा अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध अध्ययन केन्द्र बॉन यूनिवर्सिटी से एक एडवांस कोर्स करने का भी था, जिसे वे पैसे की कमी के कारण पूरा नहीं कर सके। उनकी यह शैक्षिक उपलब्धियां उनके अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान होने का प्रमाण है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से वर्ष 1925 में गठित हिल्टन कमीशन के सामने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। उनके दूसरे असंख्य लेख एवं भाषण न केवल उनके एक अग्रणी अर्थशास्त्री होने को प्रमाणित करते हैं बल्कि इससे उनकी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने की उत्सुकता भी प्रमाणित होती है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा विद्यार्थियों की एक सभा में 'रिस्पांसब्लिटीज ऑफ ए रिस्पांसिबिल गवर्नमेंट' विषय पर पढ़े गए लेख में व्यक्त विचारों के बारे में उस समय के प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्र के विद्वान प्रो. हेराल्ड जे. लस्की ने कहा था लेख में प्रकट किए गए डॉ. अम्बेडकर के विचार क्रांतिकारी स्वरूप के हैं। डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक दर्शन से प्रभावित होकर ही नोबल पुरस्कार विजेता डॉ. अमर्त्य सेन ने कहा है– डॉ. अम्बेडकर मेरे अर्थशास्त्र के जनक हैं।

डॉ. अम्बेडकर के शोध ग्रंथ 'डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपिरियल फायनांस इन ब्रिटिश इंडिया' पर उनके आचार्य एडविन केनन ने अपनी प्रस्तावना में उनके तर्क से मतभेद व्यक्त करते हुए उनके ग्रंथ में व्यक्त विचारों और युक्तिवाद में प्रकट कुशाग्र बुद्धि की सराहना की थी।

भारत की मुद्रा प्रणाली में आवश्यक सुधार लागू करने के लिए रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फायनांस की स्थापना की गई थी। इस कमीशन के अध्यक्ष एडवर्ड हिल्टन यांग थे। इस कमीश्न ने 40 लोगों के बयान लिए, जिनमें डॉ. अम्बेडकर को जब आमंत्रित किया गया तो कमीशन के हरेक सदस्य के हाथ में डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखित 'इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फायनांस इन ब्रिटिश इंडिया' ग्रंथ की प्रतिलिपियां थी। यह इस अद्‍भुत भारतीय मनीषी के प्रति अंग्रेज बुद्धिजीवियों द्वारा परोक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित बौद्धिक सम्मान था।

उस समय सारे भारत में यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि रुपये का मूल्य पौंड के हिसाब से 1 शिलिंग 4 पैन्स या 1 शिलिंग 6 पैन्स रखा जाए। इस विषय में डॉ. अम्बेडकर ने दो लेख लिखकर अपनी राय जाहिर की थी, उनमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 6 पैन्स रखना ही राष्ट्र के लिए हितकर होगा। बाद में डॉ. अम्बेडकर के इस सुझाव के अनुसार ही रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 6 पेन्स रखा गया था।

कमीशन के सामने दिए गए अपने बयान में डॉ. अम्बेडकर ने साफ-साफ कहा था कि सरकार की दुविधामयी नीति के कारण ही कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। उन्होंने एच.एल. शैव्लानी की पुस्तक इंडियन करेंसी एंड एक्सचेंज पर समालोचना लिखी थी।

डॉ. अम्बेडकर ने अपनी कृतियों में अंग्रेज सरकार की तत्कालीन कर-नीति जैसे अत्यधिक भूमि लगान, नमक कर, इंग्लैंड तथा भारतीय उत्पादन पर असमान कर, कस्टम ड्यूटी, जागीरदारी व्यवस्था द्वारा किसानों का घोर आर्थिक शोषण तथा अंग्रेजों और भारतीय सरकारी अधिकारियों के वेतन में भारी अंतर आदि की आलोचनाएं की थीं। इस व्यवस्था के परिणामों का चित्रण बाबासाहेब ने इन शब्दों में किया था –"The Agencies of war were cultivated in the name of peace and they usurped so much of the total funds that nothing was practically left for the agencies of progress" अर्थात् शांति के नाम पर

युद्ध के अभिकरण तैयार किए गए और वे संपूर्ण धनराशि का इतना अधिक भाग हजम कर गए कि विकास के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। रुपये की समस्या पर उनका मत था कि भारतीय रुपये का आधार सोना होना चाहिए न कि चांदी। डॉ. अम्बेडकर 'गोल्ड एक्सचेंज स्टैण्डर्ड' तथा 'गोल्ड रिजर्व फण्ड' के विरोधी थे। रुपये के मूल्य को उसकी आंतरिक क्रय क्षमता से जोड़ने तथा उसके नियंत्रित प्रचलन के पक्षधर थे। उनका सुझाव था कि रुपये का मूल्य सोने के रूप में रखा जाए। इस विवरण से स्पष्ट है कि बाबासाहेब भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति कितने चितिंत थे तथा उन्होंने इसे सुध ारने में अथक योगदान दिया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर की एक अर्थशास्त्री के रूप में योग्यता अंग्रेज और पश्चिम के विद्वानों द्वारा कितनी सराही गई थी।

स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद भारत में वांछित अर्थव्यवस्था के बारे में उनके विचार 'स्टेट्स एंड मायनॉरिटीज' नामक पुस्तक, जो वास्तव में उनका संविधान का अपना प्रारूप था, में स्पष्टतया अंकित है।

डॉ. अम्बेडकर प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी लोकतंत्र का प्रथम कर्तव्य मानते थे। वे साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खुले विरोधी थे। उनकी सोच में कार्ल मार्क्स और गौतम बुद्ध के विचारों का अद्भुत समन्वय है। वे पक्के यथार्थवादी थे। उनकी मान्यता थी कि मानव समाज में पूर्ण समानता नहीं लाई जा सकती। इसलिए वे धन दौलत एवं अन्य प्रकार की सामाजिक-शैक्षिक असमानताओं को ही क्रमिक और तार्किक ढंग से दूर करना चाहते थे। उन्होंने प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों, बीमा कंपनियों तथा कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण की बात बहुत पहले उठाई थी। इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने भूमि तथा कृषि के राष्ट्रीयकरण की वकालत की थी। वे समाजवाद और सार्वजनिक क्षेत्र के पक्षधर थे, जिनके माध्यम से नेहरु भी भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित एवं विकसित करना चाहते थे। डॉ. अम्बेडकर की आर्थिक योजना पर उनके निम्नलिखित शब्द प्रकाश डालते हैं– यदि विदेशी तत्वों को निष्कासित करके आर्थिक परिवर्तनों को वरीयता दी जाए तो सशक्त प्रशासन आसानी से समाज में दूरगामी सुधार ला सकता है।

डॉ. अम्बेडकर का दृढ़ मत था कि हमें अपने लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाना चाहिए क्योंकि इसके बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। उन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक

दशा का चित्रण एक जोरदार राजनीतिक एवं आर्थिक शब्दावली में इस प्रकार किया है -

'यह अत्यन्त असंतोषजनक स्थिति है कि अधिकांश लोगों को अपनी जीविका कमाने के लिए भार ढ़ोने वाले पशुओं की तरह 14-14 घंटे पसीना बहाना पड़ता है और इस प्रकार वे मनुष्य की अमूल्य धरोहर मस्तिष्क एवं मन का प्रयोग करने के अवसरों से सर्वथा वंचित रह जाते हैं। पूर्व में कैसा भी रहा हो परंतु वर्तमान समय में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने इसे संभव बना दिया है। कुछ लोगों द्वारा दूसरों का उत्पादन के साधनों, भूमि और उद्योगों पर समाज का नियंत्रण नहीं है। जब यह संभव कर दिया जाएगा तो मैं इसे वास्तविक क्रांति मानूंगा।'

डॉ. अम्बेडकर की यह भी मान्यता थी कि सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के बिना जीवन और राजनीतिक स्वतंत्रता का कानून एवं संविधान द्वारा संरक्षण बेमानी हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोग (दलितों सहित) केवल कानून और व्यवस्था पर जीवित नहीं रहते, उन्हें तो रोटी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के बारे में उन्होंने कहा कि 'मेरे विचार में लोकतंत्र की सफलता की पहली शर्त है कि समाज में घोर असमानताएं न हों। वहां पर कोई सर्वाधिकार संपन्न वर्ग न हो। वहां पर न तो कोई सर्वाधिकार संपन्न वर्ग और न ही कोई सर्वथा वंचित वर्ग हो। अन्यथा ऐसा विभाजन, ऐसी परिस्थिति तथा ऐसा सामाजिक संगठन हमेशा हिंसक क्रांति के बीज संजोए रहता है और लोकतंत्र द्वारा इनका निदान असंभव हो जाता है।'

डॉ. अम्बेडकर उन राष्ट्रवादियों से असहमत थे, जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे। वे ऐसी कोरी एवं भावुक देशभक्ति को आदर्श नहीं मानते थे। उनकी मान्यता स्पष्ट थी - 'भारत में वे लोग राष्ट्रवादी और देशभक्त माने जाते हैं, जो अपने भाईयों के साथ अमानुषिक व्यवहार होते देखते हैं, किंतु उन पर उनकी मानवीय संवेदना आंदोलित नहीं होती। उन्हें मालूम है कि इन निरापराध लोगों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है, परंतु इससे उनके मन में कोई क्षोभ पैदा नहीं होता। वे एक वर्ग के सारे लोगों को नौकरियों से वंचित देखते हैं, परंतु इसमें उनके मन में न्याय ओर ईमानदारी के भाव नहीं उठते। वे मनुष्य और समाज को कुप्रभावित करने वाली सैंकड़ों कुप्रथाओं को देखकर भी मर्माहत नहीं होते। इन देशभक्तों का तो एक ही नारा है - उनको तथा उनके वर्ग के लिए

अधिक से अधिक सत्ता। मैं प्रसन्न हूँ कि मैं इस प्रकार के देशभक्तों की श्रेणी में नहीं हूँ। मैं उस श्रेणी से संबंध रखता हूँ, जो लोकतंत्र की पक्षधर है और हर प्रकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए संघर्षरत है। हमारा उद्‌देश्य जीवन में सभी क्षेत्रों – राजनीतिक, आर्थिक एवं समाज में 'एक व्यक्ति, एक मूल्य' के आदर्श को व्यवहार में उतारना है।'

बाबासाहेब ने राजनीतिक आंदोलनों में मजदूर वर्ग की भूमिका के बारे में 6-7 सितंबर, 1943 को पांचवी मजदूर सभा को संबोधित करते हुए कहा था–

'मैं दो टिप्पणियां करना चाहता हूँ। पहली यह है कि जो लोग औद्योगिक ढांचे की पूंजीवादी व्यवस्था और राजनीतिक ढांचे की संसदीय व्यवस्था में रह रहे हैं, वे अपनी व्यवस्था के अंतर्विरोधों को अवश्य पहचानें। इसमें प्रथम अंतर्विरोध काम न करने वालों के लिए असीम संपदा एवं काम करने वालों के लिए भीषण गरीबी के रूप में है। दूसरा अंतर्विरोध राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में, राजनीति में समानता परंतु आर्थिक क्षेत्र में असमानता। 'एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य' हमारे राजनीतिक आदर्श है, परंतु आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक आदर्श का बिल्कुल उल्टा है। इन अंतर्विरोधों को दूर करने के रास्तों के बारे में मतभेद हो सकते हैं, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता कि ये अंतर्विरोध हैं।

मेरी दूसरी टिप्पणी यह है कि जबसे जीवन का आधार 'स्तर' ओर 'संविदा' हुए हैं, तब से जीवन की असुरक्षा एक सामाजिक समस्या बन गई है और मानवीय जीवन को बेहतर बनाने वालों को इसका हल ढूंढना होगा। मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को व्याख्यायित करने में बड़ी शक्ति लगाई है। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि तब तक सुरक्षा संभव नहीं होगी, जब तक इन अधिकारों को मूर्त रूप नहीं दिया जाता, जिन्हें जन-साधारण समझ सके, जैसे – शांति, मकान, पर्याप्त कपड़ा, शिक्षा, अच्छी सेहत तथा सब से ऊपर गिरने के भय के बिना सिर को उंचा रखकर चलने का अधिकार।'

'हम भारत में इन समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें अपने मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। भारत में केवल आर्थिक उत्पादन पर सारी शक्ति लगा देना पर्याप्त नहीं होगा। हमें न केवल सभी भारतीयों के सम्मानजनक जीवन के साधन के रूप में इस संपदा में उनकी हिस्सेदारी के मौलिक अधिकार पर सहमत होना होगा, बल्कि असुरक्षा से बचने के तरीके भी ढूंढ़ने होंगे।'

वे गांधीवादी अर्थव्यवस्था से खुले रूप से असहमत थे। उनकी दृष्टि में गांधीवाद केवल वर्गभेद से ही संतुष्ट नहीं है, वह वर्ण-व्यवस्था पर भी जोर देता है। यह तो समाज की वर्ण अर्थात् आर्य-संरचना को पवित्र मानता है, जिसके फलस्वरूप अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, मालिक-नौकर आदि हमारे सामाजिक संगठन के स्थायी अंग हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि 'गांधीवाद ऐसे समाज के लिए उपर्युक्त हो सकता है जो लोकतंत्र के आदर्श को अस्वीकार करता हो। ऐसा समाज आत्मनिर्भरता ओर संस्कृति के प्रति उदासीन हो सकता है, परंतु लोकतांत्रिक नहीं। पहला समाज कुछ लोगों के लिए आराम और सुसंस्कृत जीवन तथा अधिकांश लोगों के लिए कड़ी मेहनत और दरिद्रता का जीवन स्वीकार करेगा। परंतु एक लोकतांत्रिक समाज के लिए अपने सभी नागरिकों को सुखी एवं सुसंस्कृत जीवन सुनिश्चित करना आवश्यक है।' डॉ. अम्बेडकर मशीनीकरण और औद्योगीकरण के प्रबल समर्थक थे, जबकि गांधीजी इसके कट्टर विरोधी थे।

वास्तव में डॉ. अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान भारत के औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण की नींव डालने का भी रहा है। दुर्भाग्यवश उन के इस योगदान को जानबूझकर लोगों के समाने प्रकट नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में उनका प्रमुख योगदान मजदूर वर्ग का कल्याण, बाढ़ नियंत्रण योजनाएं, कृषि सिंचाई, बिजली उत्पादन एवं जल यातायात संबंधी योजनाएं तैयार करना है। इसके फलस्वरूप ही बाद में भारत में औद्योगीकरण एवं बहुउद्‌देशीय नदी जल योजनाएं बन सकी।

यह स्पष्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरु गांधीवादी व्यवस्था के विरूद्ध उतने मुखर नहीं थें, जितने कि डॉ. अम्बेडकर। नेहरु जी के लिए भी राजनीतिक स्वतंत्रता सर्वोपरि थी, और सामाजिक कार्यक्रम गौण थे। डॉ. अम्बेडकर और नेहरुजी, दोनो ही राजकीय समाजवाद में विश्वास रखते थे।

डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में - 'समस्या यह है कि अधिनायकवाद के बिना समाजवाद और संसदीय लोकतंत्र के साथ राजकीय समाजवाद कैसे रहे। इसका केवल यही हल दिखता है कि संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक कानूनों द्वारा राजकीय समाजवाद अपनाया जाए, जिसे संसदीय बहुमत द्वारा निलंबित, संशोधित अथवा समाप्त करना असंभव होगा। इस प्रकार समाजवाद लाने, संसदीय लोकतंत्र को स्थापित करने और अधिनायकवाद से बचने के हमारे तीनों उद्देश्यों की पुष्टि हो सकेगी।

डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन मूलतः सामाजिक-आर्थिक दर्शन है। वे कहते हैं 'बेरोजगार लोगों से पूछिए कि उनके लिए मौलिक अधिकारों की क्या उपयोगिता है। यदि किसी बेरोजगार व्यक्ति को अनिश्चित घंटों वाली सवैतनिक नौकरी और किसी मजदूर यूनियन में शामिल होने, संगठन बनाने अथवा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बीच चुनने के लिए कहा जाए तो क्या उसके चुनाव के बारे में कोई शक हो सकता हैं। वह दूसरी चीज कैसे चुन सकता है? भुखमरी, घर-विहीनता, दरिद्रता, बच्चों को स्कूल से दूर रखने जैसी परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकर छोड़ने के लिए बाध्य कर सकती हैं। इस प्रकार बेरोजगार लोग काम तथा जीवन-निर्वाह के लिए मौलिक अधिकारों को तिलांजलि देने के लिए मजबूर होंगे।

स्वतंत्रता के संबंध में चर्चा करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा– 'संवैधानिक विशेषज्ञ यह मान लेते हैं कि स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु मौलिक अधिकारों को दे देना ही पर्याप्त है! उनकी मान्यता है कि जब सरकार व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। किंतु आवश्यकता इस बात की है कि न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप को कायम रखते हुए वास्तविक स्वतंत्रताओं को बढ़ाया जाए। स्वतंत्रता को केवल सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण मुक्ति के संदर्भ में ही नहीं परिभाषित किया जाना चाहिए इससे स्वतंत्रता की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। सरकारी हस्तक्षेप के बिना जंगलराज अर्थात् जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला समाज होगा।'

इसलिए डॉ. अम्बेडकर की राजशक्ति की सृजनात्मक भूमि पर जोर दिया जाए, तो सही मायने में लोकतांत्रिक राज लोक कल्याणकारी होगा। ऐसे राज का उपयोग जमींदारों और पूंजीपतियों जैसे निहित स्वार्थों को अनुशासित करने और उनके सामाजिक-आर्थिक आधार को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। इनके अधिकारों को सीमित किए बगैर आम जन को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। अतः डॉ. अम्बेडकर ने कहा 'एक अर्थव्यवस्था, जिसमें लाखों मजदूर उत्पादनरत हों, समय-समय पर किसी न किसी को नियम बनाने पड़ेंगे, ताकि मजदूरों को काम मिल सके और उद्योग चलते रहें, अन्यथा जीवन असंभव हो जाएगा। राजकीय नियंत्रण से स्वतंत्रता का मतलब होगा व्यक्तिगत मालिकों की तानाशाही।

डॉ. अम्बेडकर के मस्तिष्क में समाजवाद की रूप-रेखा बहुत स्पष्ट थी। भारत के सामाजिक रूपांतरण और आर्थिक विकास के लिए वे इसे अपरिहार्य मानते थे। उन्होंने भारत के भावी संविधान के अपने प्रारूप में इस रूप-रेखा को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत भी किया था जो कि 'स्टेट्स एंड मायनॉरिटीज्' नामक पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। उनके अनुसार भावी संविधान में भारतीय संघ निम्नलिखित को संवैधानिक कानून का अंग घोषित करेगा -

1. सभी प्रमुख उद्योग सरकारी नियंत्रण

इसलिए डॉ. अम्बेडकर की राजशक्ति की सृजनात्मक भूमि पर जोर दिया जाए, तो सही मायने में लोकतांत्रिक राज लोक कल्याणकारी होगा। ऐसे राज का उपयोग जमींदारों और पूंजीपतियों जैसे निहित स्वार्थों को अनुशासित करने और उनके सामाजिक-आर्थिक आधार को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। इनके अधिकारों को सीमित किए बगैर आम जन को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। अतः डॉ. अम्बेडकर ने कहा 'एक अर्थव्यवस्था, जिसमें लाखों मजदूर उत्पादनरत हों, समय-समय पर किसी न किसी को नियम बनाने पड़ेंगे, ताकि मजदूरों को काम मिल सके और उद्योग चलते रहें, अन्यथा जीवन असंभव हो जाएगा। राजकीय नियंत्रण से स्वतंत्रता का मतलब होगा व्यक्तिगत मालिकों की तानाशाही।

में होंगे तथा सरकार द्वारा ही चलाए जाएंगे।

2. वे उद्योग भी, जो प्रमुख नहीं हैं किंतु आधारभूत हैं, सरकार अथवा सरकारी उद्यमों द्वारा चलाए जाएंगे।

3. बीमा केवल सरकार के हाथ में होगा तथा प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिए जीवन बीमा पालिसी लेना आवश्यक होगा।

4. कृषि राजकीय उद्योग घोषित होगी।

5. सरकार सभी प्रमुख उद्योगों, बीमा कंपनियों एवं कृषि भूमि का उनके मालिकों को डिबेंचर्स के रूप में मुआवजा देकर राष्ट्रीयकरण कर लेगी।

6. कृषि उद्योग निम्न प्रकार से चलाया जाएगा -

सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि को उचित आकार के फार्मों में विभाजित करके ग्रामीण परिवार-समूहों को इकाई मानकर उत्पादन करने हेतु निम्न शर्तों पर आवंटित किया जाएगा-

(क) फार्म पर सामूहिक खेती होगी।

(ख) फार्म पर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उत्पादन किया जाएगा।

(ग) किरायेदारी आदि देने के बाद बचे उत्पादन को निर्धारित तरीके में आपस में बांटा जाएगा।

(घ) भूमि सभी लोगों में जाति-धर्म आदि के भेदभाव के बगैर इस तरह बांटी जाएगी कि न तो कोई जमींदार होगा और न ही भूमिहीन मजदूर।

(च) पानी, उपकरण, पशु, खाद तथा बीज आदि उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी होगी।

इस प्रकार हम देखते है कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र-निर्माण का आर्थिक स्वरूप राजकीय समाजवादी था। वे राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप, सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण के लिए आवश्यक मानते थे। यह प्रारूप गांधीवादी प्रारूप से सर्वथा भिन्न और नेहरूवादी प्रारूप से अधिक स्पष्ट, विकसित और निर्णायक था। भारत में परंपरागत सामाजिक बंटवारा अन्यायपूर्ण है और उस पर आधारित आर्थिक बंटवारा अमानवीय है। हमें इसे समाप्त करना है। यही हमारे लिए महाप्रश्न है। इस संदर्भ में कुछ विशेष न कर पाने के कारण ही आज जगह-जगह हिंसात्मक संघर्ष फूट रहे हैं।

आज भूमंडलीकरण और निजीकरण के दौर में हम राजकीय नियंत्रण से स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता मान बैठे हैं। लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने इसमें व्यक्तिगत मालिकों की तानाशाही देखी थी। लोकतांत्रिक राज्य को निपट पूंजीवादी राज्य मानना उचित नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने भारत में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक अंतर्विरोधों को दूर करने के लिए जिस राज्य की कल्पना की थी, वह राजनीतिक दृष्टि से समाजवादी था।

इन्हें केवल कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में देखना समझदारी नहीं होगी। इसकी आशंका डॉ. अम्बेडकर को पहले ही थी। अतः उनका उसी समय का अपना राजकीय समाजवाद का नमूना देश के लिए आज भी प्रासंगिक है। नेहरू जी इस दिशा में चले थे, लेकिन आधे-अधूरे मन से। आज हम अपने चिंतकों द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक-आर्थिक नमूनों को भूलकर पश्चिमी पूंजीवादी देशों के लुभावने किंतु खतरनाक नारों और मुहावरों में फंसते जा रहे हैं। यह बहुत खतरनाक रास्ता है।

आज भूमंडलीकरण और निजीकरण के दौर में हम राजकीय नियंत्रण से स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता मान बैठे हैं। लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने इसमें व्यक्तिगत मालिकों की तानाशाही देखी थी। लोकतांत्रिक राज्य को निपट पूंजीवादी राज्य मानना उचित नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने भारत में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक अंतर्विरोधों को दूर करने के लिए जिस राज्य की कल्पना की थी, वह राजनीतिक दृष्टि से समाजवादी था। उसे उन्होंने राजकीय समाजवाद कहा था। उसे समाजवादी लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। हमारे लिए यह नमूना आज भी प्रासंगिक है।

अंत में डॉ. अम्बेडकर की इस गंभीर चेतावनी को दोहराना आवश्यक है जिसमें उन्होंने कहा था, '26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभासों के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां हमारे राजनीतिक क्षेत्र में समानता होगी, वहीं हमारी परंपराओं के कारण सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। हमें इस अंतर्विरोध को शीघ्रातिशीघ्र दूर करना होगा, अन्यथा इस असमानता के शिकार लोग मुश्किल से बनाए गए इस राजनीतिक लोकतंत्र को ध्वस्त कर देंगे।' ■

(लेखक सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं।)

पुस्तक अंश/सातवीं किस्त: **बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खंड-16**

कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?

■ **डॉ. बी. आर. अम्बेडकर**

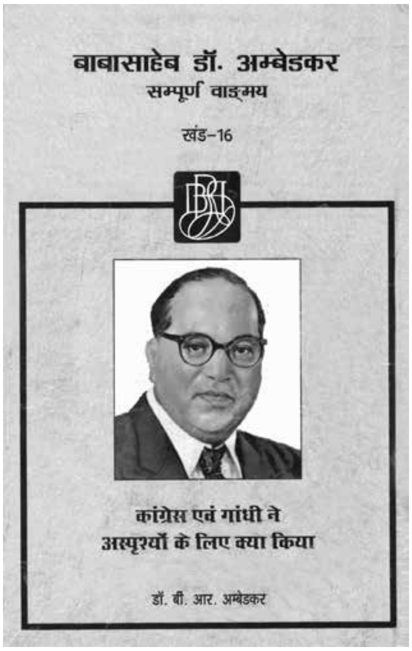

अस्पृश्यों के लिए विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग की कठिनाइयों को उजागर करना और अत्याचारों पर काबू पाना था जिसे कांग्रेस ने सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से रोक दिया।

इस लंबी दुखभरी कहानी का अंत करने के लिए कांग्रेस ने पूना पैक्ट रूपी फल से प्राप्त रस को चूस लिया और छिलका अस्पृश्यों के मुंह पर दे मारा।

अध्याय : 4

घृणित समर्पण

कांग्रेस का निंदनीय पलायन

I

पूना पैक्ट पर दिनांक 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए थे। 25 सितम्बर 1932 को अपना समर्थन देने के लिए बम्बई में हिन्दुओं की एक सभा हुई। उस सभा में निम्नांकित प्रस्ताव पास किए गए।

यह सम्मेलन दिनांक 25 सितम्बर 1932 को सवर्ण हिन्दुओं और दलित वर्गों के नेताओं में हुए पूना पैक्ट की पुष्टि करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि अब ब्रिटिश सरकार हिन्दुओं में पृथक मतदान प्रणाली के फैसले को वापस ले लेगी और इस समझौते को संपूर्ण रूप में स्वीकार कर लेगी। यह सम्मेलन सरकार से यह भी अनुरोध करता है कि सरकार इस पर तुरंत कार्यवाही करे, ताकि महात्मा गांधी इन्हीं शर्तों के अंतर्गत तुरंत अपना अनशन तोड़ दें, जिनमें पहले ही काफी विलम्ब हो गया है। यह सम्मेलन सभी संबंधित संप्रदायों के नेताओं से अपील करता है कि वे समझौते के प्रभावों को समझें और इस प्रस्ताव में रखी गई शर्तों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करें।

यह सम्मेलन संकल्प करता है कि आज से हिन्दुओं में कोई भी मनुष्य जन्म से अस्पृश्य नहीं समझा जाएगा और जो आज तक अस्पृश्य समझे गए हैं, सार्वजनिक कुंओं से पानी भरने, सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ने, सार्वजनिक मार्गों पर चलने और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने में अन्य हिन्दुओं के साथ समान रूप से अधिकृत होंगे। इन अधिकारों को सबसे पहले कानून सम्मत मान्यता दी जाएगी और यदि समय से पहले इसे वैसी मान्यता नहीं मिल पाती तो स्वराज संसद के अधिनियमों में यह सबसे पहला अधिनियम होगा।

इस बात पर भी सहमति प्रकट की जाती है कि यह हिन्दू नेताओं का कर्तव्य होगा कि वे तथाकथित अस्पृश्य वर्गों पर रूढ़ियों के तौर पर चली आ रही सामाजिक पाबंदियों, जिनमें मन्दिर प्रवेश पर लगी पाबंदी भी शामिल है, को दूर करने के लिए मुनासिब और शांतिमय तरीके से यथाशीघ्र प्रयत्न करें।

इस प्रस्ताव के पश्चात् हिन्दुओं ने जोशोखरोश से अस्पृश्यों के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए। कोई भी ऐसा सप्ताह खाली नहीं जाता था, जिसमें गांधी द्वारा प्रकाशित 'हरिजन' साप्ताहिक के प्रमुख पृष्ठ पर 'वीक टू वीक' स्तम्भ में अस्पृश्यों के लिए खोले गए मंदिरों की लंबी सूची न निकलती हो। उनके लिए कुएं खुलने, पाठशालाएं खुलने की खबरें भी प्रकाशित होती। मैं 'हरिजन' के दो अंकों से 'वीक टू वीक' स्तम्भ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

'हरिजन' 18 फरवरी 1933

वीक टू वीक

(7 फरवरी 1933 को समाप्त होने वाले सप्ताह में)

मंदिर खोले गए

उत्तरी कलकत्ता में डेढ लाख रुपये की लागत से हाल ही में बना मंदिर।

मद्रास के गंजम जिले में भापुर गांव का एक मंदिर। पंजाब में जालंधर नौरानिया का एक ठाकुरद्वार मंदिर।

कुएं खोले गए

उड़ीसा के जिला कटक में जयपुर कस्बा में गुरियापुर का नगर पालिका कुआं। संयुक्तप्रांत के आगरा में वजीरपुरा और नीक्की गली में दो कुएं।

त्रिचिनापल्ली (मद्रास) में एक रूढ़िवादी हिन्दू ने हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं के लिए सांझा कुआँ खुदवाने पर खर्च करने की पेशकश।

स्कूल शुरू किए गए

- सं.प्रां. के मेरठ जिले के बछरौटा में एक नि:शुल्क स्कूल।
- राजपूताना के मेताह जिले में एक स्कूल।
- राजपूताना के जयपुर रियासत में फतेहपुर, चेमन और अभयपुर में तीन स्कूल।
- संयुक्त प्रांत के मथुरा में तीन 'रात्री स्कूल'।
- संयुक्त प्रांत के गोरखपुर शहर में तीन 'रात्री स्कूल'।
- संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के हाता में एक 'रात्री स्कूल'।
- सखोनिया में एक 'रात्री स्कूल'।

भारतीय रियासतें

1. काठियावाड़ राज्य असेंबली के भारी बहुमत से तीन प्रस्ताव पारित किए गए कि हरिजनों को सुविधाएं दी जाएं।
2. मद्रास के संधूर राज्य ने हरिजनों की स्थिति सुधारने के लिए एक स्थाई समिति बनाई गई।

सामान्य

गोरखपुर जिले के विभिन्न गांवों के हरिजनों ने सड़ा मांस खाना छोड़ दिया, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हरिजन सेवक संघ के तत्त्वावधान में श्री चर्तुभुज नाथजी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर वसंतोत्सव मनाया गया, जिसमें हिन्दुओं की सभी जातियों ने भाग लिया। –

ए.वी. ठक्कर, महासचिव सार्जेट टी.आर. शिंदे, अध्यक्ष 'आल इंडिया एंटी–अनटचेबिलिटी लीग और डिप्रेस्ड मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया' के संस्थापक न्यासी, पूना ने विधान सभा के सदस्यों को खुला पत्र लिखा है कि सार्जेट रंगा अय्यर के अस्पृश्यता विधेयकों को जबरदस्त समर्थन दिया जाए।

बम्बई के तैकालवाड़ी के.जी. ब्लॉक में हाल ही में एक अग्निकांड हुआ, जिसमें 48 महार परिवारों की झोंपड़ियां और बहुत सारा सामान जल गया। बम्बई प्रांतीय अस्पृश्यता सेवक समाज के अध्यक्ष ने उन परिवारों के सहायतार्थ 500 रुपये देने के लिए 'जी' वार्ड की समिति बनाई। समिति ने उन 48 परिवारों में 402 रुपये आठ आना बांटे, जिसमें कुल मिलाकर 163 व्यक्ति थे।

बम्बई सरकार ने समस्त स्थानीय निकायों को आदेश जारी किया कि कुओं, तालाबों, धर्मशालाओं के लिए दी जाने वाली जमीन केवल इस शर्त पर दी जाए कि उनका बिना जातिवाद का ख्याल किए समान रूप से उपयोग किया जायेगा।

बम्बई के तैकालवाड़ी के.जी. ब्लॉक में हाल ही में एक अग्निकांड हुआ, जिसमें 48 महार परिवारों की झोंपड़ियां और बहुत सारा सामान जल गया। बम्बई प्रांतीय अस्पृश्यता सेवक समाज के अध्यक्ष ने उन परिवारों के सहायतार्थ 500 रुपये देने के लिए 'जी' वार्ड की समिति बनाई। समिति ने उन 48 परिवारों में 402 रुपये आठ आना बांटे, जिसमें कुल मिलाकर 163 व्यक्ति थे।

बम्बई सरकार ने समस्त स्थानीय निकायों को आदेश जारी किया कि कुओं, तालाबों, धर्मशालाओं के लिए दी जाने वाली जमीन केवल इस शर्त पर दी जाए कि उनका बिना जातिवाद का ख्याल किए समान रूप से उपयोग किया जायेगा।

'हरिजन' जुलाई 15, 1933 में 'वीक टू वीक'

शैक्षिक सुविधाएं

नार्थ आर्कट जिले में एस.यू. एस. द्वारा हरिजनों के लिए तीन वाचनालय खोले गए।

एस.यू.एस. वर्क्स ने मदुरै जिले में हरिजन बच्चों को विरगनूर तालुक बोर्ड स्कूल में भरती कराया।

मथुरा के एस.यू.एस. द्वारा संचालित मेलाचेरी स्कूल में बच्चों को बनियानें तौलिए, सलेटें आदि नि:शुल्क बांटी।

रामजस कॉलेज, दिल्ली के दो हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और नि:शुल्क आवास सुविधा दी गई। एक को कालेज के आचार्य थडानी ने छात्रवृत्ति दी।

मोची गेट के बाहरी क्वार्टरों में लाहौर हरिजन सेवक संघ के तत्त्वावधान

में हरिजन वयस्कों के लिए रात्रि स्कूल खोला गया। उसका उद्घाटन श्रीमती बृजलाल नेहरू ने किया था।

जिला हरिजन सेवक संघ, गुंटूर के प्रयत्नों से हरिजन छात्रों को सवर्ण हिन्दुओं के स्कूलों में पढ़ने की इजाजत दी गई।

कुएं

कोयम्बतूर जिले में तीन कुएं साफ किए गए जो खराब हालत में पड़े हुए थे और उपयोग करने योग्य बनाए गए।

दक्षिण आर्कट के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्रेसिडेंट ने एस.यू.एस. द्वारा चुने गए चार कुएं खुदवाने का वायदा किया।

31.05.33 के अंतिम सप्ताह में 125 कुएं से अधिक हरिजनों के लिए खोले गए और आंध्र प्रदेश में पांच नए कुएं बनवाए गए।

सामान्य

कलकत्ता में हाग मार्केट में, जहां डोम रहते हैं, एक दुकान खोली गई। वहां खाने की वस्तुएं सस्ते दामों पर दी जाती हैं। कलकत्ता में बीबी बेगम बस्ती में एक हरिजन परिवार का ऋण चुकाने के लिए एस.यू.एस. बंगाल द्वारा 60 रुपये दिए गए। अमृत समाज कलकत्ता ने कुछ हरिजनों को नौकरी दी। बोलनुरा (बीरभूमि) के 450 हरिजनों ने शराब पीनी छोड़ दी और 1,275 मोचियों ने गौमांस न खाने की शपथ ली।

बांकुरा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना में एस.यू.एस. के तीन नए केन्द्र खोले गए।

त्रिचिनापल्ली, तंजौर, त्रिनेलवल्ली, सेलम, डिंडीगुल, उत्तरी अर्काट और मदुरै में श्री गांधी के हरिजन सेवा के विचार को ग्रहण किया।

कोयम्बतूर से 12 मील दूर अंलदुराल गांव को 25 रुपये मूल्य का अनाज दिया गया। 100 रुपये के कपड़े और 5 रुपये का तेल उनके सहायतार्थ दिये गए।

चिदम्बरम में एक 'हरिजन यूथ लीग' की स्थापना की गई।

तेनाली में हरिजनों को उचित मूल्य पर वस्तुएं दिलाने के लिए एक दुकान खोली गई।

वलाना पालेम में हरिजनों के आग लगने से ध्वस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 110 रुपये दिए गए।

येलिमन चिल्ली (विजग) में हरिजनों को सहायतार्थ प्रांतीय कमेटी ने 100 रुपये का चंदा दिया। उन हरिजनों के मकान जला दिये गए थे। स्थानीय हरिजन सेवक संघ अच्छे स्थानों पर उनके नए मकान बनाने का प्रयत्न कर रहा है और निर्माण कार्य सामग्री के लिए दान एकत्र कर रहा है।

ब्राह्मण कोडर (गुटूंर) में हरिजन विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास आरंभ करने का निश्चय किया गया।

पूर्वी गोदावरी जिला हरिजन सेवक संघ ने काकीनाडा में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं के लिए एक छात्रावास आरंभ करने का निश्चय किया। एक साल के लिए 20 बारी चावल, लकड़ी तथा अन्य सामान के लिए और 15 विद्यार्थियों के लिए 63,020 रुपये दान के तौर पर दिए गए।

अनंतपुर जिला हरिजन सेवक संघ ने उर्खाकोंडा में हरिजन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास आरंभ करना तय किया। धन एकत्र करने के लिए प्रबंध किए गए है। होस्टल 20 विद्यार्थियों से आरंभ किया जाएगा।

गोला पलेम में एक सवर्ण हिन्दू ने एक हरिजन को अपने यहां नौकरी दी।

जब मंदिरों के मालिक तथा न्यासी अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोलने के लिए तैयार नहीं हुए, तो हिन्दुओं ने उनके विरूद्ध सत्याग्रह किया। उन्हें मंदिर खोलने के लिए विवश किया गया। गुरूवयूर के मंदिर में अछूतों के प्रवेश हेतु श्री केलप्पन ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो मंदिर प्रवेश आंदोलन का एक भाग था। आंदोलन की लहर को रोकने के लिए मंदिरों के सन्यासियों के हाथ मजबूत करने के लिए बहुत से हिन्दू विधायक एक के बाद एक आगे आए और अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश के समर्थन में आगे आए। यदि जनमतसंग्रह कराया जाता, तो अधिकांश हिन्दू पुजारियों के पक्ष में रहते। ऐसे विधायकों की झड़ी कम की गई, हर विधायक आगे रहना चाहता था। मद्रास विधान परिषद के एक सदस्य डॉक्टर सुब्बारायन ने केन्द्रीय सभा में मंदिर प्रवेश का विधेयक पेश किया था। इसी प्रकार एक विधयेक श्री सी.एस. रंगा अय्यर दूसरा श्री हरिबिलास शारदा, तीसरा श्री लालचंद नवलराय और चौथा विधेयक श्री एम.आर. जयकर ने पेश किया था।

इस आंदोलन में गांधी ने भी भाग लिया। 1932 से पहले गांधी अस्पृश्यों के हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने के सर्वथा विरूद्ध थे। गांधी के शब्दों में ही–

'यह कैसे संभव हो सकता है कि अन्त्यज (अस्पृश्य) के पास सभी वर्तमान हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार हों? जब तक वर्णाश्रम विद्यमान है, हिन्दू धर्म और हिन्दू ग्रंथों को प्रमुख स्थान मिला हुआ है। यह कहना कि प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू मंदिर में प्रवेश कर सकता है, आजकल असंभव है।'

इसलिए गांधी जी द्वारा मंदिर प्रवेश के आंदोलन में भाग लेना बड़े आश्चर्य की बात है। गांधी जी ने ऐसी पलटी

क्यों खाई यह कल्पना से बाहर की बात है? क्या सचमुच उनका हृदय-परिवर्तन हो गया था? और वह भी इसलिए कि हिन्दुओं के मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश करने का विरोध कर उन्होंने गलती की थी? क्या हिन्दुओं और अस्पृश्यों के बीच में राजनीति के दुराव के कारण ही पूना पैक्ट हुआ था? उन्हें लगा कहीं पूरा विभाजन न हो जाए? इसलिए गांधी जी की आंखें खुलीं और उन्होंने दोनों वर्गों को सांस्कृतिक और धार्मिक बंधन में बांधने के लिए मंदिर-प्रवेश जैसा मार्ग अपनाया। अथवा मंदिर प्रवेश आंदोलन में उनका सम्मिलित होने का उद्देश्य अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक अधिकारों के दावे को कमजोर करना और अस्पृश्यों तथा हिन्दुओं के बीच अलगाव वाली दीवार को तोड़ना था। इस आंदोलन के द्वारा अस्पृश्यों का पृथक अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए या उन्होंने लोकोत्तरवंश वाहवाही लूटने की अपनी आदत के कारण किया? दूसरा और तीसरा कारण सही हो सकता है।

उस मंदिर प्रवेश के आंदोलन के विषय में अस्पृश्यों का क्या दृष्टिकोण था? गांधी जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन में मेरा समर्थन मांगा। मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ और इस विषय में प्रेस में अपना बयान छपने को दे दिया। इस विषय में मेरे विचार का क्या आधार था, पाठकों को जानने में सहायता मिलेगी। यह बयान इस प्रकार था :

मंदिर प्रवेश विधेयक पर बयान

14 फरवरी, 1933

यद्यपि मंदिर प्रवेश से संबंधित प्रश्न पर विवाद सनातनी हिन्दुओं तथा गांधी जी तक सीमित है, निस्संदेह दलित वर्गों को इस विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि वे निर्णायक पक्ष है और इस पर उन्हें गंभीरता से विचार करना है कि विधेयक के अंतिम निर्णय पर दलित वर्ग के लोग किस स्थिति में होंगे। इसलिए उनका दृष्टिकोण परिभाषित होना आवश्यक है, ताकि अनिश्चितता की गुंजाइश न रहे।

श्री रंगा अय्यर ने मंदिर प्रवेश विधेयक का जो प्रारूप तैयार किया है, दलित वर्ग के लोग संभवतः उसका समर्थन नहीं करेंगे। इस विधेयक का सिद्धांत यह है कि यदि म्युनिसिपल और स्थानीय निकायों के मतदाता, अपने पड़ोस के किसी मुख्य मंदिर के लिए जनमतसंग्रह का निश्चय करते हैं कि उस मंदिर में दलित वर्ग के लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी, तब मंदिर के न्यासी अथवा प्रबंधक उस फैसले को कार्यरूप में परिणित करेंगे। यह सिद्धांत साधारणतः बहुमत शासन पर आधारित है, इसमें मौलिक अथवा क्रांतिकारी कुछ नहीं है और यदि सनातनी हिन्दू बुद्धिमान हुए, तो वे बिना किसी शंका के उसे स्वीकार कर लेंगे।

इस सिद्धांत पर आधारित विधेयक को दलित वर्गों का समर्थन न मिलने के दो कारण हैं: पहला कारण यह है कि उस विधेयक से निकट भविष्य में अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश में शीघ्रता नहीं आ सकती। यह सच है कि उस विधेयक के अंतर्गत यदि बहुमत के फैसले के अनुसार, न्यासी अथवा प्रबंधक दलित वर्गों के लिए मंदिर खोल देता है तो अल्पसंख्यक को उसके विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु विधेयक की इस धारा से किसी प्रकार का कोई सन्तोष प्राप्त करने और विधेयक के प्रस्तावक को बधाई देने से पहले हमें आवश्यक रूप से यह विश्वास हो जाना चाहिए कि जब प्रश्न पर मतदान होगा, तो बहुमत मंदिर प्रवेश के पक्ष में होगा। यदि कोई इस प्रकार के भ्रमजाल का शिकार नहीं हुआ है, तो उसे स्वीकार करना होगा कि मंदिर प्रवेश के पक्ष में बहुमत की आशा मुश्किल से ही पूरी होगी। निस्संदेह बहुमत आज विरूद्ध है। दरअसल प्रस्तावक ने

श्री रंगा अय्यर ने मंदिर प्रवेश विधेयक का जो प्रारूप तैयार किया है, दलित वर्ग के लोग संभवतः उसका समर्थन नहीं करेंगे। इस विधेयक का सिद्धांत यह है कि यदि म्युनिसिपल और स्थानीय निकायों के मतदाता, अपने पड़ोस के किसी मुख्य मंदिर के लिए जनमतसंग्रह का निश्चय करते हैं कि उस मंदिर में दलित वर्ग के लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी, तब मंदिर के न्यासी अथवा प्रबंधक उस फैसले को कार्यरूप में परिणित करेंगे। यह सिद्धांत साधारणतः बहुमत शासन पर आधारित है, इसमें मौलिक अथवा क्रांतिकारी कुछ नहीं है और यदि सनातनी हिन्दू बुद्धिमान हुए, तो वे बिना किसी शंका के उसे स्वीकार कर लेंगे।

भी इस शंकराचार्य के साथ हुए अपने पत्र व्यवहार में स्वीकार किया है।

विधेयक पास हो जाने के बाद उत्पन्न स्थिति में ऐसा क्या है जिससे यह आशा हो जाती है कि बहुमत भिन्न रूख अपनाएगा। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। गुरूवयूर मंदिर के संबंध में, जो जनमतसंग्रह के परिणाम सामने आए थे, निस्संदेह मुझे वे याद आते हैं। परन्तु मैं जनमतसंग्रह के प्रभाव को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं गांधी जी की जीवनचर्या को ही इसका प्रतिरूप मानता हूँ। इस प्रकार का आकलन गांधी जी की जीवनचर्या को दरकिनार करके ही किया जाए।

दूसरे, विधेयक अस्पृश्यता को पापाचार नहीं मानता। विधेयक अस्पृश्यता को केवल सामाजिक दोष मानता है और अन्य प्रकार की सामाजिक बुराइयों की अपेक्षा अधिक दोषपूर्ण नहीं मानता। यह विधेयक का फैसला करे, तो उसमें कोई जोर नहीं होगा। पाप और अनैतिकता बर्दाश्त करने योग्य नहीं बन सकती, यदि बहुमत उन्हीं के वशीभूत हो जाये अथवा उन अनैतिकताओं के अनुसार चलना पसंद करे। यदि अस्पृश्यता एक पापाचार एवं अनैतिकता है, तो दलित वर्गों की दृष्टि में उसे निस्संकोच तिलांजलि दे देनी चाहिए, चाहे बहुसंख्यक अस्पृश्यता के पक्ष में ही क्यों न हों। इसी तरीके से सभी अनैतिक पाए जाने वाले रीतिरिवाजों के संबंध में न्यायालयों में कार्रवाई होती है।

इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है। विधेयक के लेखक ने अस्पृश्यता की प्रथा पर गंभीर रूख नहीं अपनाया है। केवल मद्यपान की आदत में थोड़े सुधार की चर्चा की गई है। वास्तव में वे उपरोक्त दोनों बुराइयों को एक पलड़े में तौलते हैं। वे मद्यपान बन्द करने के लिए स्थानीय जनभावना के द्वारा नशाबंदी चाहते हैं। दलित वर्गों के ऐसे हमदर्दों के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकता, जो अस्पृश्यता को शराब पीने की आदत से अधिक बुरा नहीं समझता। यदि श्री रंगा अय्यर केवल कुछ ही महीने पहले की उस बात को भूल न गए होते जिसमें गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए अपने को आमरण अनशन के लिए तैयार किया था, तो इस अभिशाप के प्रति वे और कठोर रूख अपनाते और एक व्यापक सुधार आंदोलन लेकर सामने आते कि इसे जड़-मूल से उखाड़ दिया जाए। क्षमता एवं गुणों की दृष्टि से उसमें चाहे जितनी कमियां हों, यदि विधेयक में अस्पृश्यता को पाप मान लिया जाता, तो दलित वर्ग उस विधेयक से कुछ आशा करता।

सचमुच मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक से गांधी जी कैसे संतुष्ट हो गए जो अस्पृश्यता को पाप मानने पर जोर दिया करते थे। बहरहाल इस विधेयक से दलित वर्गों को संतोष नहीं हो सकता। विधेयक अच्छा है या बुरा, पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त यह प्रश्न गौण है।

मुख्य प्रश्न है: दलित वर्ग के लोग मंदिर प्रवेश चाहते हैं अथवा नहीं? इस मुख्य प्रश्न को दलित वर्ग के लोग दो दृष्टिकोणों से देखते हैं। पहला है, भौतिक दृष्टिकोण। दलित वर्ग के लोग सोचते हैं कि उनका उत्थान उच्च स्तर की शिक्षा, उच्च स्तर की नौकरियां और जीविका के अच्छे साधनों से ही संभव है। एक बार जब वे सामाजिक जीवन के उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो उनका सम्मान बढ़ेगा और तब समाज में उनका आदर सम्मान होने लगेगा, तो रूढ़िवादी हिन्दुओं में भी परिवर्तन आएगा और यदि ऐसा न हुआ, तो उससे उन दलित वर्गों के भौतिक हितों की कोई विशेष हानि न होने पाएगी। इन मार्गों के खोखले आंदोलन में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करेंगे। एक दूसरा कारण भी है, जिससे वे मंदिर प्रवेश के लिए नहीं झगड़ना चाहते और यह तो आत्म-सम्मान का प्रश्न है।

अभी बहुत दिन नहीं हुए, जब क्लबों के दरवाजों और भारत के समाजिक स्थानों में यूरोपियन लोगों ने तख्तियां टांगी थी और उन पर लिखा होता था– 'कुत्तों और भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है'। आज हिन्दुओं के मंदिरों पर भी ऐसी ही तख्तियां लटकी हैं। अंतर केवल इतना है कि सभी हिन्दू, यहां तक कि जानवर और कुत्ते भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। केवल अस्पृश्य प्रवेश नहीं कर सकते। दोनों मामलों में स्थिति एक सी है। परन्तु हिन्दुओं ने उन स्थानों पर प्रवेश करने की कभी अनुमति नहीं मांगी, जहां पर यूरोपियनों ने अपने प्रबंध से उन्हें बहिष्कृत किया था। अस्पृश्य उस स्थान पर प्रवेश क्यों करना चाहते हैं, जहां हिन्दुओं ने दंभ से उन्हें बहिष्कृत कर रखा है? वे हिन्दुओ ंसे यह कहने के लिए तैयार हैं कि तुम मंदिरों के दरवाजे खोलो या न खोलो, यह तुम्हारी मर्जी है, मैं इस पर विचलित नहीं होता। यदि आप सेाचते हैं कि मानवीय व्यक्तित्व की पवित्रता को आदर का स्थान न देना बुरी बात है, तब आप अपने मंदिरों को खोलिए और इन्सानियत दिखाइये। यदि आप भलेमानुष बनने की अपेक्षा हिन्दू ही बने रहना ठीक समझते हैं, तो मंदिरों के दरवाजे बंद रखिए और भाड़ में जाइए, हमें मंदिरों में आने की कोई जरूरत नहीं।

मैंने इस रूप में इस प्रकार का तर्क करना इसलिए आवश्यक समझा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे उन मनुष्यों के मस्तिष्क का भ्रम दूर करना चाहता हूँ, जिन्हें विश्वास है कि दलित वर्गों के लोग अपने संरक्षण के लिए उनकी ओर आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। ■

दिनांक 14 अप्रैल, 2016 : डॉ. अम्बेडकर जन्मभूमि महू, इंदौर, मध्य प्रदेश

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की 126वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन

"बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक एकता के लिए उच्च मूल्यों का प्रस्थापन किया है"

विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयो और बहनों,

ये मेरा सौभाग्य है कि आज डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती निमित्त, जिस भूमि पर इस महापुरुष ने जन्म लिया था, जिस धरती पर सबसे पहली बार जिसके चरण-कमल पड़े थे, उस धरती को नमन करने का मुझे अवसर मिला है।

मैं इस स्थान पर पहले भी आया हूँ। लेकिन उस समय के हाल और आज के हाल में आसमान-जमीन का अंतर है और मैं मध्य प्रदेश सरकार को, श्रीमान सुंदरलाल जी पटवा ने इसका आरंभ किया, बाद में श्रीमान शिवराज की सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, परिपूर्ण किया। इसके लिए हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ।

बाबासाहेब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबासाहेब अम्बेडकर अपने मान-सम्मान, मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराईयों के खिलाफ जंग खोल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो। उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित हो करके भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। जिस महापुरुष के पास इतनी बड़ी ज्ञान संपदा हो, जिस महापुरुष के युग में विश्व की गणमान्य यूनिवर्सिटिस की डिग्री हो, वो महापुरुष उस कालखंड में अपने व्यक्तिगत जीवन में लेने, पाने, बनने के लिए सारी दुनिया में अवसर उनके लिए खुले पड़े थे। लेकिन इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए उनके दिल में जो आग थी, जो उनके दिल में कुछ कर गुजरने का इरादा था, संकल्प था। उन्होंने इन सारे अवसरों को छोड़ दिया और वह अवसरों को छोड़ करके, फिर एक बार भारत की मिट्टी से अपना नाता जोड़ करके अपने आप को खपा दिया।

आज 14 अप्रैल बाबासाहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती हो और मुझे हमारे अखिल भारतीय भिक्षुक संघ के संघ नायक डॉ. धम्मवीरयो जी का सम्मान करने का अवसर मिला। वो भी इस पवित्र धरती पर अवसर मिला। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैसी बड़ी विभूति आज हमारे बीच में हैं। 100 भाषाओं के ज्ञाता और बर्मा में जन्में बाबासाहेब अम्बेडकर उन्हें बर्मा में मिले थे और बाबासाहेब के कहने पर उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और उन्होंने भारत में बुद्ध सत्व से दुनिया को जोड़ने को प्रयास अविरत किया।

मेरा तो व्यक्तिगत नाता उनके इतना निकट रहा है, उनके इतने आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मेरे लिए वो एक प्रेरणा का स्थान रहे हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मुझे उनका सम्मान करने का सौभाग्य मिला। बाबासाहेब अम्बेडकर के साथ उनका वो नाता और बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा तो पूरा जीवन भारत के लिए खपा दिया। और ज्ञान की उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, इतने विद्वान हैं। वे आज हमारे मंच पर आए इस काम की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं डॉ. धम्मवीरयो जी का, संघ नायक जी का हृदय से आभार करता हूँ। मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ।

आज 14 अप्रैल से आने वाली 24 अप्रैल तक भारत सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों के सहयोग के साथ "ग्राम उदय से भारत उदय", एक व्यापक अभियान प्रारंभ हो रहा है और मुझे खुशी है कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की जो भावना हमें दी, ये सब अभी भी पूरा होना बाकी है। आजादी के इतने सालों के बाद जिस प्रकार से हमारे गांव के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए था, जो बदलाव आना चाहिए था। बदले हुए युग के साथ ग्रामीण जीवन को भी आगे ले जाना आवश्यक था। लेकिन ये दुख की बात है अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत का आर्थिक विकास 5-50 बढ़े शहरों से होने वाला नहीं है। भारत का विकास 5-50 बढ़े उद्योगकारों से नहीं होने वाला। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है और लंबे समय तक सतत् विकास करना है तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा। तब जा करके उस पर विकास की इमारत हम परमानेंट बना सकते है।

और इसलिए इस बार आपने बजट में भी देखा होगा कि बजट पूरी तरह गांव को समर्पित है, किसान को समर्पित है। और एक लंबे समय तक देश के ग्रामीण अर्थकारण को नई ऊर्जा मिले, नई गति मिले, नई ताकत मिले उस पर बल दिया गया है। और मैं साफ देख रहा हूँ, जो भावना महात्मा गांधी की अभिव्यक्ति में आती थी, जो अपेक्षा बाबासाहेब अम्बेडकर संविधान में प्रकट हुई है, उसको चरितार्थ करने के लिए, टुकड़ों में काम करने से चलने वाला नहीं है। हमें जितने भी विकास के स्रोत हैं, सारे विकास के स्रोत को गांव की ओर मोड़ना है।

मैं सरकार में आने के बाद अलग-अलग कामों का समीक्षा करता रहता हूँ, बहुत बारिकी से पूछता रहता हूँ। अभी कुछ महिने पहले मैं भारत में ऊर्जा की स्थिति का समीक्षा कर रहा था। मैंने अफसरों को पूछा कि आजादी के अब 70 साल होने वाले हैं कुछ ही समय के बाद। कितने गांव ऐसे हैं जहां आजादी के 70 साल होने आए, अभी भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है, बिजली का तार नहीं पहुंचा है। आज भी वो गांव के लोग 18वीं शताब्दी की जिंदगी में जी रहे हैं, ऐसे कितने गांव हैं। मैं सोच रहा था 200-500 शायद, दूर-सुदूर कहीं ऐसी जगह पर होंगे जहां संभव नहीं होगा। लेकिन जब मुझे बताया गया कि आजादी के 70 साल होने को आए हैं लेकिन 18,000 गांव ऐसे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है। अभी तक उन 18,000 गांव के लोगों ने उजियारा देखा नहीं है।

20वीं सदी चली गई, 19वीं शताब्दी चली गई, 21वीं शताब्दी के 15-16 साल बीत गए, लेकिन उनके नसीब में एक लट्टू भी नहीं था। मेरा बैचेन होना स्वाभाविक था। जिन बाबासाहेब अम्बेडकर ने वंचितों के लिए जिंदगी गुजारने का संदेश दिया हो, उस शासन में 18,000 गांव अंधेरे में गुजारा करते हों, ये कैसे मंजूर हो सकता है।

मैंने अफसरों को कहा कितने दिन में पूरा करोगे, उन्होंने न जवाब मुझे दिन में दिया, न जवाब महिनों में दिया, उन्होंने जवाब मुझे सालों में दिया। बोले साहब सात साल तो कम से कम लग जाएंगे। मैंने सुन लिया। मैंने कहा भई देखिए सात साल तक तो देश इंतजार नहीं कर सकता, वक्त बदल चुका है। हमने हमारी गति तेज करनी होगी। खैर उनकी कठिनाईयां थी वो उलझन में थे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सात साल तो बहुत हो गया कम करो। तो बराबर मार-पीट करके वो कहने लगे साहब बहुत जोर लगाये तो 6 साल में हो सकता है।

खैर मैंने सारी जानकारियां ली अभ्यास करना शुरू किया और लाल किले पर से 15 अगस्त को जब भाषण करना था, बिना पूछे मैंने बोल दिया कि हम 1000 दिन में 18,000 गांव में बिजली पहुंचा देंगे। मैंने देश के सामने तिरंगे झंडे की साक्षी में लाल किले पर से देश को वादा कर दिया। अब सरकार दोड़ने लगी और आज मुझे खुशी के साथ कहना है कि शायद ये सपना मैं 1000 दिन से भी कम समय में पूरा कर दूंगा। जिस काम के लिए 70 साल लगे, 7 साल और इंतजार मुझे मंजूर नहीं है। मैंने हजार दिन में काम पूरा करने का बीड़ा उठाया पूरी सरकार को लगाया है। राज्य सरकारों को साथ देने के लिए

आग्रह किया है और तेज गति से काम चल रहा है।

व्यवस्था भी इतनी पारदर्शित है। कि आपने अपने मोबाइल पर 'गर्व' – 'GARV' ये अगर ऐप लांच करेंगे तो आपको डेली किस गांव में खंभा पहुंचा, किस गांव में तार पहुंचा, कहां बिजली पहुंची, इसकी रिपोर्ट आपकी हथेली में मोबाइल फोन पर यहां पर कोई भी देख सकता है। ये देश की जनता को हिसाब देने वाली सरकार है, पल-पल का हिसाब देने वाली सरकार है, पाई-पाई का हिसाब देने वाली सरकार है और हिन्दुस्तान के सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से कदम आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और उसी का परिणाम है कि आज जिस गांव में इतने सालों के बाद बिजली पहुंची है उन गांवों में ऊर्जा उत्सव मनाए जा रहे हैं, हफ्ते भर नाच-गान चल रहे हैं। लोग खुशियां मना रहे हैं कि चलो गांव में बिजली आई, अब घर में भी आ जाएगी ये मूड बना है।

हमारी बिजली की बात तो दुनिया के लिए 18वीं, 19वीं शताब्दी की बात है। आज विश्व को ऑप्टीकल फाईबर चाहिए, आज विश्व को डिजिटल नेटवर्क से जुड़ना है। जो दुनिया में है वो सारा उसकी हथेली पर होना चाहिए। ये आज सामान्य-सामान्य नागरिक भी चाहता है। अगर दुनिया के हर नागरिक के हाथ में उसके मोबाइल फोन में पूरा विश्व उपलब्ध है तो मेरे हिन्दुस्तान के गांव के लोगों के हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए। ढ़ाई लाख गांव जिसको डिजिटल कनेक्टीविटी देनी है, ऑप्टीकल फाईबर नेटवर्क लगाना है। कई वर्षों से सपने देखे गए, काम सोचा गया लेकिन कहीं कोई काम नजर नहीं आया। मैं जानता हूँ ढ़ाई लाख गांवों में ऑप्टीकल फाईबर नेटवर्क करना कितना कठिन है, लेकिन कठिन है तो हाथ पर हाथ रख करके बैठे थोड़े रहना चाहिए। कहीं से तो शुरू करना चाहिए और एक बार शुरू करेंगे तो गति भी आएगी और सपने पूरे भी होंगे। आखिरकार बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे संकल्प के लिए जीने वाले महापुरुष हमारी प्रेरणा हो तो गांव का भला क्यों नहीं हो सकता है।

हमारा देश का किसान कुछ नहीं मांग रहा है। किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। बाकि सब चीजें वो कर सकता है। उसके पास वो हुनर है, उसके पास वो सामर्थ्य है, वो मेहनतकश है वो कभी पीछे मुड़ करके देखता नहीं है। और किसान, किसान अपनी जेब भरे तब संतुष्ट होता है वो ऐसे स्वभाव का नहीं है। सामने वाले का पेट भर जाए तो किसान संतुष्ट हो जाता है ये उसका चरित्र होता है। और जिसे दूसरे का पेट भरने से संतोष मिलता है वो परिश्रम में कभी कमी नहीं करता है, कभी कटौती नहीं करता है।

हमारा देश का किसान कुछ नहीं मांग रहा है। किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। बाकि सब चीजें वो कर सकता है। उसके पास वो हुनर है, उसके पास वो सामर्थ्य है, वो मेहनतकश है वो कभी पीछे मुड़ करके देखता नहीं है। और किसान, किसान अपनी जेब भरे तब संतुष्ट होता है वो ऐसे स्वभाव का नहीं है। सामने वाले का पेट भर जाए तो किसान संतुष्ट हो जाता है ये उसका चरित्र होता है। और जिसे दूसरे का पेट भरने से संतोष मिलता है वो परिश्रम में कभी कमी नहीं करता है, कभी कटौती नहीं करता है।

इसलिए हमने देश के किसानों के सामने एक संकल्प रखा है। गांव के अर्थ कारण को बदलना है। 2022 में किसान की आमदनी दुगुनी करना बड़े-बड़े बुद्धिमान लोगों, बड़े-बड़े अनुभवी लोगों ने, बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मोदी जी ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है तो मैं भी जानता हूँ। अगर सरल होता तो ये देश की जनता मुझे काम न देती, देश की जनता ने काम मुझे इसलिए दिया है कि कठिन कार्य ही तो मेरे नसीब में आए। काम कठिन होगा लेकिन इरादा उतना ही संकल्पबद्ध हो तो फिर रास्ते भी निकलते है और रास्ते मिल रहे है।

मैं शिवराज जी को बधाई देता हूँ उन्होंने पूरी डिजाइन बनाई है, मध्य प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय डबल करने का रास्ता क्या-क्या हो सकता है, इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं, तरीके क्या हो सकते हैं, पूरा डिटेल में उन्होंने बनाया। मैंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि आप भी अपने तरीके से सोचिए। आपके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, उसके आधार पर देखिए।

लेकिन ग्रामीण अर्थकारण भारत की अर्थनीति को ताकत देने वाला है। जब तक गांव के व्यक्ति का उपभोग शक्ति पावर बढ़ेगा नहीं और हम सोचें कि नगर के अंदर कोई माल खरीदने आएगा और

नगर की अर्थव्यवस्था चलेंगी, तो चलने वाली नहीं है। इंदौर का बाजार भी तेज तब होगा, जब मऊ के गांव में लोगों की खरीद शक्ति बढ़ी होगी, तब जा करके इंदौर जा करके खरीदी करेगा और इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती ये भारत में आर्थिक चक्र को तेज गति देने का सबसे बड़ा सर्वशक्तिशाली ईंधन है। और हमारी सारी विकास की जो दिशा है वो दिशा यही है।

बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे एक प्रकार कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। साथ-साथ उनका सपना ये भी था कि भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से एम्पावर्ड हो और टक्नोलॉजी के लिए अपग्रेडेड हो। वे सामाजिक समता, सामाजिक न्याय के पक्षकार थे, वे आर्थिक समृद्धि के पक्षकार थे और वे आधुनिक विज्ञान के पक्षकार थे, आधुनिक टक्नोलॉजी के पक्षकार थे। और इसलिए सरकार ने भी ये '14 अप्रैल से 24 अप्रैल, 14 अप्रैल बाबासाहेब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जन्म जयंती और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस' इन दोनों का मेल करके बाबासाहेब अम्बेडकर से सामाजिक-आर्थिक कल्याण का संदेश लेते हुए गांव-गांव जा करके गांव के एक ताकत का निर्णय लिया है।

आज सरकारी खजाने से, भारत सरकार के खजाने से एक गांव को करीब-करीब 75 लाख रुपए से ज्यादा रकम उसके गांव में हाथ में आती है। अगर योजनाबद्ध दीर्घ दृष्टि के साथ हमारा गांव का व्यक्ति काम करे, तो कितना बड़ा परिणाम ला सकता है ये हम जानते हैं।

हमारी ग्राम पंचायत की संस्था है। देश संविधान की मर्यादाओं से चलता है, कानून व्यवस्था, नियमों से चलता है। ग्राम पंचायत के अंदर उस भावना को प्रज्जवलित रखना आवश्यक है, वो निरंतर चेतना जगाए रखना आवश्यक है और इसलिए गांव के अंदर पंचायत व्यवस्था अधिक सक्रिय कैसे हो, अधिक मजबूत कैसे हो, दीर्घ दृष्टि वाली कैसे बने, उस दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता, गांव-गांव में एक चेतना जगाकर के हो सकती है। बाबासाहेब अम्बेडकर का व्यक्तित्व ऐसा है कि गांव के अंदर वो चेतना जगा सकता है। गांव को संविधान की मर्यादा में आगे ले जाने के रास्ते उपलब्ध हैं। उसका पूरा इस्तेमाल करने का रास्ता उसको दिखा सकता है। अगर एक बार हम निर्णय करें।

मैं आज इंदौर जिले को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि इंदौर जिले ने जो काम किया है। पूरे जिले को खुले में शौच जाने से मुक्त करा दिया। यह बहुत उत्तम काम.. अगर 21वीं सदी में भी मेरी माँ-बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़े, तो इससे बड़ी हम लोगों के लिए शर्मिन्दगी नहीं हो सकती। लेकिन इंदौर जिले ने, यहां की सरकार की टीम ने, यहां के राजनीतिक नेताओं ने, यहां के सामाजिक आगेवानों ने, यहां के नागरिकों ने, यह जो एक सपना पूरा किया, मैं समझता हूँ बाबासाहेब अम्बेडकर को एक उत्तम श्रद्धांजलि इंदौर जिले ने दी है। मैं इंदौर जिले को बधाई देता हूँ। और पूरे देश में एक माहौल बना है। हर जिले को लग रहा है ओपन डिफिकेशन एण्ड फ्री होने के लिए हर जिले में यह स्पर्धा शुरू हुई है। भारत को स्वच्छ बनाना है तो हमें सबसे पहले हमारी माँ-बहनों को शौचालय के लिए खुले में जाना न पड़ रहा है, इससे मुक्ति दिलानी होगी। उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में हर किसी को मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये करे, वो न करे। ये क्रेडिट ले, वो न ले। इसके लिए काम नहीं है, यह तो एक सेवा भाव से करने वाला काम है, जिम्मेवारी से करने वाला काम है। इस "ग्रामोदय से भारत उदय" का जो पूरा मंत्र है, उसमें इस बात पर भी बल दिया गया है।

मेरे प्यारे भाइयो-बहनों, हमारे देश में हम कभी-कभी सुनते तो बहुत हैं। कई लोग छह-छह दशक से अपने आप को गरीबों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। जिनकी जुबां पर दिन-रात गरीब-गरीब-गरीब हुआ करता है। वे गरीबों के लिए क्या कर पाए, इसका हिसाब-किताब चौंकाने वाला है। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। लेकिन क्या कर रहा हूँ जो गरीबों की जिन्दगी में बदलाव ला सकता है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो योजनाएं थी, उसके लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। कई लाभार्थियों को उनकी चीजें दी गई। इन सब में उस बात का संदेश है कि एम्पावरमेंट ऑफ पीपल उनको आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया जा रहा है। जो मेरे दिव्यांग भाई-बहन हैं, किसी न किसी कारण शरीर का एक अंग उनका साथ नहीं दे रहा है। उनको आज जयपुर फोर्ट का फायदा मिला और यह आंदोलन चलता रहने वाला है। यहां तो एक टोकन कार्यक्रम हुआ है और बाबासाहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर यह कार्यक्रम अपने आप को एक समाधान देता है।

भाइयो-बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी। आज भी हमारे करोड़ों-करोड़ों गरीब भाई-बहन, जो झुग्गी-झोपड़ी में, छोटे घर में, कच्चे घर में गुजारा करते हैं, वे लकड़ी का चूल्हा जलाकर के खाना पकाते हैं। विज्ञान कहता है कि जब माँ लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना पकाती है। एक दिन में 400 सिगरेट जितना धुआँ उस माँ के शरीर में जाता है। आप कल्पना कर सकते हो, जिस माँ के शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआँ जाएगा, वो माँ बीमार होगी कि नहीं होगी? उसके बच्चे बीमार होंगे कि नहीं होंगे और समाज के ऐसे कोटि-कोटि परिवार बीमारी से ग्रस्त हो जाएं, तो भारत स्वस्थ बनाने के सपने कैसे पूरे होंगे?

पिछले एक वर्ष में, हमने ट्रायल

बेसिस पर काम चालू किया। मैंने समाज को कहा कि भाई, आप अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए और मुझे आज संतोष के साथ कहना है कि मैंने तो ऐसे ही चलते-चलते कह दिया था, लेकिन करीब-करीब 90 लाख परिवार और जो ज्यादातर मध्यम वर्गीय हैं, कोई स्कूल में टीचर हैं, कोई टीचर रिटायर्ड हुई माँ है, पेंशन पर गुजारा करती है लेकिन मोदी जी ने कहा तो छोड़ दो। करीब 90 लाख लोगों ने अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी और पिछले एक वर्ष में आजादी के बाद, एक वर्ष में इतने गैस सिलेंडर का कनेक्शन कभी नहीं दिया गया। पिछले वर्ष एक करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे दिया गया और उनको चूल्हे के धुएँ से मुक्ति दिलाने का काम हो गया। जब ये मेरा 'पायलट प्रोजेक्ट' सफलतापूर्वक हुआ और मैंने कोई घोषणा नहीं की थी, कर रहा था, चुपचाप उसको कर रहा था। जब सफलता मिली तो इस बजट में हमने घोषित किया है कि आने वाले तीन वर्ष में हम भारत के पाँच करोड़ परिवार, आज देश में कुल परिवार हैं 25 करोड़, और संख्या है सवा सौ करोड़, परिवार हैं 25 करोड़ से ज्यादा। पाँच करोड़ परिवार, जिनको गैस सिलेंडर का कनेक्शन देना है, गैस सिलेंडर देना है और उन पाँच करोड़ परिवार में लकड़ी के चूल्हे से, धुएँ में गुजारा कर रही मेरी गरीब माताओं-बहनों को मुक्ति दिलाने का अभियान चलाया है।

गरीब का भला कैसे होता है? प्रधानमंत्री जन-धन योजना! हम जानते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। कभी कोई शारदा चिट फंड की बात आती है कभी और चिट फंड की बात आती है। लोगों की आंख में धूल झोंककर के बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनाकर के लोगों से पैसा लेने वाले लोग बाद में छूमंतर हो जाते हैं। गरीब ने बेचारे ने बेटी की शादी के लिए पैसे रखे हैं, ज्यादा ब्याज मिलने वाला है इस सपने से लेकिन बेटी कुंवारी रह जाती है क्योंकि पैसे जहां रखे, वो भाग जाता है। ये क्यों हुआ? गरीब को ये चिट फंड वालों के पास क्यों जाना पड़ा? क्योंकि बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खुलते नहीं थे। हमने प्रधानमंत्री 'जन-धन योजना' के द्वारा हिन्दुस्तान के हर गरीब के लिए बैंक में खाते खोल दिए और आज गरीब आदमी को साहूकारों के पास जाकर के ब्याज के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ रहा है। गरीब को अपने पैसे रखने के लिए किसी चिट फंड के पास जाना नहीं पड़ रहा है और गरीब को एक आर्थिक सुरक्षा देने का काम हुआ और उसके साथ उसको दो लाख रुपए का कार्ड दिया गया। उसके परिवार में कोई आपत्ति आ जाए तो दो लाख रुपए का बीमा दे दिया और मेरे पास जानकारी है, कई परिवार मुझे मिले कि अभी तो जन-धन एकाउंट खोला था और 15 दिन के भीतर-भीतर उनके घर में कोई नुकसान हो गया तो उनके पास दो लाख रुपए आ गए। परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि दो लाख रुपए सीधे-सीधे उनके घर में पहुंच जाएंगे।

> **हमने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के द्वारा हिन्दुस्तान के हर गरीब के लिए बैंक में खाते खोल दिए और आज गरीब आदमी को साहूकारों के पास जाकर के ब्याज के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ रहा है। गरीब को अपने पैसे रखने के लिए किसी चिट फंड के पास जाना नहीं पड़ रहा है और गरीब को एक आर्थिक सुरक्षा देने का काम हुआ और उसके साथ उसको दो लाख रुपए का कार्ड दिया गया। उसके परिवार में कोई आपत्ति आ जाए तो दो लाख रुपए का बीमा दे दिया और मेरे पास जानकारी है, कई परिवार मुझे मिले कि अभी तो जन-धन एकाउंट खोला था और 15 दिन के भीतर-भीतर उनके घर में कोई नुकसान हो गया तो उनके पास दो लाख रुपए आ गए।**

गरीब के लिए काम कैसे होता है? प्रधानमंत्री जन-धन योजना के द्वारा सिर्फ बैंक में खाता खुला, ऐसा नहीं है। वो भारत की आर्थिक व्यवस्था की मुख्यधारा में हिन्दुस्तान के गरीब को जगह मिली है, जो पिछले 70 साल में हम नहीं कर पाए थे। उसको पूरा करने से भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ावा मिलेगा। आज दुनिया के अंदर हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास का जय-जयकार हो रहा है। विश्व की सभी संस्थाएं कह रही हैं कि भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसका मूल कारण देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को साथ लेकर के चलने का हमने एक संकल्प किया, योजना बनाई और चल रहे हैं। जिसका परिणाम है कि आज आर्थिक संकटों के बावजूद भी भारत आर्थिक ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया आर्थिक संकटों को झेल रही है, हम नए-नए अवसर खोज रहे हैं।

अभी मैं मुम्बई से आ रहा था। आज मुम्बई में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम

था। बहुत कम लोगों को डॉ अम्बेडकर साहेब को पूरी तरह समझने का अवसर मिला है। ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि बाबासाहेब अम्बेडकर यानी दलितों के देवता। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि बाबासाहेब अम्बेडकर दूरदृष्टा थे। उनके बाद भारत कैसा बने, उसका विजन था। आज मैंने मुम्बई में एक मेरीटाईम को लेकर के, सामुद्रिक शक्ति को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वो 14 अप्रैल को इसलिए रखा था कि भारत में बाबासाहेब अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरीटाईम नेवीगेशन यूज ऑफ वाटर पर दीर्घदृष्टि से उन्होंने विजन रखा था। उन्होंने ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया था उस समय, जब वे सरकार में थे, जिसके आधार पर आज भी हिन्दुस्तान में पानी वाली, मेरीटाईम वाली, नेवीगेशन वाली संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन बाबासाहेब अम्बेडकर को भुला दिया। हमने आज जानबूझ कर 14 अप्रैल को बाबासाहेब अम्बेडकर ने जो विजन दिया था, उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को, उसको साकार करने की दिशा में आज मुम्बई में एक समारोह करके मैं आ रहा हूँ, आज उसका मैंने प्रारम्भ किया। लाखों-करोड़ों समुद्री तट पर रहने वाले लोग, हमारे मछुआरे भाई, हमारे नौजवान, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले हैं, जो बाबासाहेब अम्बेडकर का विजन था। इतने सालों तक उसको आंखों से ओझल कर दिया गया था। उसको आज चरितार्थ करने की दिशा में, एक तेज गति से आगे बढ़ने का प्रयास अभी-अभी मुम्बई जाकर के मैं करके आया हूँ।

अभी हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने पंचतीर्थ की बात कही है। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि मोदी ये सब क्यों कर रहे हैं? ये हमारे श्रद्धा का विषय है, ये हमारे कन्विक्शन का विषय है। हम श्रद्धा और कन्विक्शन से मानते हैं कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने सामाजिक एकता के लिए बहुत उच्च मूल्यों का प्रस्थापन किया है। सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, बाबासाहेब अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया है उसी से प्राप्त हो सकती है इसलिए हम बाबासाहेब अम्बेडकर के चरणों में बैठकर के काम करने में गर्व अनुभव करते हैं।

सरकारें बहुत आईं ये 26-अलीपुर, बाबासाहेब अम्बेडकर की मृत्यु के 60 साल के बाद उसका स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें मिला। क्या 60 साल तक हमने रोका था किसी को क्या? और आज हम कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। पश्चाताप होना चाहिए कि आपने किया क्यों नहीं? परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए यही तो सामाजिक आंदोलन काम आने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयो-बहनों एक श्रद्धा के साथ और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसकी माँ बचपन में अड़ोस-पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उसका बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया, उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो बाबासाहेब अम्बेडकर को जाता है, इस संविधान को जाता है। और इसलिए श्रद्धा के साथ, एक अपार, अटूट श्रद्धा के साथ इस काम को हम करने लगे हैं। और आज से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमने तो जीवन इन चीजों के लिए खपाया हुआ है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने समाज को टुकड़ों में बांटने के सिवाए कुछ सोचा नहीं है।

बाबासाहेब अम्बेडकर, उन पर जो बीतती थी, शिक्षा में उनके साथ अपमान, जीवन के हर कदम पर अपमान, कितना जहर पीया होगा इस महापुरुष ने, कितना जहर पीया होगा जीवन भर और जब संविधान लिखने की नौबत आई, अगर वो सामान्य मानव होते, हम जैसे सामान्य मानव होते तो उनकी कलम से संविधान के अंदर कहीं तो कहीं उस जहर की एक-आध बिन्दु तो निकल पाती। लेकिन ऐसे महापुरुष थे जिसने जहर पचा दिया। अपमानों को झेलने के बाद भी जब संविधान बनाया तो किसी के प्रति कटुता का नामो-निशान नहीं, बदले का भाव नहीं था। वैर भाव नहीं था, इससे बड़ी महानता क्या हो सकती है? लेकिन दुर्भाग्य से देश के सामने इस महापुरुष की महानताओं को ओझल कर दिया गया है। तब ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठकर के कुछ अच्छा करने का इरादा जो रखते हैं, उनके लिए यही रास्ता है। उस रास्ते पर जाने के लिए हम आए हैं। मुझे गर्व है कि आज 14 अप्रैल को पूरे देश में "ग्राम उदय से भारत उदय" के आंदोलन का प्रारंभ इस धरती से हो रहा है। सामाजिक न्याय के लिए हो रहा है, सामाजिक समरसता के लिए हो रहा है।

मैं हर गांव से कहूँगा कि आप भी इस पवित्रता के साथ अपने गांव का भविष्य बदलने का संकल्प कीजिए। बाबासाहेब की 125वीं जयंती को अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम हमारे गांव में कोई बदलाव लाएं। वहां के जीवन में बदलाव लाएं। सरकारी योजनाओं का व्यय करते हुए, पाई-पाई का सदुपयोग करते हुए चीजों को करने लगे तो अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा।

मैं फिर एक बार मध्यप्रदेश सरकार का, इतनी विशाल संख्या में आकर के आपने हमें आशीर्वाद दिया। इसलिए जनता-जनार्दन का हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ।

जय भीम, जय भीम। दोनों मुट्ठी पूरी ऊपर करके बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ■

विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जन्मशती समारोह का आयोजन

अल्जीरिया में भारतीय दूतावास

- राजदूत द्वारा फ्रेंच भाषा में भारतीय संविधान पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया गया।
- अल्जीरिया के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार, संवैधानिक परिषद् के सदस्यगण, अल्जीरिया के बार काउंसिल के अध्यक्ष (बालोनियर), वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ, अल्जीरिया विश्वविद्यालय के विधि संकाय के सदस्य और मीडिया उपस्थित थे।
- टेलिविजन पर अल खबर द्वारा इस कार्यक्रम को कवर किया गया। सभी प्रतिभागियों को अरबी भाषा में भारतीय संविधान की प्रतियां बांटी गयीं।

एंटानानारिवो स्थित भारतीय दूतावास

- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर पर 19 मिनट का एक दूरदर्शन वृत्तचित्र प्रस्तुत किया गया और उसके बाद डॉ. अम्बेडकर की संक्षिप्त टिप्पणियां चलायी गयीं। फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- सीनेट के अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे। एचसीसी के अध्यक्ष, नेशनल एसेम्बली के उपाध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री उच्च गणमान्य व्यक्तियों में थे।
- लगभग 200 लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लिया।
- एक पूरे पृष्ठ का परिशिष्ट छापा गया।

नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग

- स्थानीय महाराष्ट्र मंडल के सदस्यों द्वारा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन पर एक प्रहसन तथा समकालीन विश्व में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और उनके दर्शन की प्रासंगिकता पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।
- केन्याई नेशनल एसेम्बली के स्पीकर यहां मुख्य अतिथि थे। इनके अतिरिक्त केन्याई उच्चतम न्यायालय के उप मुख्य न्यायाधीश उपस्थित थे।
- लगभग 350 से अधिक अतिथि यहां उपस्थित थे।
- इस अवसर पर भारतीय दृष्टिकोण से जुड़ी प्रतियां संवितरित की गयीं।

ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग

- भारतीय उच्चायुक्त, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, विधि आयोग के सदस्य आदि ने श्रोताओं को संबोधित किया।
- प्रोफेसर डॉ. ए. के. आजाद चौधुरी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।
- लगभग 250 अतिथि उपस्थित थे।
- एक विशेष अंक जारी किया गया।

पीएमआई, न्यूयार्क

- संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- यूएनडीपी के प्रशासक इसमें मुख्य वक्ता थे।
- पंजाब विधान मंडल के अध्यक्ष इसके मुख्य दर्शक थे।
- कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रमुख, एसोसिएट प्रोफेसर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के व्याख्याता अन्य वक्ता थे।
- एक लघु चलचित्र का प्रदर्शन किया गया।
- इस मिशन द्वारा सघन प्रचार किया गया।

जोहानसबर्ग स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास

- राजदूत ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत के राष्ट्र निर्माण में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के योगदान को उद्धृत किया।
- दो पुस्तकों का विमोचन किया गया।
- फेसबुक पर तस्वीरों को डाउनलोड किया गया और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।

उलानबटोर स्थित भारतीय दूतावास

- राजीव गांधी पोलिटेक्निक कॉलेज ऑफ प्रोडक्शन एंड आर्ट्स में एक सेमीनार का आयोजन किया गया।
- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन पर आधारित एक चलचित्र का प्रदर्शन किया गया।
- लगभग 300 अतिथि उपस्थित थे।
- एक लेख प्रकाशित किया गया।

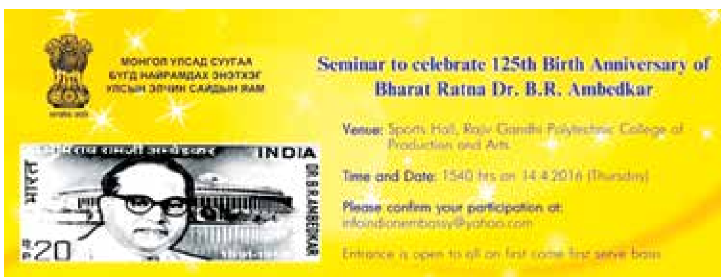

सीजीआई, सैन फ्रांसिस्को

- भारत के महावाणिज्य दूत, पंजाब विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष, गुरू रविदास मंदिर की शीर्ष समिति के सदस्य आदि ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया।
- डॉ. अम्बेडकर के जीवन पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
- तकरीबन 500 से 600 अतिथि उपस्थित थे।

सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग

- भारत के राजदूत ने पुष्प से श्रद्धांजलि अर्पित की और सभा को संबोधित किया।
- डॉ. अम्बेडकर पर एक चलचित्र का प्रदर्शन किया गया।
- लगभग 500 छात्र, इंटरनल स्कूल क्वींसटन के सदस्य और अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

किंग्सटन स्थित भारतीय उच्चायोग

- 'विविध क्षेत्रों में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की उत्कृष्ट उपलब्धियों' पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गयी।
- एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गयी।
- एक चलचित्र का प्रदर्शन किया गया।
- इस कार्यक्रम को प्रिंट मीडिया द्वारा कवर किया गया।

बगोटा स्थित भारतीय दूतावास

- राजदूत और दूतावास के अन्य सदस्यों ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
- एक पैनल चर्चा आयोजित की गयी।

शंघाई स्थित सीजीआई

- एक परस्पर संवादात्मक सेमीनार का आयोजन किया गया।
- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण (चीनी भाषा में) दिया गया।
- राज्य सभा टी.वी. द्वारा बनाया एक वीडियो जिसमें संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए भाषणों को दिखाया गया है, का प्रदर्शन किया गया।
- इस कार्यक्रम का प्रिंट मीडिया द्वारा प्रकाशन किया गया।

भारतीय दूतावास, किंशाहा

- इंटरनेशनल स्कूल, किंशाहा में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर से जुड़ी तस्वीरों की प्रदर्शनी लगायी गयी।
- डॉ. अम्बेडकर के जीवन और भारत के संविधान निर्माण में उनके योगदान पर आधाारित एक वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया।

बिस्केक स्थित भारतीय दूतावास

- एक स्मरणीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- भारतीय राजदूत ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के योगदान का विस्तृत ब्यौरा दिया।
- इस कार्यक्रम को वेब आधारित समाचार पत्रों में जगह दी गयी।

सीजीआई, म्युनिख

- वाणिज्य दूत ने अतिथियों का स्वागत किया और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर पर एक व्याख्यान दिया तथा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए योगदान को उद्धृत किया।
- लुडविंग मैक्समिलन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सैयद द्वारा दिए गए लगभग 45 मिनट के प्रस्तुतिकरण में उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के जीवन के कई पक्षों को छुआ।
- लगभग 80 अतिथिगण वहां उपस्थित थे।

शंघाई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास

- शंघाई स्कूल ऑफ फारेन लैंग्विज में एक संवादात्मक सेमीनार का आयोजन किया गया।
- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन पर आधारित एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया गया।
- राज्य सभा टी.वी. द्वारा बनाया एक वीडियो जिसमें डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए भाषणों को दिखाया गया है, का प्रदर्शन किया गया।

ओसाका -कोबे स्थित सीजीआई

- वकायामा प्रीफेक्चर के कोयासन विश्वविद्यालय में कार्यक्रम मनाया गया।
- महाराष्ट्र सरकार के गृह (ग्रामीण), लोक स्वास्थ्य, विपणन, पर्यटन, कृषि और बागवानी राज्य मंत्री द्वारा भाषण दिया गया और चार्ज डी अफेयर्स ए. आई. द्वारा इस पर टिप्पणी दी गयी।
- डॉ. अम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गयी।

अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (आईसी) श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के स्मरणोत्सव में शिरकत की।
- एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी।

जुबा स्थित भारतीय दूतावास

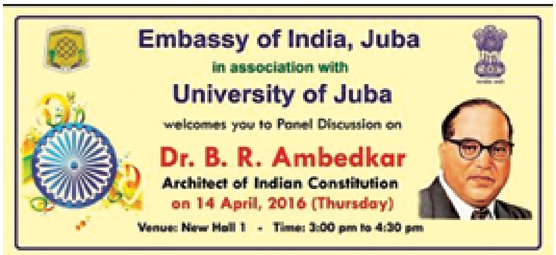

- थीम अम्बेडकर: भारतीय संविधान निर्माता।
- राष्ट्रपति के महासचिव, जुबा विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्य के उप कुलपति आदि ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
- डॉ. अम्बेडकर के जीवन और काल पर आधारित 15 मिनट की एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

न्यामे स्थित भारतीय दूतावास

- इस कार्यक्रम की शुरूआत राजदूत के उद्घाटन भाषण और मुख्य संबोधान से हुई।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नाइजर के अध्यक्ष इसमें मुख्य अतिथि थे।
- डॉ. अम्बेडकर के जीवन पर आधारित एक वृत्तचित्र प्रदर्शित किया गया।

हांगकांग स्थित सीजीआई

- शीर्ष भारतीय संघ, भारतीय समुदाय और पेशेवरों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की।
- एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

हवाना स्थित भारतीय दूतावास

- हवाना विश्वविद्यालय में एक सेमीनार का अयोजन किया गया।
- इस कार्यक्रम में डीन, संकाय सदस्य, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति, हाउस ऑफ एशिया, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड मेडिसिन के सदस्यों और भारतीय मित्रों ने भाग लिया।
- सेमीनार के दौरान प्रपत्र प्रस्तुत किए गए।

खारतौम स्थित भारतीय दूतावास

- इस कार्यक्रम की शुरूआत डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ हुई और इसके बाद राजदूत का संबोधन हुआ।
- भेल के देश प्रबंधक द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया गया।
- 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकरा' नामक एक आत्मकथात्मक फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

हो ची मिन्ह शहर स्थित सीजीआई

- इस कार्यक्रम में यूएसएसएच के अध्यक्ष और रेक्टर, ओरियंटल स्टडीज के डीन फेकल्टी, वरिष्ठ फेकल्टी, भारतीय अध्ययन विभाग के छात्रों आदि ने भाग लिया और संबोधन किया।
- वाद्य संगीत यंत्र, हिन्दी की पुस्तकें आदि दान में दी गयी।

थिंपु स्थित भारतीय दूतावास

- रॉयल थिंपू कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- एक व्याख्यान माला प्रस्तुत की गयी जिनमें भूटान के मुख्य चुनाव आयुक्त, थिंपू के विदेश मंत्री, संचार और सूचना मंत्री आदि शामिल थे।
- निबंध प्रतियोगिता, पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।

बेलग्रेड स्थित भारतीय दूतावास

- 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर' पर एक फिल्म का प्रसारण किया गया;
- एक विशेष वैचारिक लेख प्रकाशित किया गया;
- विश्वविद्यालयों/विद्यालयों में व्याख्यान और वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया;
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

डाकर स्थित भारतीय दूतावास

- पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि देकर इस कार्यक्रम की शुरूआत की गयी;
- स्थानीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया;
- इन कार्यक्रमों में प्रिंट मीडिया में कवर किया गया।

ब्रसेल्स स्थित भारतीय दूतावास

- एक गोलमेज सत्र का आयोजन किया गया;
- इस गोलमेज सत्र में बड़ी संख्या में छात्रों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों व भारत के छात्रों आदि ने हिस्सा लिया;
- बुद्धिजीवी समुदाय ने इस कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की।

सेंट डेनिस स्थित सीजीआई

- दो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए– पहला भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र में और दूसरा होटल बेस्ट वेस्टर्न में।
- 150 से अधिक अतिथियों ने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया;
- स्थानीय प्राधिकरणों के प्रतिनिधिगण और अधिकारियों, भारतीय मूल के नेताओं और विभिन्न भारतीय संघों के अध्यक्षों ने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

एथेन्स स्थित भारतीय दूतावास

- 'डॉ. अम्बेडकर और भारतीय संविधान' शीर्षक पर एक सेमीनार आयोजित की गई;
- राजदूत, न्यू योर महाविद्यालय के उप कुलपति, दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर, वकील और ईएलआईएनईपीए के महासचिव आदि ने मुख्य भाषण दिया।

डबलिन स्थित भारतीय दूतावास

- एक पैनल चर्चा आयोजित की गयी;
- डॉ. अम्बेडकर द्वारा संविधान को अंतिम रूप देने के समय दिए गए भाषण की एक क्लिप का प्रदर्शन किया गया।

हरारे स्थित भारतीय दूतावास

- इस कार्यक्रम को अतिथियों के स्वागत और राजदूत द्वारा डॉ. अम्बेडकर के महत्वपूर्ण योगदान को उद्धृत कर मनाया गया।
- लगभग 80 अतिथियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

येरेवन स्थित भारतीय दूतावास

- यह कार्यक्रम येरेवन स्टेट मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया;
- वाईएसएमयू, अमेरिका के डीन और कर्मचारी और भारतीय छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया;
- 'ताना बाना: द रैप एंड केट् ऑफ इंडिया' नामक एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास

- स्कूल ऑफ फारेन लैंग्वेज, पेकिंग विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- स्कूल फॉर फॉरेन लैंग्वेज के डीन, डिपार्टमेंट ऑफ कंटेम्पोरेरी रिलीजियस के प्रोफेसर आदि मुख्य वक्ता थे।
- डॉ. अम्बेडकर के जीवन पर एक वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया।

ग्वाटेमाल स्थित भारतीय दूतावास

- इस कार्यक्रम की शुरूआत डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण के साथ हुई।
- संवैधानिक विशेषज्ञ, सामाजिक सुधारक और सांसदों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

> ''मनुष्य को जीने के लिए केवल रोटी ही नहीं चाहिए,
> उसके पास दिमाग है जिसे विचारों के भोजन की आवश्यकता है।''
>
> – बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

बाल कविता

मैं पानी हूँ......

■ बद्री प्रसाद वर्मा 'अनजान'

मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ
लोगों की प्यास बुझाता हूँ।
कहीं नदी तालाब तलैया
कहीं झील, पोखर बन जाता हूँ।
मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ

मैं खेतों और पेड़ों को
नव जीवन देता हूँ।
पानी दे कर सबको
मैं खुश कर देता हूँ।
मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ।

बादलों से झम-झम
मैं तो खूब बरसता हूँ।
प्यासी धरती बाग वनों की
मैं तो प्यास बुझाता हूँ।
मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ।

आता जब बरसात का मौसम
मैं तब आ जाता हूँ।
नदियां ताल तलैया पोखर
मैं पानी पहुंचाता हूँ।
मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ।

मुझको मत बर्वाद करो
यह बात सबको बतलाता हूँ।
मेरे न रहने से
सूखा सब ओर बढ़ जाता है।
मै पानी हूँ, मैं पानी हूँ। ■

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर से जुड़े 5 स्मारक

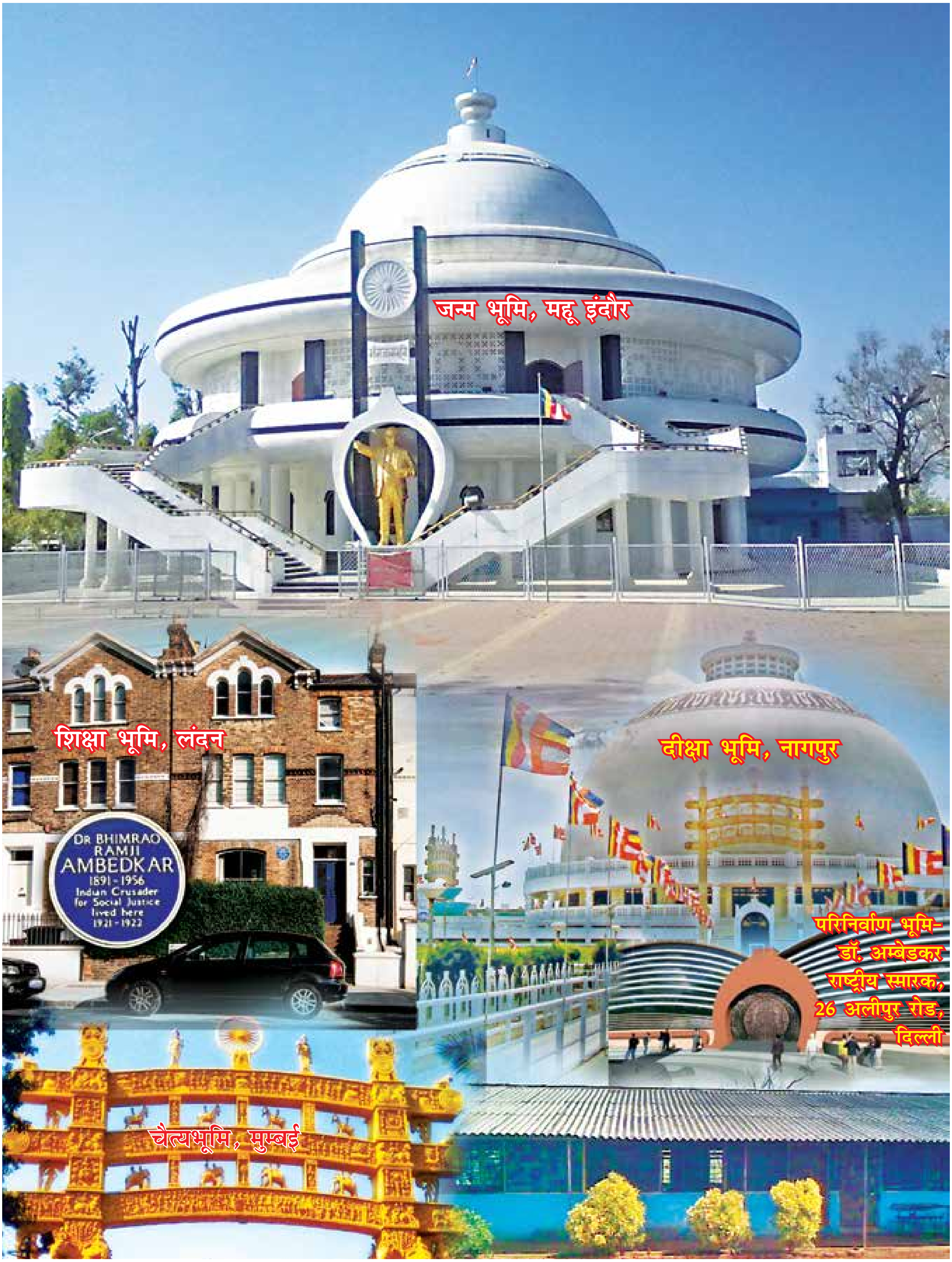

सम्पादक के नाम पत्र

महापुरुषों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी

सम्पादक महोदय,

सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष तथा उनके सामाजिक एवं धार्मिक योगदान को जन-जन तक पहुँचाने में सराहनीय कार्य कर रही है। बाबासाहेब के अलावा हमारे समाज के अन्य महापुरुषों के बारे में भी बहुत महत्त्वपूर्ण जानकारी समय-समय पर मिलती रही है।

यह पत्रिका के माध्यम से पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हुयी है। इस पत्रिका के माध्यम से पाठकों को इतनी अच्छी-अच्छी सामग्री देने के लिये सम्पादक महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद तथा समाज के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक सदस्य बनकर इसका लाभ उठायें।

मदन मोहन भास्कर
महासचिव
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
अखिल भारतीय अनु.जाति/जनजाति विकास संगठन

आन्दोलन को सजीव रखें

सम्पादक महोदय,

मान्यवर महोदय, आपके द्वारा संपादित "सामाजिक न्याय संदेश" की पत्रिकाओं की प्रतियाँ मैंने पढ़ी। बाबासाहेब अम्बेडकर के जीवनपर्यन्त संघर्षो, उपलब्धियों को लेखों के माध्यम से जनहित तक पहुँचाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। युगदृष्टा बाबासाहेब अम्बेडकर भारतीय सम्पूर्ण वर्गीय-जातिय समाज को जो क्रान्ति के रूप में उपहार दे चुके है अपने अम्बेडवादी विचारक भाई-बहनों से मैं निवेदन करूँगी कि वह बाबासाहेब के इस आन्दोलन को सजीव रखे और देश के गौरव में हाथ बंटाते रहे जयभीम, जस बाबा साहेब अम्बेडकर।

रचना
शोध-विद्यार्थी
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सम्पादकीय में एक नया दृष्टिकोण

सम्पादक महोदय,

सामाजिक न्याय के मसीहा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के जीवन चक्र और कार्यों को समर्पित 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका के प्रकाशन एवं बाबासाहेब के जयंती वर्षगांठ पर विशेषांक प्रकाशित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अंबेडकर फाउंडेशन की बेबसाईट पर 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका उपलब्ध है।

पत्रिका का अप्रैल अंक मैंने बेबसाईट से डाउनलोड करके पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। मैं कवर पेज और आपके संपादकीय की तारीफ करना चाहूँगा। कवर पेज पर बाबा साहेब के जीवन से जुड़े स्थलों, जो बहुजन समाज के लिए आस्था के स्थल बन चुके हैं, को महत्त्व दिया। आपके संपादकीय में एक नया दृष्टिकोण झलकता है। वंचित समाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के लिए धन्यवाद।

पत्रिका लंबी आयु की कामना के साथ,

उपेन्द्र पासवान
ग्राम-बड़ागांव, पोस्ट सेमराजपुर
जिला-मऊ, उत्तर प्रदेश

ज्ञानवर्धक जानकारियां

सम्पादक महोदय,

सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के जीवन के बारे में पत्रिका के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण जनता तक पहुंचाने में एक महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके लिए सम्पादक महोदय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने अप्रैल अंक पढ़ा जिसमें मुख्य पृष्ठ बहुत सुन्दर और आकर्षक लगा।

समय-समय पर पत्रिका के माध्यम से अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहती हैं।

मेरा सम्पादक जी से अनुरोध है कि पत्रिका सरकारी लाइब्रेरी और स्कूलों में भी भेजी जाए, जिससे बच्चों को बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के जीवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़कर हमारे देश के बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की बजाय भारतीय संस्कृति में बचपन से ही अग्रसर हों। भारतीय संस्कृति में बाबासाहेब का अटूट विश्वास था। धन्यवाद

संजय प्रताप सिंह
वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-110045

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संगठन) की मासिक पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

सम्पादक : सुधीर हिलसायन

सम्पादकीय सम्पर्क : 011-23320588/सब्सक्रिप्शन सम्पर्क : 011-23357625

दिसम्बर 2015

जनवरी 2016

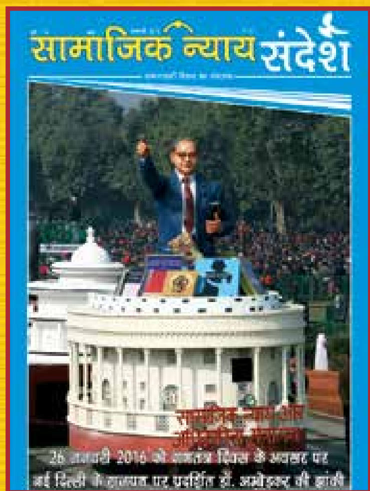

फरवरी 2016

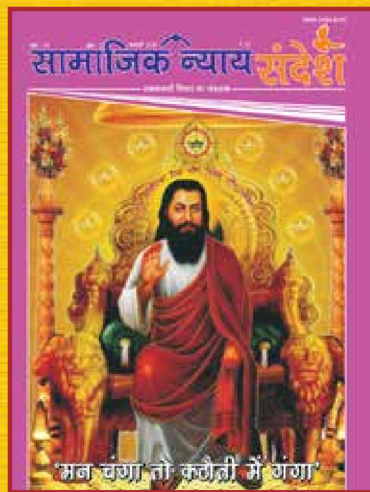

मार्च 2016

अप्रैल 2016

मई 2016

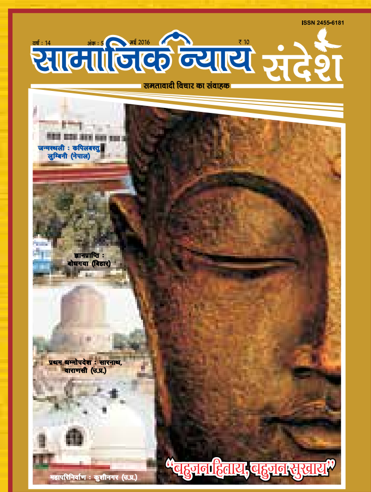

स्वयं पढ़े एवं दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

पाठक सदस्य बनें

कार्यालय : 15, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–23320588, 23320589, 23357625 फैक्स: 23320582
E-mail: hilsayans@gmail.com / Website: www.ambedkarfoundation.nic.in
पत्रिका उपर्युक्त वेबसाइट पर पढ़ी/देखी जा सकती है।

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका *'सामाजिक न्याय संदेश'* का प्रकाशन नियमित जारी है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन को जानने/समझने में मदद मिलेगी ही तथा फाउन्डेशन के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी।

सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका से जुड़कर आप अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज ही पाठक सदस्य बनिए, अपने मित्रों परिवार-समाज के सदस्यों को भी सदस्य बनाईए, पाठक सदस्यता ग्रहण करने के लिए **एक वर्ष के लिए रू. १००/-, दो वर्ष के लिए रू. १८०/-, तीन वर्ष के लिए रू. २५०/-,** का डिमांड ड्राफ्ट, अथवा मनीऑर्डर जो **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम देय हो, फाउन्डेशन के पते पर भेजें या फाउन्डेशन के कार्यालय में नकद जमा करें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव का भी हमेशा स्वागत रहेगा। पत्रिका को फाउन्डेशन की बेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी देखी/पढ़ी जा सकती है।

- सम्पादक

सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता /चाहती हूं/ **शुल्कः वार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 100/-, **द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 180/-, **त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 250/-। (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

मनीऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नम्बर..दिनांक.......................संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर 'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन' के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....पिन कोड ....

फोन/मोबाईल नं.......................................ई.मेलः ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित निम्न पते पर भेजिए :

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन

15 जनपथ, नई दिल्ली-110 001 फोन न. 011-23320588, 23320589, 23357625

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की जन्मभूमि इन्दौर, मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, यहां उल्लेखनीय है कि बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की जन्मभूमि पर पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचा।

दिनांक 14 अप्रैल 2016 को बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू , इंदौर में ''ग्रामोदय से भारत उदय'' अभियान के उद्घाटन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री थावरचंद गेहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की।

RNI No. DELHIN/2002/9036

प्रकाशक व मुद्रक जी.के.द्विवेदी द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1,
मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110064 से मुद्रित तथा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली−110001 से प्रकाशित।
सम्पादक : सुधीर हिलसायन